3वीं वार्षिक रिपोर्ट
2019 - 20

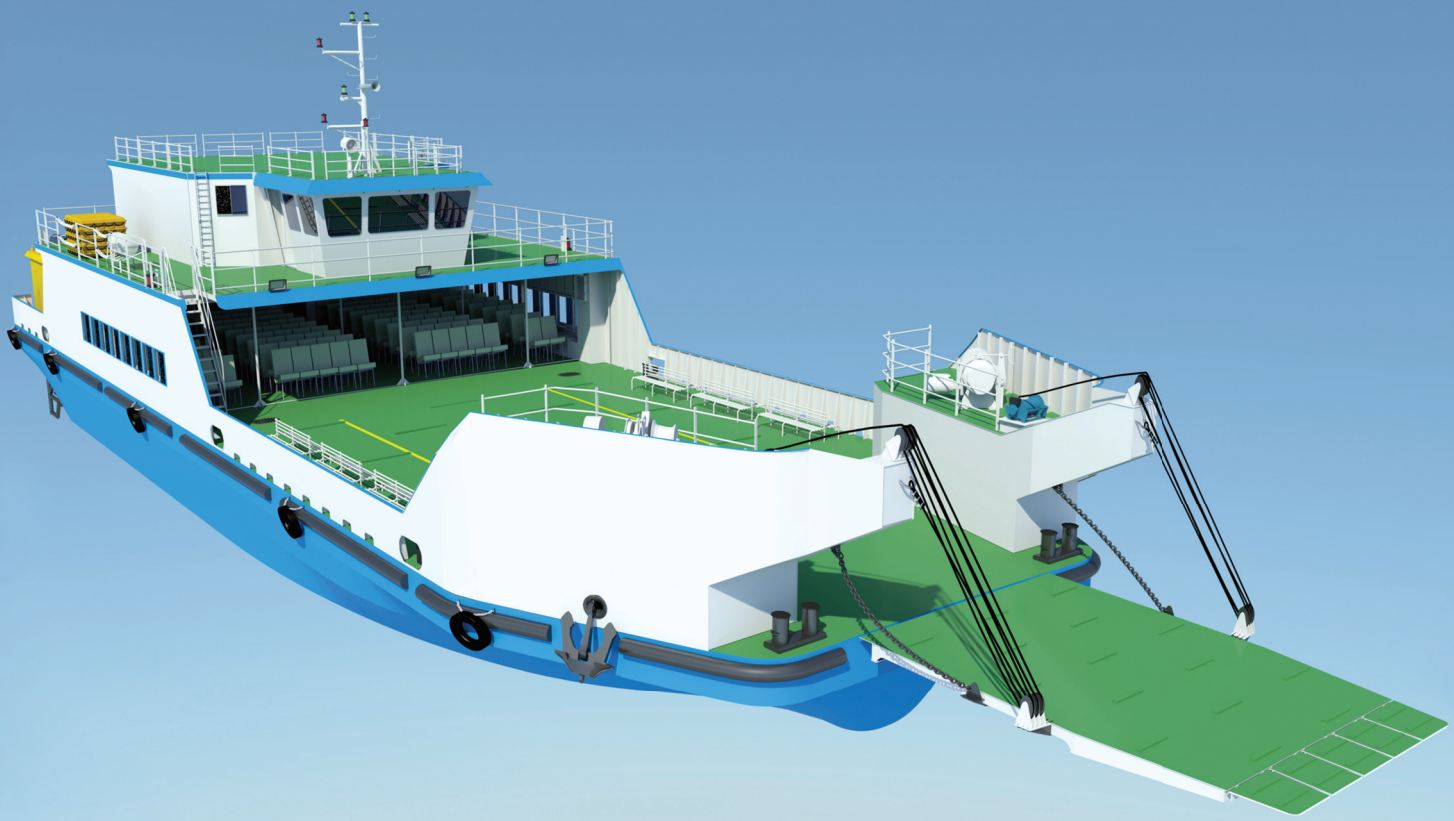

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी)

दिनांक 30 जनवरी 2020 को कंपनी के नजीरगंज सुविधा में नए आउटफिट घाट का उद्घाटन

निदेशक मंडल

श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष

श्री एन वी सुरेष बाबु
गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री बिजोय भास्कर
गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री जोस वी जे
गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री चंद्र मणि रावत
गैर कार्यपालक निदेशक

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजेश गोपालकृष्णन
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

श्री षिबु जॉण
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधन दल

श्री हरिकुमार के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यपालक सहायक, सीएसएल

श्री पी के मिश्रा
उप महाप्रबंधक (पी एंड ओ), एचसीएसएल

श्री नजीब ई एच
वरिष्ठ प्रबंधक (नई परियोजनाएं), सीएसएल

श्री नितिन नारायण
वरिष्ठ प्रबंधक (नई परियोजनाएं), सीएसएल

श्रीमती बिंदु कृष्णा
वरिष्ठ प्रबंधक (कानूनी), सीएसएल

पंजीकृत कार्यालय

दि लेगसी, 25 ए, शेक्सपियर सारणी,
लेवल 1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017
सीआईएन: U35900WB2017GOI223197

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स घोशाल बसु व रे, 8/2,
किरण शंकर रॉय रोड, दूसरा तल,
रूम नं. 28, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 001

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक लिमिटेड

कार्य

नज़ीरगंज कार्य
पी ओ धनेष एसके लेन, हावडा - 711 109,
पश्चिम बंगाल, भारत

साल्किया कार्य
6, हावडा रोड, साल्किया, हावडा - 711 106,
पश्चिम बंगाल, भारत

विषय सूची

अध्यक्षीय भाषण	2
निदेशकों की रूपरेखा	4
सदस्यों केलिए सूचना	6
निदेशकों की रिपोर्ट	14
निगमित शासन पर रिपोर्ट	29
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	34
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	37
वित्तीय विवरण	57

अध्यक्षीय भाषण

श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष

मैं, बहुत खुशी के साथ हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की 03 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को इस अवसर पर यह सूचित करना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नज़ीरगंज में निर्माण गतिविधियां प्रगति पर है और वित्तीय वर्ष के अंत तक सिविल कार्यों में प्रगति 50% तक पार कर गई है। बहुत खुशी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि नज़ीरगंज में दो आउटफिटिंग जेटी का निर्माण पूरा हो गया है, जिसका उद्घाटन दिनांक 30 जनवरी, 2020 को विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया गया था। इसके अलावा, सिविल कार्य की प्रगति के अनुरूप वर्ष के दौरान योजनाबद्ध विभिन्न अन्य कार्य पैकेजों के तहत गतिविधियां, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, गैस पाइपिंग, अग्निशमन आदि शुरू की गई।

जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी, लोगों की पारस्परिक विचार-विमर्श और संचलन, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश प्रवाह को बाधित करते हुए दुनिया भर में व्यापार के संचालन पर गंभीर आशंका पैदा कर रही है। कंपनी केलिए भी स्थिति अलग नहीं है। कंपनी को सरकारी प्राधिकारियों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने केलिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण, दिनांक 23 मार्च 2020 से 08 जून 2020 तक अपनी गतिविधियों को बंद करना पडा। भले ही, नज़ीरगंज में गतिविधियां दिनांक 09 जून 2020 से फिर से शुरू हो गई हो, लेकिन सरकारी प्राधिकारियों द्वारा महामारी के कारण जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने केलिए सीमित श्रमशक्ति नियोजित किया जा रहा है। हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी और एचसीएसएल टीम लगातार परियोजना की निगरानी कर रहे हैं और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने और संचालन को शुरू करने का लक्ष्य रखते हैं।

दिनांक 03 अक्तूबर 2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के पश्चात, एचसीएसएल दिनांक नवंबर 01, 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई। आगे, उक्त अनुमोदन के अनुसार, एचडीपीईएल की भूमि परिसंपत्ति फरवरी, 2020 में भारत सरकार को हस्तांतरित की गई, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने एचडीपीईएल को ऋणदाता के रूप में बदल दिया है।

जैसा कि एचसीएसएल को सीएसएल और एचडीपीईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में सम्मिलित किया गया था, उपरोक्त घटनाएं सीएसएल और एचडीपीईएल के बीच संयुक्त उद्यम साझेदारी समाप्त करने में परिणत हुई है। मैं, इस अवसर पर एचडीपीईएल के अधिकारियों को विशेष रूप से श्री एस बालाजी अरुणकुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को परियोजना केलिए प्रदत्त असीम सहायता केलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

जैसा कि एचसीएसएल अपने परियोजना कार्यान्वयन चरण पर है और प्रचालन अभी तक शुरू न करने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक जुलाई 08, 2014 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। फिर भी, कंपनी जहां भी संभव हो, सर्वोत्तम निगमित शासन कार्यों को अपनाती है और डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों केलिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार निगमित शासन की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करती है।

समापन से पहले, मैं एचसीएसएल के प्रबंधन को, उनके निरंतर समर्थन, प्रतिबद्धता और योगदान केलिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सभी बोर्ड सदस्यों को परियोजना हेतु उनके अहम मार्गदर्शन और प्रदत्त सहायता केलिए अपना आभार व्यक्त करने की इच्छा रखता हूँ। मैं, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के अन्य कार्यालयों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियेर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) को भी परियोजना की प्रगति में उनके योगदान केलिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं, अंतर्देशीय जल जहाज़ खंड में एक प्रमुख अग्रणी बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढनेवाली कंपनी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

सधन्यवाद

जय हिंद

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

निदेशकों की रूपरेखा

श्री मधु एस नायर

श्री मधु एस नायर कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। श्री मधु एस नायर दिनांक 01 जनवरी 2016 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टॉकियो और ओसाका अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जे आई सी ए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेल्डिंग अनुसंधान में शोध किया। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सदस्य हैं, जिसमें दि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स, यू के (आरआईएनए), इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स, भारत शामिल है। उनको पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में 32 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है।

श्री एन वी सुरेष बाबु

श्री एन वी सुरेष बाबु कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। श्री सुरेष बाबु दिनांक 26 अप्रैल 2016 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (प्रचालन) है। वे केरल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मेकानिकल) में उपाधि संभालते हैं। वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ऑपन विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डिप्लोमा भी संभालते हैं। उन्होंने कोलंबो योजना के अधीन जापान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेशी पोत निर्माण सहयोग केंद्र द्वारा आयोजित पोत निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण में एक साल का ग्रूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। उन्होंने कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सेकाइड, जापान, में शिपयार्ड के साथ एक प्रायोगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी लिया है। इसके अलावा, उन्होंने ऑवरसीज शिपबिल्डिंग कॉऑपरेशन सेंटर में आयोजित जापानी भाषा में अनुपूरक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। उनको पोत निर्माण, सामग्री और पोत मरम्मत प्रभागों जैसे शिपयार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में 35 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है।

श्री बिजोय भास्कर

श्री बिजोय भास्कर को एचसीएसएल के बोर्ड में दिनांक 25 अप्रैल 2018 से शामिल किया गया है। वे 05 अप्रैल 2018 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) है। उन्होने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) उपाधि ली है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से मास्टर ऑफ टेकनॉलजी (मेकानिकल) डिग्री भी संभालते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा कर लिया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा 'वर्ष का प्रबंधक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है।

श्री जोस वी जे

श्री जोस वी जे को दिनांक 03 अगस्त, 2019 से एचसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया। वे अगस्त, 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी है। वे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं और भारतीय लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानूनी में उपाधि संभालते हैं। उन्हें विविध क्षेत्र जैसे कि वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 29 वर्षों का कार्य अनुभव है।

श्री चन्द्र मणि रावत

श्री चन्द्र मणि रावत कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। उनको सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और क्रमशः एक्सआईएम, भुवनेश्वर और आईआईआरएस, देहरादून से प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। वर्तमान में वे निदेशक (आईडब्ल्यूटी एण्ड इंजीनियरिंग) पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में काम कर रहे हैं और पोत परिवहन मंत्रालय के विकास स्कंधों से संबंधित मामलों के साथ - साथ बंगलादेश और म्यानमार, भारत के अंतर्देशीय जल प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और टीएएमपी तथा एएलएचडब्ल्यू और एचडीपीईएल सहित भारत के आईडब्ल्यूटी क्षेत्र से जुडे कार्यों में शामिल हैं। उनको पोर्ट एण्ड हार्बर इंजीनियरिंग (कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट), नदी/नदीमुख में ड्रेजिंग, नदी हाइड्रॉलिक और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्रों में लगभग 24 वर्ष से अधिक कार्य अनुभव है। उन्होंने भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के विकास केलिए कई देशों का दौरा भी किया है। वे हुगली डॉक व पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड में निदेशक भी है।

सूचना

सूचना एतद्द्वारा दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य करने केलिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 03 वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक अगस्त 04, 2020, मंगलवार को 11.00 घंटे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31 मार्च 2020 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।

2. श्री मधु एस नायर (डीआईएन: 07376798) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति केलिए उन्हें पेश करते हैं।

3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 केलिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने केलिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना ।

विशेष व्यापार

4. श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन: 06935852) का निदेशक के रूप में नियुक्ति

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को विचार करने और विचार योग्य होने पर संशोधन के साथ या बिना पारित करने हेतु :

"**संकल्प किया कि** धारा 152 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों (के बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और नियम (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमितियों सहित, तत्कालीन समय में लागू होना, आदि) का अनुपालन किया गया, श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन: 06935852), जिन्हें कंपनी के अपर निदेशक के रूप में 29 मई, 2020 से अधिनियम की धारा 161(1) के तहत निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करते है, और नियुक्ति के लिए पात्र और जिसकी नियुक्ति की सिफारिश निदेशक मंडल ने पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. एसवाई- 11012/2/2020- एचसीएसएल दिनांक फरवरी 04, 2020 के अनुसार की गई है और एतद्द्वारा दिनांक 29 मई 2020 से 28 मई 2023 तक की 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यालय नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।"

"**आगे संकल्प किया कि** कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को एतद्द्वारा कंपनी पंजीयक सहित आवश्यक विवरणियां / प्रपत्रों को फाइल करने और ऐसे सभी कार्यों, कर्मों और उन चीज़ों को करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिन्हें पूर्वोक्त संकल्प पर प्रभाव देने के उद्देश्य से इसे आवश्यक, उचित और समीचीन माना जा सकता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

स्थान : कोच्ची
दिनांक : जुलाई 30, 2020

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
एम. सं. ए 41969

टिप्पण:

1. सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार कथन को यहां संलग्न किया गया है।

2. एक सदस्य जिसे वार्षिक साधारण बैठक (बैठक) में उपस्थिति रहने और मत देने का अधिकार है, उसे अपनी ओर से उपस्थित होने और मत देने केलिए एक परोक्षी को नियुक्त करने हेतु हकदार है और परोक्षी कंपनी के एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। परोक्षी प्रस्तुत करनेवाले विधिवत् स्टैम्पड, पूरा किए, हस्ताक्षरित दस्तावेज बैठक शुरू होने से कम से कम अडतालीस (48) घंटे के पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए। एक परोक्षी प्रपत्र (एमजीटी-II) इस सूचना के साथ संलग्न किया है।

3. पचास सदस्यों से अधिक न हो, सदस्यों की ओर से और मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से न अधिक हो, संभालने वाले एक व्यक्ति परोक्षी के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि, सदस्य द्वारा नियुक्त होने केलिए प्रस्तावित मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से ज्यादा संभालने वाले एक परोक्षी के मामले में, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक केलिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

4. सदस्यों, परोक्षियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने केलिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ संलग्न विधिवत् भरे उपस्थिति स्लिप लाएं। कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 113 के अनुसार बैठक में भाग लेने केलिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने केलिए इरादा रखनेवाले निगमित सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और वोट करने केलिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति या मुख्तारनामा या किसी अन्य दस्तावेज कंपनी को भेज दें।

5. सदस्यों द्वारा निरीक्षण केलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए रखे पंजियों और सूचना तथा साथ में व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज बैठक में उपलब्ध है।

6. बैठक में स्थान की ओर रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।

7. यह बैठक कोलकाता की स्थानीय सीमा के बाहर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, 682 015, से लघु सूचना पर प्रस्तावित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार अनुरोध, कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर बैठक का संचालन करने हेतु सहमति के लिए इस सूचना के साथ संलग्न है और बैठक केवल तभी होगी जब बैठक में मतदान करने के हकदार सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त हो।

8. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण, जो पुनर्नियुक्ति केलिए मांग कर रहे हैं, को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार नोटिस के साथ संलग्न किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 हेतु व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 4

सीएसएल द्वारा एचसीएसएल में एचडीपीईएल के शेयरों की एकमुश्त क्रय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु दिनांक 01 नवंबर 2019 को एचडीपीईएल द्वारा रखे गए 57,20,000 एचसीएसएल शेयरों को सीएसएल में स्थानांतरित कर दिया गया था और उक्त तिथि से प्रभावी एचडीपीईएल ने एचसीएसएल में किसी भी शेयर को स्थगन करना बंद कर दिया है। कंपनी के पूर्ववर्ती लेख (एओए) के अनुसार, जैसे ही एचडीपीईएल, कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी का कम से कम 10% हिस्सा रखना बंद कर देती है, वैसे ही एचसीएसएल के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का एचडीपीईएल का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तदनुसार, एचडीपीईएल ने अपनी पत्र सं एचडीपीईएल/सीएमडी/2020-21/001 दिनांक 18 मई 2020 के आधार पर एचडीपीईएल के प्रतिनिधियों के रूप में श्री एस बालाजी अरुणकुमार और श्री चंद्र मणि रावत के निदेशक पद को वापस ले लिया है।

यह देखते हुए कि एचसीएसएल परियोजना निष्पादन के एक महत्वपूर्ण

चरण में है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने कंपनी के बोर्ड में श्री एस बालाजी अरुणकुमार और श्री चंद्र मणि रावत की नियुक्ति हेतु पोत परिवहन मंत्रालय से लगभग 3 साल की अवधि के लिए स्वीकृति मांगी थी। हालांकि पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 04 फरवरी 2020 के अपने पत्र सं एसवाई-11012/2/2020-एचसीएसएल दिनांक 04 फरवरी 2020 के अनुसार केवल श्री चंद्र मणि रावत की नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दी। तदनुसार दिनांक 29 मई 2020 को आयोजित अपनी 13 वीं बैठक में निदेशक मंडल ने श्री एस बालाजी अरुणकुमार को दिनांक 29 मई 2020 को व्यापार समय की समाप्ति से कंपनी के निदेशक पद से हटा दिया है, और श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएनः 06935852) को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के लेख के अनुच्छेद संख्या 68 (i) के अनुसार कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार, श्री चंद्र मणि रावत आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही कार्यालय के प्रभारी रहेंगे, लेकिन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। दिनांक 29 मई 2020 को आयोजित अपनी 13 वीं बैठक में निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के तहत आवश्यक रूप से श्री चंद्र मणि रावत की नियुक्ति की सिफारिश की है। उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु अपनी समहति दी है और उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

श्री चंद्र मणि रावत का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

श्री चंद्र मणि रावत ने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि और एक्सआईएम, भुवनेश्वर और आईआईआरएस देहरादून से प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की है। वे हाल ही में भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के निदेशक (आईडब्ल्यूटी और इंजीनि.) के रूप में काम कर रहें हैं और बांग्लादेश और म्यांमर सहित भारत के आईडब्ल्यूटी क्षेत्र से संबंधित कार्यों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और टीएएमपी और एएलएचडब्ल्यू और एचडीपीईएल के साथ-साथ पोत परिवहन मंत्रालय के विकास खंड से संबंधित मामला शामिल हैं। पोर्ट / हार्बर इंजीनियरिंग (कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) में नदी / नदीमुख में ड्रेजिंग, नदी हाइड्रॉलिक्स और आरएंडडी से संबंधित क्षेत्रों में 24 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के विकास के लिए कई देशों का दौरा किया है। वे हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड में निदेशक भी हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन हेतु सूचना के मद संख्या 4 पर संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री चंद्र मणि रावत के अलावा कंपनी के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को सूचना के मद संख्या 4 में वित्तीय या अन्यथा किसी भी तरह संबंधित, संबद्ध, संकल्प में नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
एम. सं. ए 41969

स्थान : कोच्ची
दिनांक : जुलाई 30, 2020

पंजीकृत कार्यालयः
दि लेगसी, 25 ए, शेक्सपियर सारणी, लेवल 1,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017
सीआईएन : U35900WB2017GOI223197
फोनः +91 (33) 44000517
ई-मेलः secretary.hcsl@cochinshipyard.com

प्रपत्र सं. एमजीटी-11

परोक्षी प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3)के अनुसार]

बैठक का स्थान : कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015

दिन, दिनांक और समय : अगस्त 04, 2020 - मंगलवार - 11.00 घंटे

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	

मैं/ हम, ... शेयर संभालनेवाले हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक सदस्य हैं, निम्नलिखितः

1.

नाम :
पताः
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर

या उनकी अनुपस्थिति पर

2.

नाम :
पताः
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर

या उनकी अनुपस्थिति पर

3.

नाम :
पताः
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर

को दि. 04 अगस्त, 2020 को 11.00 घंटे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल-15 में आयोजित होनेवाले कंपनी के सदस्यों के तीसरी वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए/ हमारे और से मेरे/ हमारे परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थिति होने और मत देने (पॉल पर) केलिए एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं और ऐसे संकल्प के संबंध में इसके किसी भी स्थगन नीचे सूचित किया जाता है:

क्र.सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
सामान्य व्यापार			
1.	दिनांक 31 मार्च 2020 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।		
2.	श्री मधु एस नायर(डीआईएनः 07376798) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति केलिए उन्हें पेश करते हैं।		
3.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षकों की पारिश्रमिक नियुक्त करना।		
विशेष व्यापार			
4.	निदेशक के रूप में श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन : 06935852) की नियुक्ति		

2019 के ..... दिन.....हस्ताक्षर किया।

रेवन्यू स्टैम्प लगा दें

शेयरधारक का हस्ताक्षर परोक्षी धारक का हस्ताक्षर

नोट : यह प्रपत्र प्रभावी होने केलिए विधिवत् भरकर,बैठक शुरू होने के कम से कम 48 घंटे से पहले कंपनी पंजीकृत पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

बैठक का स्थान : कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015

दिन, दिनांक एवं समय : अगस्त 04, 2020, मंगलवार, 11.00 घंटे

कृपया उपस्थिति पर्ची भरें और इसे बैठक स्थान के प्रवेश पर सौंप दें।

शेयरधारक का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	
संभाले शेयरों की सं.	

मैं प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के पंजीकृत शेयरधारक/ परोक्षी है।

मैं दिनांक 04 अगस्त, 2020, मंगलवार, 11.00 घंटे को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति एतद्द्वारा रिकॉर्ड करता/ती हूँ।

शेयरधारक या परोक्षी का हस्ताक्षर

बैठक के स्थान का रूट मैप

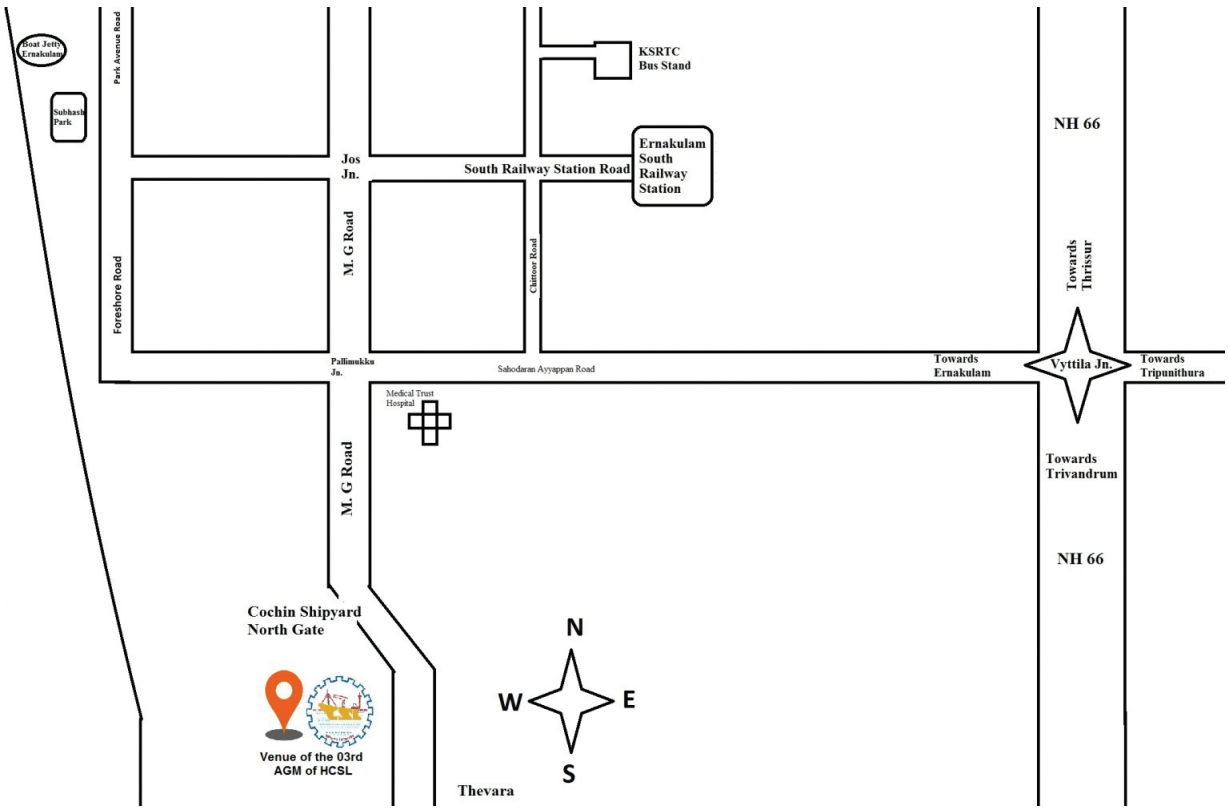

शेयरधारक की सहमति

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अधीन]

सेवा में,
निदेशक मंडल
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
दि लेगसी, 25 ए, शेक्सपियर सारणी
स्तर-1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017

मैं, ———————— , ———————— का पुत्र, ————————, ———————— ————————, ———————— का निवासी, कंपनी में प्रत्येक 10 रूपए के ———————— इक्विटी शेयर का धारक यहाँ एतद्द्वारा कंपनी के 03 वीं वार्षिक आम बैठक (वा.आ.बै), अगस्त 04, 2020 को कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में लघु सूचना पर करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार सहमति देते हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :

03 वीं वार्षिक आम बैठक (वा.आ.बै) में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण

[भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (भा.कं.स.सं) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के उद्देश्य]

निदेशक का नाम	श्री मधु एस नायर	श्री चंद्र मणि रावत
डीआईएन	07376798	06935852
आयु एवं जन्मतिथि	54 और जनवरी 05, 1966	56 और जुलाई 16, 1964
योग्यताएं	वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है।	उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि और एक्सआईएम, भुवनेश्वर और आईआईआरएस देहरादून से प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की है।
अनुभव	श्री मधु एस नायर, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। उन्हें पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में 32 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है।	श्री चंद्र मणि रावत हाल ही में भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के निदेशक (आईडब्ल्यूटी और इंजीनि.) के रूप में काम कर रहें हैं और बांग्लादेश और म्यांमर सहित भारत के आईडब्ल्यूटी क्षेत्र से संबंधित कार्यों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और टीएएमपी और एएलएचडब्ल्यू और एचडीपीईएल के साथ-साथ पोत परिवहन मंत्रालय के विकास खंड से संबंधित मामले में शामिल हैं। पोर्ट / हार्बर इंजीनियरिंग (कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) में नदी / नदीमुख में ड्रेजिंग, नदी हाइड्रॉलिक्स और आरएंडडी से संबंधित क्षेत्रों में 24 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के विकास के लिए कई देशों का दौरा किया है।
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री मधु एस नायर को बोर्ड में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के नामिती के रूप में दिनांक 23 अक्तूबर 2017 को कंपनी के पहले निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। जब तक उनका नामांकन वापस नहीं लिया जाता, तब तक श्री मधु एस नायर के निदेशक पद पर बने रहने हेतु सदस्यों की स्वीकृति मांगी जाती है। पुनः नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वह कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति होने हेतु उत्तरदायी है।	श्री चंद्र मणि रावत को बोर्ड में हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के नामिती के रूप में दिनांक 23 अक्तूबर 2017 को कंपनी के पहले निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। एचडीपीईएल ने अपने पत्र सं एचडीपीईएल/सीएमडी/2020-21/001 के आधार पर दिनांक 18 मई 2020 को एचडीपीईएल नामिती के रूप में अपने निदेशक पद को वापस ले लिया है। हालांकि पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं एसवाई-11012/2/2020- एचसीएसएल दिनांक 04 फरवरी 2020 के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए श्री चंद्र मणि रावत की नियुक्ति हेतु अपनी मंजूरी

		दी है। तदनुसार दिनांक 29 मई 2020 को आयोजित अपनी 13 वीं बैठक में श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन: 06935852) को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के लेख के अनुच्छेद संख्या 68 (i) के अनुसार कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उक्त बैठक में बोर्ड ने शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के तहत आवश्यकतानुसार निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की भी सिफारिश की है। उपरोक्त के मद्देनज़र, 3 साल की अवधि के लिए श्री चंद्र मणि रावत की नियुक्ति के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी गई है। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वे नियमित आवर्तन से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।
पुनर्नियुक्ति पर भुगतान करने केलिए मांगे गए और अंतिम आहरित पारिश्रमिक संबंधी विवरण (वित्तीय वर्ष 2019-20)	शून्य	शून्य
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अक्तूबर 23, 2017	अक्तूबर 23, 2017
कंपनी में संभाले शेयरों की संख्या	10 (सीएसएल की ओर से शेयर संभाला है।)	शून्य
अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	5/5	2/5
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं सेक्शन 8 कंपनियों को छोडकर)	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हुगली डॉक व पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
समितियों में सदस्यता/अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता	शून्य	शून्य

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

1. आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ आपकी कंपनी की 03 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बहुत खुशी है।

परियोजना - पृष्ठभूमि

2. कंपनी के नज़ीरगंज इकाई में नए शिपयार्ड का निर्माण प्रगति पर है। यह कार्य विभिन्न कार्य पैकेजों के अधीन संकुल अर्थात, सिविल, बाहरी विद्युत, अग्निशमन, गैस पाइपिंग, क्रेन और मशीन, ईएलवी, एचवीएसी सहित यांत्रिक कार्यों और अन्य पैकेज जिसमें विचलन शेड़, चरखी और पालना निर्माण, पोंटून निर्माण आदि शामिल हैं। नज़ीरगंज में आवश्यक पोत निर्माण बुनियादी सुविधाओं की स्थापना हेतु साइट की गतिविधियां वर्ष 2019-20 के दौरान गति पकड़ती हैं।

3. सिविल कार्य संकुल के तहत गतिविधियों के साथ निर्माण कार्य शुरू हुआ और सिविल कार्यों की प्रत्यक्ष प्रगति 50% के स्तर को पार कर गई जब कंपनी को दिनांक 23 मार्च 2020 से कोविड-19 स्थिति के कारण सभी कार्यों को रोकना पड़ा। दिनांक 31 मार्च 2020 तक सिविल कार्य संकुल के तहत गतिविधियों की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है:

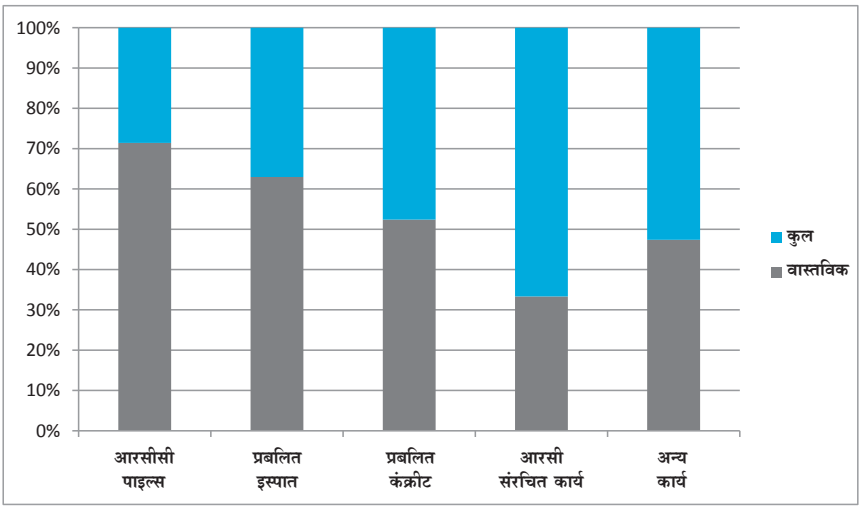

4. वर्ष के दौरान अन्य कार्य संकुल अर्थात विद्युत, गैस पाइपिंग, अग्निशमन आदि के तहत गतिविधियां भी शुरू की गई है जो निष्पादन के विभिन्न चरणों के अधीन हैं। गैस प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली और विद्युत कार्यों जैसी उपयोगिताओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं। प्रमुख मशीनरी और क्रेन हेतु क्रय आदेश रखे गए हैं और उस की आपूर्ति सिविल कार्य की प्रगति के अनुरूप की जा रही है।

5. वर्ष के दौरान, नज़ीरगंज में दो आउटफिटिंग जेट्टियों का निर्माण पूरा किया गया और दिनांक 30 जनवरी 2020 को एक का उद्घाटन श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एचसीएसएल और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा और दूसरे का श्री एस बालाजी अरुणकुमार, निदेशक, एचसीएसएल और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) द्वारा किया गया। पोत परिवहन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार एक आउटफिटिंग जेट्टी को पूरा करने हेतु उत्कृष्ट रेटिंग के लिए नियत तिथि दिनांक 15 फरवरी 2020 था।

6. दिनांक 03 अक्तूबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसरण में, एचडीपीईएल की भूमि संपत्ति का स्वामित्व फरवरी 2020 को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस तरह के हस्तांतरण पर भारत सरकार ने एचडीपीईएल को ऋणदाता के रूप में प्रतिस्थापित किया है और पट्टे पर दी गई भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन को दर्शाने हेतु घोषणा का एक विलेख भारत सरकार के विचाराधीन है। इसे जल्द ही कंपनी और भारत सरकार के बीच अमल करने की उम्मीद है।

7. वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति की ओर, दुनिया ने कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप को देखा, जिसने दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। महामारी के फैलाव को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था, जिसके कारण दिनांक 23 मार्च 2020 से दिनांक 08 जून, 2020 तक नज़ीरगंज में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया था। दिनांक 09 जून 2020 से सीमित जनशक्ति के साथ काम फिर से शुरू हो गया है, लेकिन गति पूर्व-कोविड के स्तरों तक नहीं पहुँची है। महामारी के कारण होनेवाले श्रम दिनों की कमी पर ध्यान रखते हुए, जून 2020 की मूल अनुबंध तिथि को संशोधित करके सितंबर 2021 तक किया जाएगा। फिर भी, मूल अनुबंध तिथि, यानी जून 2021 के अंतर्गत परियोजना को पूरा करने और यार्ड के संचालन शुरू करने केलिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। महामारी का पूरा प्रभाव और परियोजना को किस हद तक वापस लिया जा सकता है, यह केवल निर्माण गतिविधियों की प्रगति के दौरान पता लगाया जा सकता है बशर्ते फिर से कुल लॉकडाउन की आवश्यकता न हो।

वित्तीय विवरण

8. कंपनी जो अपेक्षित शिपयार्ड संरचना सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 248.76 लाख रुपए (133.19 लाख रुपए - गत वर्ष) की हानि रिपोर्ट की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हुए कुल पूंजी खर्च 3,641.55 लाख रुपए (347.12 लाख रुपए - गत वर्ष) है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31 मार्च 2020 को	दिनांक 31 मार्च 2019 को
(i)	सकल आय	77.14	75.77
(ii)	वित्तीय लागत पूर्व लाभ/(हानि), मूल्यह्रास एवं कर	(197.79)	(175.84)
(iii)	वित्तीय लागत	(33.01)	-
(iv)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	(20.78)	(4.32)
(v)	कर पूर्व लाभ /(हानि)	(251.58)	(180.16)
(vi)	कर परिसंपत्ति	2.82	46.97
(vii)	निवल लाभ/ (हानि)	(248.76)	(133.19)

शेयर पूंजी

9. कंपनी के प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,000 (रुपए पच्चीस करोड मात्र) है, जो प्रत्येक 10 रुपए (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के 2,50,00,000 (दो करोड पचास लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 22,00,00,000 (रुपए बाईस करोड मात्र) है जो प्रत्येक 10. रुपए (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के 2,20,00,000 (दो करोड बीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। दिनांक 03 अक्तूबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसरण में, एचडीपीईएल द्वारा रखे गए कंपनी के 57,20,000 (26%) इक्विटी शेयरों को सीएसएल द्वारा दिनांक 01 नवंबर 2019 को खरीदा गया था और तब से पूरी भुगतान वाली इक्विटी शेयर पूंजी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के पास है।

ऋणपत्र

10. कंपनी के पास 1,000 रूपए (केवल एक हज़ार रूपए) के अंकित मूल्य के 4,40,000 असुरक्षित गैर-प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (ऋणपत्र) हैं, प्रत्येक को दिनांक 31 मार्च 2020 तक बकाया हैं। ऋणपत्र, 44,00,00,000 रूपए (केवल चौंतालीस करोड़ रूपए) की राशि के लिए सीएसएल को प्रति वर्ष 6.50% की ब्याज दर पर 60 महीनों की अवधि के साथ सितंबर 2018 के महीने में जारी किए गए थे। ऋणपत्र, सितंबर 2023 में ऋणमुक्ति के लिए देय है।

लाभांश

11. कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है, इसलिए कि कंपनी फिलहाल परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और उसका कोई विभाज्य लाभ नहीं है।

आरक्षण अंतरण

12. कंपनी परियोजना कार्यान्वयन चरण में और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हानि होने के कारण, कंपनी आरक्षण में किसी भी राशि को अंतरित करने में असमर्थ है।

राजकोष में अंतरण

13. वर्ष 2019-20 के दौरान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर (टीडीएस) के माध्यम से किए कुल अंशदान लगभग 112.74 लाख रुपए (74.17 लाख रुपए - गत वर्ष) है।

श्रमशक्ति स्थिति

14. दिनांक 31 मार्च 2020 तक कंपनी में 11 कर्मचारी हैं जिनमें 7 कार्यपालक, 3 परियोजना अधिकारी और 1 मुख्य परियोजना अभियंता शामिल हैं। कंपनी में आदर्श कार्मिक आवश्यकता स्तर सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त श्रमशक्ति की तैनाती हेतु भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। उपरोक्त के अलावा, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कर्मचारी भी परियोजना के सुचारू निष्पादन हेतु प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं।

कर्मचारियों और संबंधी प्रकटीकरण का विवरण

15. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 जून 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इसके नियमों से छूट दी गई है। अतः निदेशकों की पारिश्रमिक के विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय तथा खर्च

16. कंपनी, शिपयार्ड अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है और इसका उद्देश्य, जहां भी संभव हो, ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाना है, प्रचालन शुरू होने पर प्रौद्योगिकी अवशोषण भी हासिल किया जाएगा।

17. वर्ष 2019-20 के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय और व्यय नहीं हुआ है।

जोखिम प्रबंधन

18. कंपनी, अपेक्षित शिपयार्ड अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है और परियोजना की प्रगति को समीक्षा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश केलिए समय-समय पर बोर्ड को सूचित किया जाता है। एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जा सकती है और व्यापार प्रचालन शुरू होने पर अपनाई जा सकती है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई)

19. कंपनी कार्यबल और पर्यावरण जिसमें कार्य किया जा रहा है, उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देती है। इसके लिए, कंपनी कार्यबल केलिए समय-समय पर एचएसई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। इसके भाग के रूप में, लोगों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए दिनांक 04 मार्च 2020 को एचसीएसएल में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया।

औद्योगिक सुरक्षा

20. कंपनी की बाह्य सुरक्षा डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा अभिकरण, मै. कर्नल (टीएस) पृथ्वी राजन दास (सेवानिवृत्त) को सौंप दिया गया है। कुल 41 कार्मिक को तैनात किया गया है, जिसमें से 24 कंपनी के नजीरगंज यूनिट में और 17 साल्किया यूनिट में तैनात है।

निदेशक मंडल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

21. इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, कंपनी में 5 निदेशक हैं, जिनमें से सभी गैर-कार्यपालक निदेशक और 3 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक जैसे : सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव हैं, विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री एन वी सुरेष बाबु	07482491	गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर-कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर-कार्यपालक निदेशक
5.	श्री चंद्र मणि रावत	06935852	गैर-कार्यपालक निदेशक
6.	श्री राजेष गोपालकृष्णन	लागू नहीं	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
7.	श्री शिबु जॉण	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी
8.	श्री अश्विन शर्मा एम	लागू नहीं	कंपनी सचिव

22. श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को दिनांक अगस्त 03, 2019 से श्री डी पॉल रंजन (डीआईएन : 06869452) के स्थान पर सीएसएल के नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

23. सीएसएल को कंपनी में एचडीपीईएल द्वारा रखे गए शेयरों की बिक्री के अनुसार, एचडीपीईएल ने दिनांक 29 मई 2020 को व्यापार घंटे की समाप्ति से अपने नामिति निदेशकों श्री एस बालाजी अरुणकुमार (डीआईएन: 07526368) और श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन: 06935852) को निर्लिप्त किया है। हालांकि, श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन: 06935852) को पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 04 फरवरी 2020 के पत्र सं एस.वाई-11012/2/2020- एचसीएसएल के अनुसरण में दिनांक 29 मई 2020 को कंपनी के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया।

24. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक भी, कंपनी के निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पद में कोई परिवर्तन नहीं है।

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

25. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पांच बोर्ड बैठक आयोजित की गईं और दो बैठकों के अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं हुआ है। बोर्ड की बैठक आयोजित होने की तिथियां और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	दिनांक	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	अप्रैल 22, 2019	6	5
2.	जुलाई 12, 2019	6	6
3.	जुलाई 22, 2019	6	4
4.	अक्तूबर 28, 2019	6	6
5.	जनवरी 30, 2020	6	5

26. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दी गई है :

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	उपस्थित हुई बोर्ड बैठकों की सं.
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	5/5
2.	श्री डी पॉल रंजन*	06869452	3/3
3.	श्री एन वी सुरेष बाबु	07482491	4/5
4.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	5/5
5.	श्री जोस वी जे*	08444440	2/2
6.	श्री बालाजी अरुणकुमार	07526368	5/5
7.	श्री चंद्र मणि रावत	06935852	2/5

*श्री डी पॉल रंजन (डीआईएन : 06869452) को दिनांक अगस्त 03, 2019 से निदेशक के रूप में श्री जोस वी जे के साथ प्रतिस्थापित किया गया।

बोर्ड की समितियां

27. कंपनी ने एक प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन और अंतरण समिति गठित की है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समिति का गठन और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दी जाती है:

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	उपस्थित हुई बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष	2/2
2.	श्री एन वी सुरेष बाबु	07482491	सदस्य	2/2
3.	श्री जोस वी जे	08444440	सदस्य	2/2

28. समिति की दो बैठक वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 01 नवंबर 2019 और 30 जनवरी 2020 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

बोर्ड के निष्पादन की मूल्यांकन

29. दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी पच्चीस करोड रुपए से कम होने के कारण, बोर्ड अपने निष्पादन और उसकी समितियां और व्यक्तिगत निदेशकों द्वारा किए गए औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन को सूचित करते हुए विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं प्रकट किया है। फिर भी, कॉरपरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 के अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रत्येक प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान करता है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण से संबंधित धारा 134 (3)(पी) मंत्रालय जो इसके मूल्यांकन कार्यप्रणाली के अनुसार कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी है, द्वारा निदेशकों के मूल्यांकन किया जाने के मामले में, सरकारी कंपनियों को लागू नहीं है। आगे, उक्त छूट अधिसूचना, निदेशकों की नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उप-धारा (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से भी सरकारी कंपनियों को छूट देती है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

30. कंपनी को अब तक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

31. आपके निदेशक प्रकट करते है कि:

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया था।

ख) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लिया और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के लाभ तथा हानि से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने केलिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव केलिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

घ) निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ड.) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने केलिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधी पार्टियों के साथ ठेके और व्यवस्थाएं

32. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के साथ पट्टे पर प्रवेश किया है जो दिनांक 12 जुलाई 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुसमर्थित किया। इसके संबंध में एओसी-2 प्रपत्र में प्रकटीकरण **अनुबंध-1** में प्रस्तुत किया है। ऊपर बताए को छोडकर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित किया है। आगे, आपके निदेशक ने वित्तीय बयान की टिप्पणी 27 जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण का प्रदर्शन करते हैं, की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

निगमित शासन

33. दिनांक 08 जुलाई 2014 को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं.18(8)/2005-जीएम के अनुसार एचसीएसएल को निगमित शासन पर दिशार्निदेशों के अनुपालन से छूट है। फिर भी, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सावर्जनिक उद्यम केलिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के अनुपालन में तैयारित निगमित शासन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग में एक अलग भाग में प्रस्तुत किया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

34. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सावर्जनिक उद्यम केलिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के अनुपालन के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष केलिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग में एक अलग भाग में प्रस्तुत किया है।

आतंरिक वित्तीय नियंत्रण

35. बोर्ड ने लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी तथा प्रस्तुति सुनिश्चित करते हुए अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधडी को रोकने और पहचानते हुए कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आयोजन को सुनिश्चित करते हुए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

36. कॉरपरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थान (आईसीएसआई) ने दिनांक 1 जुलाई 2015 से प्रभावी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

37. वित्तीय वर्ष 2019-20 केलिए भारतीय नियंत्रण एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मै. घोशाल बसु एवं रे (सीए 0624), सनदी लेखाकार, कोलकाता को नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

38. मेसर्स घोशाल, बसु एवं रे, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 29 मई, 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फिर भी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(क) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अवलोकनों के अनुसार, मेसर्स घोशाल, बसु एवं रे ने दिनांक जुलाई 20, 2020 को एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोनों रिपोर्टों में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों को **अनुबंध- II** में प्रस्तुत किया है।

वार्षिक विवरणी का सार

40. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार फॉर्म एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का सार **अनुबंध- III** में प्रस्तुत किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

41. कंपनी अपने परियोजना कार्यान्वयन चरण में होने के कारण, सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में नहीं है। आगे, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है।

सतर्कता

42. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लंबित/निपटाए गए कोई सतर्कता मामला नहीं है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा

43. भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने कंपनी के अनुपूरक लेखापरीक्षा को महा लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला), ऑल्ड निजाम पैलेस, 234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता - 700 020 को सौंपा। फिर भी, उक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई लेखापरीक्षा आपत्तियां नहीं उठायी गयी है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

44. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सूचना अधिकार (आरटी आई) अधिनियम, 2005 के अधीन दो अनुरोध प्राप्त हुआ था जो पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा स्थानांतरित किया था और उसकी केलिए उचित उत्तर प्रदान किया गया है।

धारा 143 के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधडी का विवरण

45. शून्य।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

46. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच नहीं हुआ है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

47. रिपोर्टाधीन अवधि में कंपनी ने :

क. किसी व्यक्ति को या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है।

ख. किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के सिलसिले में कोई गारंटी नहीं दिया है और प्रतिभूति नहीं प्रदान किया है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारितानुसार, किसी अन्य निगमित निकाय के प्रतिभूतियों को अभिदान, खरीदी या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

48. कंपनी ने अभी तक अपने व्यापार प्रचालन की शुरूआत नहीं की है और व्यापार प्रचालन शुरू करने केलिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और श्रमशक्ति लगाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

निक्षेप

49. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

महत्वपूर्ण आदेश

50. कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

अन्य प्रकटीकरण

51. कार्यस्थान में महिलाओं के यौन उत्पीडन (प्रतिषेध, प्रतितोषण और निवारण) अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए नियमों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई मामला फाइल नहीं किया है/ न निपटाया गया है।

आभारोक्ति

52. निदेशक मंडल माननीय प्रधान मंत्री, माननीय पोत परिवहन मंत्री, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियेर्स लिमिटेड तथा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और पोत परिवहन मंत्रालय, सीएसएल, एचडीपीईएल तथा केओपीटी के सभी अधिकारियों के प्रति उनसे निरंतर प्राप्त हिमायत केलिए अत्यंत आभारी है। बोर्ड भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, कानूनी परिषदों, परामर्शकारों, आपूर्तिकारों, उप ठेकेदारों और कंपनी के बैंकरों के प्रति प्राप्त समर्थन एवं सहयोग केलिए कृतज्ञ है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से,

मधु एस नायर

स्थानः कोच्ची — अध्यक्ष

तारीखः जुलाई 30, 2020 — डीआईएनः 07376798

अनुबंध I

प्रपत्र सं. एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 के उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधी पार्टियों के साथ कंपनी किए ठेके/व्यवस्था के विवरणों के प्रकटीकरण केलिए प्रपत्र, जिसमें इसके अतिरिक्त तीसरे प्रावधान के अधीन कुछ निष्पक्ष लेनदेन भी शामिल हैं।

1. ठेका या व्यवस्था या अनिष्पक्ष लेनेदेन का विवरण - शून्य

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण
क)	संबंधी पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	
ख)	ठेका/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	
ग)	ठेका/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	
घ)	मूल्य सहित ठेके या व्यवस्था या लेनदेन के मुख्य निबंधन, यदि कोई हो।	
ड)	ऐसे ठेके या व्यवस्था या लेनदेन करने केलिए औचित्य	
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
छ)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो।	
ज)	धारा 188 के प्रथम प्रावधान के तहत अपेक्षितानुसार आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करने की तिथि	

2. ठेके या व्यवस्था या निष्पक्ष आधार के लेनदेन का विवरण

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण
क)	संबंधी पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल)। एचडीपीईएल, एचसीएसएल के इक्विटी शेयर पूंजी में 26% संभालते हैं।
ख)	ठेका/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	भूमि का पट्टा उधार।
ग)	ठेका/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	दो वर्ष।
घ)	मूल्य सहित ठेके या व्यवस्था या लेनदेन के मुख्य निबंधन, यदि कोई हो।	2.5% वार्षिक वृद्धि के साथ प्रति महीने प्रति 100 स्क्वयर मीटर 1,155 रुपए (रुपए एक हजार एक सौ और पचपन मात्र) के पट्टे किराए केलिए एचसीएसएल नजीरगंज सुविधा के आसपास और सामने स्थित और नजीरगंज में स्थित क्वार्टरों के सामने नजदीकी भूमि और शौचालय कॉम्प्लेक्स के निकस्टथ 9 मजदूर क्वार्टरों सम्मिलित 1000 स्क्वायर मीटर भूमि का पट्टा।
ड)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	12 जुलाई 2019
च)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	शून्य

कृते और निदेशक मंडल की ओर से,

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन: 07376798

स्थान: कोच्ची
तिथि: जुलाई 30, 2020

अनुलग्नक II

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने कलिए जिम्मेदार हैं। दिनांक 29 मई 2020 के उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और दिनांक 20 जुलाई 2020 के संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा ऐसा उनके द्वारा करने के बारे में बताया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने, दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए हुगली कोचीन शिपयार्ड के वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अधीन अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई थी और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश डाले गए मेरी लेखापरीक्षा अवलोकनों के फलस्वरूप, "अन्य मामला" के अधीन सूचितानुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए संशोधन की दृष्टि में, अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रस्तुत करने या पूरक करने केलिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक केलिए
की ओर से

(मौसमी राय भट्टाचार्या)
महा लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 27 जुलाई, 2020

निदेशक बोर्ड केलिए और की ओर से

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन: 07376798

स्थान: कोच्ची
दिनांक : जुलाई 30, 2020

अनुबंध III

फॉर्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का सार

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014
के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण व अन्य विवरण:

1.	सीआईएन	U35900WB2017GOI223197
2.	पंजीकरण तिथि	अक्तूबर 23, 2017
3.	कंपनी की नाम	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	निजी कंपनी / शेयरों द्वारा सीमित
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क विवरण	दि लेगसी, 25 ए शेक्सपियर सारणी, लेवल 1, कोलकाता - 700 017 पश्चिम बंगाल, भारत फोन: 913344000517 ई-मेल: secretary.hcsl@cochinshipyard.com
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	जी नहीं
7.	पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता कोई है तो, उनका नाम, पता व संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक अंशदान देने वाले सभी व्यावसायिक गतिविधियां बताना चाहिए)

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पादों / सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार की प्रतिशतता
लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी परियोजना चरण में है और अभी तक इसके संचालन शुरू नहीं किया है।			

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक / सहयोगी	संभाले शेयरों की	लागू धारा
1.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, एर्णाकुलम- 682015 केरल, भारत	L63032KL1972GOI002414	होल्डिंग	100	2(46)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

(i) श्रेणी वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में संभाले शेयरों की संख्या (01 अप्रैल 2019 को)				वर्ष के अंत में संभाले शेयरों की संख्या (31 मार्च 2020 के अनुसार)				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
क. संस्थापक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	10	10	-*	-	-	-	-	(-)*
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकायों	-	2,19,99,990	2,19,99,990	100#	2,19,99,940	60	2,20,00,000	100	-
ङ) बैंक/ एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (क)(1)	-	2,20,00,000	2,20,00,000	100	2,19,99,940	60	2,20,00,000	100	-
(2) विदेशी									
क) एनआरआई- व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निगमित निकायों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/ एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (क)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संस्थापक के कुल शेयर होल्डिंग (क) (1) + (क)(2)	-	2,20,00,000	2,20,00,000	100	2,19,99,940	60	2,20,00,000	100	-
ख. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थान									
क) म्यूअचल फण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/ एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर संस्थान									
क) निगमित निकाय									
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत									
i) एक लाख रुपए तक सामान्य शेयर पूँजी संभालने वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) एक लाख रुपए से अधिक सामान्य शेयर पूँजी संभालने वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)विदेशी कॉर्पोरेट निकायों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) विदेशी नागरिकों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) निकासी सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी निकायों- डी आर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (ख) = (ख) (1)+ (ख) (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर व एडीआर केलिए अभिरक्षक द्वारा संभाले शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (क+ख+ग)	-	2,20,00,000	2,20,00,000	100	2,19,99,940	60	2,20,00,000	100	-

* वर्ष की शुरुआत में केन्द्र सरकार द्वारा संभाले शेयरों का प्रतिशत और वर्ष के दौरान परिवर्तन 0.00004545 है। प्रतिशत उपरोक्त तालिका में नहीं दर्शाया गया है क्योंकि यह कंपनी के कुल शेयरों के आधार पर नगण्य है।

वर्ष की शुरुआत में निगमित निकायों द्वारा संभाले शेयरों का प्रतिशत 99.99995455 पर आता है। इसलिए यह 100 में पूर्ण किया है।

(ii). प्रोमोटरों की शेयरधारिता -

क्र. सं	शेयरधारकों का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता दि. 01 अप्रैल 2019 तक			वर्ष के अंत में शेयरधारिता दिनांक 31 मार्च 2020 तक			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी रखे/ ऋणग्रस्त शेयरों की प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी रखे/ ऋणग्रस्त शेयरों की प्रतिशत	
1.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल)	1,62,80,000	74	-	2,20,00,000	100	-	26
2.	हुगली डॉक व पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल)	57,19,990	26#	-	-	-	-	(26)#
3.	पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार	10	-*	-	-	-	-	(-)*

नोट: *कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा संभाले गए 2,20,00,000 शेयरों में से, 2,19,99,940 सीएसएल के नाम पर रखे गए हैं और शेष 60 शेयर (प्रत्येक 10 शेयर) सीएसएल की ओर से सीएसएल नामितियां संभाली गयी हैं।*

 # एचडीपीईएल द्वारा संभाले शेयरों का प्रतिशत 25.99995455 है। इसलिए यह 26 में पूर्ण किया है।

** पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संभाले शेयरों का प्रतिशत 0.00004545 है। प्रतिशत उपर्युक्त तालिका में नहीं दर्शाया गया है क्योंकि यह कंपनी के कुल शेयरों के आधार पर नगण्य है।*

(iii). प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो कृपया स्पष्ट करें)

क्र.सं	विवरण			वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता दिनांक 01 अप्रैल 2019 तक		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	वर्ष की शुरुआत में (दिनांक 01 अप्रैल 2019 तक)			2,20,00,000	100	-	-
	वृद्धि/कमी (उदा:आंबटन/ अंतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) केलिए कारण बताते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/ कमी:			-	-	-	-
	दिनांक	**नाम**	**कारण**				
	नवंबर 01, 2019	हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल)	आपसी अंतरण	(57,19,990)	(26)#	1,62,80,010	74$
	नवंबर 01, 2019	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल)	आपसी अंतरण	57,19,990	26#	2,20,00,000	100
	नवंबर 01, 2019	पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार	आपसी अंतरण	(10)	(-)*	2,19,99,990	100$
	नवंबर 01, 2019	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल)	आपसी अंतरण	10	-*	2,20,00,000	100
	वर्ष के अंत में दिनांक 31 मार्च 2020 तक			-	-	2,20,00,000	100

नोट: *# एचडीपीईएल और सीएसएल के बीच आपसी अंतरण के संबंध में प्रतिशतता 25.9995455 है। इसलिए यह 100 में पूर्ण किया है।*

** पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार और सीएसएल के बीच आपसी अंतरण के संबंध में प्रतिशतता 0.00004545 है। उपरोक्त तालिका में प्रतिशत नहीं दिखाया गया है क्योंकि यह कंपनी के कुल शेयरों के संदर्भ में नगणय है।*

$ एचडीपीईएल और पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के संबंध में कुल शेयरों केलिए वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी का प्रतिशत 74.00004545 और 99.99995454 है और इसलिए यह क्रमश: 74 और 100 में पूर्ण किया है।

(iv). सर्वोच्च दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों को छोडकर अन्य) का शेयर होल्डिंग पैटर्न - **शून्य**

कंपनी का प्रोमोटरों के अलावा कोई शेयरधारक नहीं है।

(v). निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता			वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता दि. 01 अप्रैल 2019 तक		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता दि. 31 मार्च 2020 तक	
				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों की प्रतिशतता
	वर्ष की शुरुआत में (दि 01 अप्रैल 2019 तक)						
1.	श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं सीएसएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 07376798)			10	-*		
2.	श्री पॉल रंजन डी, सीएसएल नामिति निदेशक# (डीआईएन : 06869452)			10	-*		
3.	श्री एन वी सुरेषबाबु, सीएसएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 07482491)			10	-*		
4.	श्री बिजोय भास्कर, सीएसएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 08103825)			10	-*		
5.	श्री एस बालाजी अरुणकुमार, एचडीपीईएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 07526368)			10	-*		
6.	श्री चंद्र मणि रावत, एचडीपीईएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 06935852)			10	-*		
7.	श्री जोस वी जे, सीएसएल नामिति निदेशक# (डीआईएन : 08444440)			-	-		
	वृद्धि/कमी (उदा. आंबटन/ अंतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) केलिए कारण बताते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/ कमी:						
	दिनांक	**नाम**	**कारण**				
	नवंबर 01, 2019	श्री डी पॉल रंजन	अंतरण	(10)	-*	-	-
	नवंबर 01, 2019	श्री जोस वी जे	अंतरण	10	-*	10	-*
	नवंबर 01, 2019	श्री एस बालाजी अरुणकुमार	अंतरण	(10)	-*	-	-
	नवंबर 01, 2019	श्री चंद्र मणि रावत	अंतरण	(10)	-*	-	-
	वर्ष के अंत में (दिनांक 31 मार्च 2020 तक)						
1.	श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं सीएसएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 07376798)			-	-	10	-*
2.	श्री पॉल रंजन डी, सीएसएल नामिति निदेशक (डीआईएन: 06869452)			-	-	-	-
3.	श्री एन वी सुरेषबाबु, सीएसएल नामिति निदेशक (डीआईएन: 07482491)			-	-	10	-*
4.	श्री बिजोय भास्कर, सीएसएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 08103825)			-	-	10	-*
5.	श्री एस बालाजी अरुणकुमार, एचडीपीईएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 07526368)			-	-	-	-
6.	श्री चंद्र मणि रावत, एचडीपीईएल नामिति निदेशक (डीआईएन : 06935852)			-	-	-	-
7.	श्री जोस वी जे, सीएसएल नामिति निदेशक# (डीआईएन : 08444440)			-	-	10	-*

नोट: *# श्री जोस वी जे को दिनांक 03 अगस्त 2019 श्री डी पॉल रंजन के स्थान पर सीएसएल के नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।*

** चूंकि निदेशकों द्वारा रखे गए कूल शेयरों का प्रतिशत नगणय है, इसलिए इसे उपरोक्त तालिका में नहीं दिखाया गया है। सीएसएल नामिति निदेशक सीएसएल की ओर से शेयर संभालते हैं। श्री एस बालाजी अरुणकुमार को एचडीपीईएल के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी के एमआए और एआए की सदस्यता लेने केलिए शेयर आबंटित किया गया है। श्री चंद्र मणि रावत को पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी के एमआए और एआए की सदस्यता लेने केलिए शेयर आबंटित किया गया है।*

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक जैसे, सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव कंपनी में कोई शेयर नहीं संभालते हैं।

V. ऋण - कंपनी का ऋण बकाया ब्याज/उपार्जित है लेकिन भुगतान के लिए योग्य नहीं।

(रुपए करोडों में)

	जमे को छोडकर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण (दि. 01 अप्रैल 2019 को)				
i) मुख्य राशि	-	44.00	-	44.00
ii) ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	01.54	-	01.54
कुल (i + ii + iii)	-	**45.54**	**-**	**45.54**
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ऋण में परिवर्तन				
वृद्धि	-	-	-	-
कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण (दि. 31 मार्च 2020 को)				
i) मुख्य राशि	-	44.00	-	44.00
ii) ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	01.54	-	01.54
कुल (i + ii + iii)	-	**45.54**	**-**	**45.54**

VI निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशक और/या प्रबंधक केलिए पारिश्रमिक - **शून्य**
कंपनी को प्रबंध निदेशक/ पूर्ण कालिक निदेशक या प्रबंधक नही है।

ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक - **शून्य**

नामिति निदेशकों को कंपनी द्वारा पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

ग) एमडी/ प्रबंधक/ डब्ल्यूटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक केलिए पारिश्रमिक - **शून्य**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है इसलिए कि वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), होल्डिंग कंपनी के कर्मचारी है और वे कंपनी में अपने काम के अतिरिक्त कंपनी में अपने संबंधित कार्यालयों को संभालते है।

VII जुर्माना / दंड / अपराधों का सम्मिश्रण - **शून्य**

कृते और निदेशक मंडल की ओर से,

मधु एस नायर

स्थान: कोच्ची

अध्यक्ष

दिनांक: जुलाई 30, 2020

डीआईएन: 07376798

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी का दर्शन

1. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("एचसीएसएल/ कंपनी") का मानना है कि अच्छा निगमित शासन प्रभावी और दूरदर्शी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है जो कंपनी की दीर्घकालिक सफलता प्रदान कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, एचसीएसएल पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और हितधारक वचनबद्धता के माध्यम से अच्छे शासन प्रथाओं केलिए प्रयास करता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 जुलाई 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है। फिर भी, कंपनी ने डीपीई द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग केलिए जारी निगमित शासन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन में निगमित शासन पर रिपोर्ट तैयार की है।

निदेशक मंडल

2. कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में गठित किया गया है और संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, बोर्ड में 11 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होंगे। एचडीपीईएल को निदेशकों की ऐसी संख्या नामित करने का अधिकार होगा, जैसा कि कंपनी में अपने शेयरधारिता के अनुपात में, कम से कम दो के अधीन, जब तक कंपनी में एचडीपीईएल का शेयरधारिता कम से कम 10% पर रखा जाता है। सीएसएल को शेष निदेशकों को कम से कम 3 निदेशकों के अधीन नामित करने का अधिकार होगा, जिन्हें सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सीएसएल की तरफ से नियुक्ति केलिए नामित किया जाएगा।

3. हालांकि, 'हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियेर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के कर्मचारियों केलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के परिसमापन और पुनर्गठन तथा बेहतर योजना प्रदान करने हेतु प्रस्ताव' के भाग के रूप में, केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दिनांक अक्तूबर 03, 2019 को अंकित मूल्य पर एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए कंपनी के शेयरों को सीएसएल द्वारा प्रत्यक्ष क्रय हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है। उक्त अनुमोदन के अनुसार, एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए 57,20,000 एचसीएसएल शेयरों को दिनांक नवंबर 01, 2019 को सीएसएल को अंतरित किया गया था और उक्त तिथि से प्रभावी होकर एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई। उपरोक्त की दृष्टि में और कंपनी के मौजूदा संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति हेतु निदेशकों को नामित करने केलिए प्राधिकृत किया जाता है।

4. इस रिपोर्ट की तिथि पर, कंपनी के बोर्ड में पांच गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। कंपनी को एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष है। इस रिपोर्ट की तिथि पर बोर्ड का संयोजन निम्नानुसार है:

क्र .सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	निदेशकता की श्रेणी
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री एन वी सुरेष बाबु	07482491	गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर-कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर-कार्यपालक निदेशक
5.	श्री चन्द्र मणि रावत	06935852	गैर-कार्यपालक निदेशक

5. निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण- शून्य

निदेशकों की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति

6. श्री डी पॉल रंजन (डीआईएन : 06869452) और श्री एस बालाजी अरुणकुमार (डीआईएन : 07526368) जिनके निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने केलिए उत्तरदायी थे और पात्र होने के कारण, दिनांक जुलाई 12, 2019 को आयोजित दूसरी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशकों के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। आगे, श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440), निदेशक (वित्त), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को दिनांक अगस्त 03, 2019 से श्री डी पॉल रंजन (डीआईएन : 06869452) के स्थान पर सीएसएल के नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

7. सीएसएल को कंपनी में एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए शेयरों की बिक्री के अनुसार, एचडीपीईएल ने दिनांक मई 29, 2020 को व्यापार घंटे की समाप्ति से अपने नामिति निदेशक, श्री एस बालाजी अरुणकुमार (डीआईएन : 07526368) और श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन : 06935852) को वापस ले लिया। फिर भी, श्री चंद्रमणि रावत (डीआईएन : 06935852) को दिनांक मई 29, 2020 को कंपनी के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया, जो दिनांक फरवरी 04, 2020 के पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. एसवाई-11012/2/2020-एचसीएसएल के अनुसार है।

8. निदेशकों जो इस रिपोर्ट की तिथि पर कंपनी के बोर्ड में हैं, उनके प्रोफाइल, निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति सहित, वार्षिक रिपोर्ट के प्रथम भाग में दिया है। इन निदेशकों द्वारा संभाले गए निदेशक पद और समिति के पदों संबंधी विवरण नीचे 'निदेशक पद और समिति के पद' शीर्षस्थ के तहत प्रदान किया है।

बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

9. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पांच बोर्ड बैठक आयोजित की गई। किसी भी दो बैठकों के बीच का अंतर एक सौ बीस दिन से कम है। एचसीएसएल की द्वितीय एजीएम 12 जुलाई 2019 को आयोजित की गई थी। उक्त बोर्ड बैठकों और एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक					एजीएम
	2019				2020	जुलाई 12, 2019
	अप्रैल 22	जुलाई 12	जुलाई 22	अक्तूबर 28	जनवरी 30	
श्री मधु एस नायर	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री डी पॉल रंजन*	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हाँ
श्री एन वी सुरेष बाबु	जी हाँ	जी हाँ	जी नहीं	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री बिजोय भास्कर	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री जोस वी जे*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हाँ	जी हाँ	लागू नहीं
श्री एस बालाजी अरुणकुमार	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री चन्द्र मणि रावत	जी नहीं	जी हाँ	जी नहीं	जी हाँ	जी नहीं	जी हाँ

* श्री डी पॉल रंजन (डीआईएन : 06869452) को दिनांक अगस्त 03, 2019 से निदेशक के रूप में श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440) के साथ प्रतिस्थापित किया गया।

निदेशकता और समिति स्थिति

10. इस रिपोर्ट की तिथि पर हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सहित निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता/ अध्यक्षता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/ अध्यक्षता की स्थिति नीचे दी गई है:-

निदेशक का नाम	निदेशकता की संख्या		बोर्ड समितियां	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
श्री मधु एस नायर	2	-	-	-
श्री एन वी सुरेष बाबु	-	2	-	1
श्री बिजोय भास्कर	-	2	-	-
श्री जोस वी जे	-	2	-	1
श्री चन्द्र मणि रावत	-	2	-	-

- उपरोक्त सूचितानुसार, निदेशकों द्वारा संभाले गए निदेशक पद में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में वैकल्पिक निदेशक के पद और निदेशक पद शामिल नहीं होता है।
- केवल सभी सार्वजनिक कंपनियों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों और शेयरधारकों की रिश्ते समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड समितियां

11. कंपनी परिचालन शुरू करने केलिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और जनशक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 जुलाई 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है।

12. कंपनी ने एक प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन और अंतरण समिति का गठन किया है। इस रिपोर्ट की तिथि तक, समिति का गठन और वित्त वर्ष 2019-20 में सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष	2/2
2.	श्री एन वी सुरेष बाबु	07482491	सदस्य	2/2
3.	श्री जोस वी जे	08444440	सदस्य	2/2

13. समिति की दो बैठक वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक नवंबर 01, 2019 और जनवरी 30, 2020 को आयोजित की गई। सभी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

साधारण समिति बैठकें

14. कंपनी दिनांक 23 अक्तूबर 2017 को निगमित किया गया था और अतः पिछले तीन वर्षों में एक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया है
2017-18	जुलाई 18, 2018 11.00 बजे	दि लेगसी, 25 ए, शेक्सिपयर सारणी, लेवल 1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017 (पंजीकृत कार्यालय)	जी हां*
2018-19	जुलाई 12, 2019 10.00 बजे	दि ललित ग्रेट ईस्टेर्न कोलकाता, 1,2,3 ऑल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, दलहाउसी स्क्वाइयर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 069	जी नहीं

* 200 करोड रुपए तक उधार सीमा और उक्त 200 करोड रुपए की सीमा के अंतर्गत 100 करोड तक एनसीडी सहित इक्विटी शेयरों को छोडकर प्रतिभूतियों का निजी स्थापन अनुमोदित करनेवाले विशेष संकल्प दिनांक 18 जुलाई, 2018 को वार्षिक आम बैठक में पारित किया गया।

15. दिनांक अक्तूबर 23, 2017 को इसके निगमन के बाद कंपनी की दो असाधारण आम बैठक आयोजित की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया है
दिसंबर 14, 2017 17.00 बजे	दि लेगसी, 25 ए, शेक्सिपयर सारणी, लेवल 1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017 (पंजीकृत कार्यालय)	जी हां *
फरवरी 17, 2020 10.00 बजे	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015	जी हां #

* दिनांक दिसंबर 14, 2017 को आयोजित कार्यपालक आम बैठक में सीएसएल को एचडीपीईएल केलिए शेयरों की जारी हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया।

कंपनी के लिए नए संस्था के अंतर्नियम की स्वीकृति केलिए विशेष संकल्प दिनांक फरवरी 17, 2020 को आयोजित कार्यपालक आम बैठक में पारित किया गया।

16. कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक दिनांक अगस्त 04, 2020 को 11.00 बजे, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में आयोजित करने हेतु अनुसूचित है।

अन्य प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टी लेन - देन

17. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बडे पैमाने पर संघर्ष थे या हो सकता है।

(ii) कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

18. कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के कोई मामला नहीं थे। पिछले तीन सालों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/ बाध्यता नहीं लगाया गया है।

(iii) विसिल ब्लोअर पॉलिसी

19. कंपनी संचालन शुरू करने केलिए आवश्यक बुनियादी संरचनाएं और श्रमशक्ति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक बार बुनियादी संरचनाएं स्थापित करने के बाद और कंपनी अपने संचालन शुरू कर लेती है, यह अवैध या अनैतिक प्रथाओं, अनैतिक व्यवहार वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या कंपनी के आचरण नियमावली या नैतिक नीति के उल्लंघन की घटनाएं प्रबंधन की रिपोर्ट करने हेतु शेयरधारकों केलिए ढांचा प्रदान करने केलिए एक विसिल ब्लोअर पॉलिसी तैयार करेंगी और लागू करेगी।

(iv) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन

20. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 जुलाई 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों और वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में भी उनके अनुपालन का विवरण

21. कंपनी परियोजना कार्यान्वयन चरण में है, जो कोलकाता में नजीरगंज में आवश्यक पोत निर्माण बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है। कंपनी, जहां भी लागू हो, सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन कर रही है।

(vi) खाता बहियों में लिखे गए व्यय के मदों जो व्यापार के प्रयोजनों केलिए नहीं है

शून्य

(vii) किए गए व्यय जो वैयक्तिक प्रकृति का है और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन केलिए किए गए हैं

शून्य

(viii) वर्ष 2019-20 केलिए कंपनी के प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्ययों 42.39% (पिछले वर्ष 47.49%) थे। वर्ष 2019-20 में वित्तीय खर्च कुल व्यय 10.04% (पिछले वर्ष 0%) था।

(ix) परिणामों के संचार साधन

22. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी परिचालन शुरू करने केलिए नजीरगंज में आवश्यक पोत निर्माण बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है। चूंकि कंपनी के शेयरों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध नहीं है, तिमाही/ छमाही/ वार्षिक परिणामों को प्रकाशित करने केलिए कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों को सीएसएल के वेबसाइट www.cochinshipyard.com में उपलब्ध किया जाएगा और उसी को एक बार कंपनी के वेबसाइट चालू होने पर कंपनी के वेबसाइट में उपलब्ध किया जाएगा।

(x) लेखापरीक्षा योग्यता

23. वित्त वर्ष 2019-20 केलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक, मै. घोशाल बसु व रे, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

(xi) बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

24. वर्तमान में कंपनी साल्किया और नजीरगंज इकाइयों में संचालन शुरू करने केलिए आवश्यक बुनियादी और श्रमशक्ति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यथासमय बोर्ड के सदस्यों को व्यवसाय की सफलता केलिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पत्राचार केलिए पता:

दि लेगसी, 25ए, शेक्सपियर सारणी
लेवल-1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017
दूरभाष: +91 (33) 44000517
ईमेल: secretary.hcsl@cochinshipyard.com

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन: 07376798

स्थान: कोच्ची
दिनांक: जुलाई 30, 2020

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरंदेशी विवरण

1. इस प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा कंपनी के उद्देश्यों, उम्मीदों या भविष्यवाणियों का वर्णन करने वाले कंपनी के संचालन के परिणाम लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अर्थ के अंतर्गत आगे बढ सकते हैं। दूरंदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और उम्मीदों पर आधारित है। कंपनी गारंटी नही दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या वास्तविक हो जाएगा। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर इस दूरंदेशी को लोकव्यापी रूप से संशोधित, परिवर्तन करने, पुनरीक्षित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए गए परिणाम से असल में भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं उनमें नौसेना प्लेटफार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी विनियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल है। वित्तीय विवरणों को लेखाकरण के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया जाता है। हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('एचसीएसएल' या 'कंपनी') के प्रबंधन ने समझदार और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमानों और निर्णयों का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण वर्ष के मामलों की स्थिति पर सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।

2. हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल इन विवरणों की टिप्पणियों के साथ पढा जाना चाहिए। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नही किया गया हो या संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, यहाँ तक कि 'हम', 'हमारी', 'कंपनी', 'हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड', 'सीएसएल', 'ग्रूप' में सभी संदर्भ हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इसकी होल्डिंग कंपनी है।

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. उपलब्ध इनपुट के अनुसार, वैश्विक पोत निर्माण उद्योग अभी भी मंदी के दौर से गुजर रहा है, जो अगले साल तक जारी रहने की संभावना है। इसकेलिए मुख्य कारण तेल की कीमतों में हुई गिरावट थी। कोविड-19 संकट इस क्षेत्र को और आगे भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं और व्यापार में भी गिरावट आई हैं।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

4. रक्षा और अंतर्देशीय/तटीय जलमार्ग क्षेत्रों में अवसर भारतीय पोत निर्माण उद्योग की मुख्य विशेषताएं थी। अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की मांग को बढाने की उम्मीद है। यह अनुमान लागाया जाता है कि इसे चालू करने के बाद राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्गों ले जाने केलिए प्रतिवर्ष लगभग 150 वेसलों की आवश्यकता हो सकती है।

अंतर्देशीय जलमार्गों में भारत सरकार की पहल

5. भारत सरकार ने विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ जलमार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग सं 1 (एनडब्ल्यू-1) विकसित करने केलिए पहल की है।

6. प्रस्तावित परियोजना - जलमार्ग विकास का उद्देश्य एनडब्ल्यू-1 (हाल्दिया से इलाहाबाद तक) के 1620 कि.मी. के पूरे फैलाव में नेविगेशन में सुधार करना है। भारत सरकार ने हल्दिया से वाराणसी के बीच के अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1 के विकास केलिए विश्व बैंक निधि का लाभ उठाया है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने केलिए सरकारी पहल भारतीय पोत निर्माण उद्योग केलिए रो - पेक्स वेसल, ड्रेजरों, बहु उद्देशीय और मिनी बल्क कैरियर्स, इग्लैंड क्रूज वेसल, पेट्रोलियम उत्पाद वाहकों आदि जैसे विभिन्न वेसलों के निर्माण में भविष्य के आदेशों के रूप में एक बडा व्यापार अवसर है।

वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग

7. प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, भारत को वैश्विक पोत मरम्मत बाजार में वर्तमान में अपना हिस्सा कम होने पर भी, पोत मरम्मत क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता है। पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा के समानांतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों में भारत की रणनीतिक स्थिति इन मार्गों पर चलने वाले पोतों को सेवा करने का अवसर प्रदान करती है।

भारतीय पोत मरम्मत उद्योग

8. भारत में पोत मरम्मत केलिए बंधक बाजार लगभग 2500 करोड रुपए पर अनुमान लगाया है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में क्षमता के केवल 15% टैप करने में विफलता केलिए मुख्य कारण है बुनियादी ढांचे की कमी और कमजोर सहायक अवलंब। सागरमाला परियोजना के भाग के रूप में, सरकार ने पेशेवर शिपयार्डों द्वारा पोत मरम्मत सेवाओं केलिए प्रमुख पत्तनों में मौजूदा मरम्मत सुविधाओं के उपयोग केलिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। एचसीएसएल की सहायक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने हाल ही में कोलकाता में नेताजी सुबाष डॉक्स में एक नई पोत मरम्मत इकाई (सीकेएसआरयू) शुरू की है।

प्रचालन

9. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल और एचडीपीईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित, पोत परिवहन मंत्रालय की एक पहल हैं, जिसमें पोत निर्माण और पोत मरम्मत के अंतर्देशीय जलमार्ग खंड में एक प्रमुख खिलाड़ी होने की महत्वाकांक्षा है, जो देश में तेज़ी से विकसित हो रहा है। कंपनी अब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है। वर्ष 2019-20 के दौरान नज़ीरगंज में एक नया शिपयार्ड स्थापित करने की गतिविधियों ने गति पकड़ी और निर्धारित रूप से आगे बढ़ रही थी। सिविल निर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष प्रगति ने दिनांक 31 मार्च 2020 तक 50% हासिल किया है। गैस प्रणाली, अग्नि प्रणाली और विद्युत कार्यों जैसी उपयोगिताओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं और वितरण के उन्नत चरणों में हैं। सभी प्रमुख मशीनरियों और क्रेनों के लिए क्रयादेश भी रखे गए हैं। सिविल कार्यों की प्रगति के अनुरूप सभी वितरणों की योजना बनाई गई हैं।

10. हालांकि, देश भर में कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप और उसके बाद सरकारी अधिकारियों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, एचसीएसएल परियोजना की गतिविधियां रुकी हुई थीं और कंपनी दिनांक 23 मार्च, 2020 से 08 जून 2020 तक लॉकडाउन में थी। तदनुसार, मूल अनुबंध की समाप्ति तिथि जून 2021 को सितंबर 2021 तक संशोधित किया जाएगा। फिर भी, परियोजना को पूरा करने और जून 2021 की मूल अनुबंध की तिथि के अंतर्गत ही यार्ड के प्रचालनों को शुरू करने केलिए जून 09, 2020 को ही कार्य का पुनरारंभ करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। महामारी का पूरा प्रभाव और परियोजना को किस हद तक वापस लिया जा सकता है, यह केवल निर्माण गतिविधियों की प्रगति के दौरान पता लगाया जा सकता है बशर्ते फिर से कुल लॉकडाउन की आवश्यकता न हो।

11. कंपनी जो परियोजना कार्यान्वयन चरण में है, ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 248.76 लाख रुपए (133.19 लाख रुपए / ग.व.) की हानि रिपोर्ट की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हुए कुल पूंजी खर्च 3,641.55 लाख रुपए (347.12 लाख रुपए / ग.व.) है।

प्रस्तावित लाभांश

12. कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि कंपनी परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और इसमें विभाज्य लाभ नहीं है।

सेगमेंट वार/ उत्पाद वार निष्पादन

13. कंपनी परियोजना चरण में है और इसके संचालन शुरू नहीं किया है।

एसडब्ल्यूओटी (स्वोट)

14. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड अपने परियोजना कार्यान्वयन के शुरूआती चरणों में है और इसलिए ताकत, कमजोरी, अवसरों और धमकियों का वर्णन करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि कंपनी भारत में उभरते हुए अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन क्षेत्र में एक बडे अवसर का पूर्वानुमान लगाता है।

जोखिम और चिंताएं

15. कंपनी अंतर्देशीय जलमार्ग खंड की जरूरतों को पूरा करने केलिए नजीरगंज और साल्किया में आवश्यक शिपयार्ड बुनियादी ढांचा स्थापित करने का प्रयास करती है। समय पर विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में देरी और नियोजितानुसार संचालन शुरू करने में विफलता और कोविड-19 महामारी के कारण कंपनी केलिए इस समय बडा जोखिम होगा।

16. साइटों पर काम करने केलिए अनुभवी एवं प्रतिभाशाली श्रमिकों की उपलब्धता भी परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन केलिए जोखिमयुक्त है। परियोजना कार्यान्वयन उपकरण दोषों, बिगाड काम और विफलताओं, उपकरण दुरुपयोग और आपदाओं जैसे निहित जोखिमों जो आग और विस्फोट के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, के अधीन भी है। कंपनी उक्त जोखिमों को पेशेवर परियोजना प्रबंधन, विक्रेता विकास कार्यक्रम के जरिए घटाने केलिए इरादा रखता है और उपकरण, मशीनरियां, संयंत्र आदि पर वारंटी सुनिश्चित करती है और अपनी परिसंपत्तियों पर बीमा सुरक्षा का लाभ लेती है।

आंतरिक नियंत्रण

17. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधडियों को रोकने और पहचानने, लेखाकरण रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों की समय पर तैयारी और प्रस्तुति के जरिए कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आयोजन सुनिश्चित करने केलिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

18. कंपनी आवश्यक मानव संसाधन विकसित करने और निर्माण चरण समाप्त होने के बाद परिचालन शुरू करने हेतु तत्परता सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त संगठन संरचना रखने की प्रक्रिया में है।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

19. कंपनी शिपयार्ड अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है और ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाने में प्राथमिकता दी है, प्रचालन शुरू होने पर प्रौद्योगिकी अवशोषण प्राप्त किया जाएगा। कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई खर्च नहीं किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

20. चूंकि कंपनी परियोजना कार्यान्वयन की शुरुआती चरण में है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व केलिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। संगठन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलुओं की दिशा में उचित प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे।

सचेतक विवरण

21. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से वास्तव में भिन्न हो सकता है। मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनिमय, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकें शामिल है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से,

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन: 07376798

स्थान: कोच्ची
दिनांक: जुलाई 30, 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

राय

हमने **हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष हेतु (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) और नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें प्रमुख लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है (बाद में स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है।)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और दिनांक 31, 2020 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए लाभ/हानि, (इक्विटी में परिवर्तन) और अपने नकद प्रवाह के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार अपने लेखा परीक्षा का संचालन किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा केलिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा हेतु उचित नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया हैं, वे हमारी राय का आदार प्रदान करने केलिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बाते हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबोधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी केलिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, अनुलग्नकों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित शासन और शेयरधारक की जानकारी आदि संबंधी सूचना शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में एक महत्वपूर्ण गलती है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने केलिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण केलिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप में कंपनी के इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और रोकड प्रवाह के सही और निष्पक्ष राय देता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों केलिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा केलिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो वित्तीय विवरणों जो एक सच्चे और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधडी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने केलिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है।

एक चालू व्यवसाय को बनाए रखने में प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने केलिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है लेकिन किया जाए।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख केलिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधडी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं हैं कि एस ए एस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधडी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है। हम यह भी करते हैं कि :

- स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों केलिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय केलिए आधार प्रदान करने केलिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधडी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तवित गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधडी में कपटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने केलिए लेखापरीक्षा केलिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने केलिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह

कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं। अहमियत, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) हमारी लेखापरीक्षा क्षेत्र की योजना करने में और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने केलिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप धारा (3) के संदर्भ में केंद्र भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार, हम अनुबंध में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक बयान की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

कंपनी के रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए निदेशों और अतिरिक्त निदेशों पर अनुलग्नक 'ख' एवं 'ग' रिपोर्टों देते हैं।

अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा केलिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।

(ख) हमारी राय में, बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

(ग) कंपनी की कोई शाखा नहीं है और फलस्वरूप, शाखा लेखा

परीक्षकों की रिपोर्टों से निपटने का सवाल नही उठता है।

(घ) इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण और रोकड प्रवाह का विवरण खाता बहियों के अनुसार है।

(ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के अनुपालन करता है।

च) दिनाकं 31 मार्च 2020 की तिथि पर निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए लिखित प्रस्तावों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2020 को निदेशक के रूप में नियुक्त करने से निदेशकों में से कोई भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में इस रिपोर्ट के अनुबंध 'घ' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नही है जो कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेके सहित कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं थे जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रत्याशा योग्य हानियां थी।

iii. कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

कृते घोशाल, बसु व रे

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 315080ई)

अप्रतिम रे

साझेदार

(सदस्यता सं. 52204)

(यूडीआईएन : 20052204AAAAAW7407)

स्थान : कोलकाता,

दिनांक : मई 29, 2020

अनुबंध क

कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के तहत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले

(i) (क) कंपनी पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने हेतु उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है जिसमें मात्रात्मक विवरण और इसकी अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

(ख) अचल संपत्तियों को प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है और कोई भी विसंगतियाँ नोट नहीं की गई है।

(ग) अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख को कंपनी के नाम पर संभाला जाता है।

(ii) कंपनी के पास कोई माल सूची नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष सत्यापन करने का सवाल ही नहीं उठता।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत अनुरक्षित पंजी के अंतर्गत कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारियों या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत कोई ऋण नहीं दिया है।

(iv) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों को आकर्षित करता है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(v) कंपनी ने भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 76 तक के प्रावधानों या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को आकर्षित करने वाले प्रकृति का कोई जमा नही स्वीकार किया है। इसलिए, इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(vi) केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव निर्दिष्ट नहीं किया है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(vii) (क) कंपनी निर्विवाद बकाया जैसे भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देयताओं को उपयुक्त अधिकारियों को जमा करने में नियमित हैं;

(ख) आय कर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्द्धित कर या माल और सेवा कर की कोई देय राशि नही है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(viii) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं किया है, इसलिए पुनर्भुगतान पर चूक करने और इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(ix) कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या और भी सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) और सावधि ऋणों के माध्यम से कोई भी पैसा नही उठाया है, इसलिए इस खंड के तहत उनके विनियोग का प्रश्न या हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(x) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधडी या कंपनी पर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधडी रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(xi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची x के साथ धारा 197 के अनुसार कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक नहीं दिया है, इसलिए इस खण्ड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता हैं।

(xii) उस कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(xiii) संबंधित पार्टियों के साख सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है जहाँ लागू और विवरण लेखाकरण मानक द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय विवरण आदि में स्पष्ट किया गया है।

(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के अधीन किसी भी अधिमानी आबंटन या शेयरों की निजी व्यवस्था या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुडे व्यक्तियों के साथ किसी गैर नकदी लेनदेन नहीं किया है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45- आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नही है।

कृते **घोशाल, बसु व रे**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता सं. 52204)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 मई, 2020

अनुबंध ख

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष केलिए मै. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि के हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुलग्नक।

क. निदेश :

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच किए जानेवाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए वर्ष 2018-19 से लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश :

हम निम्न दिए गए मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं :

क) क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने केलिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हां, तो, वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ, यदि कोई हो, बताए जाए।

कंपनी की रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के सभी लेखांकन रिकॉर्ड, आईटी प्रणाली में एक आउटसोर्सिंग फर्म को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बनाए रखा जाता है। जैसे, प्रणाली के बाहर लेनदेन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, और इसलिए इस संबंध में कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।

ख) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के कोई पुनः संरचना या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट है? यदि हां, तो, वित्तीय प्रभाव निर्दिष्ट किया जाए।

कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान मौजूदा ऋणों के पुनःसंरचना या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट की कोई आवृत्ति नहीं है।

ग) क्या केन्द्रीय/ राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं केलिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी विशिष्ट योजना के तहत कोई विशिष्ट धनराशि नहीं मिली है और जैसा कि उपयोग का सवाल ही नहीं उठता।

कृते **घोशाल, बसु व रे**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 315080 ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता सं. 52204)

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 29 मई, 2020

अनुबंध ग

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष केलिए मै. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि के हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुलग्नक।

क. अतिरिक्त निदेश :

वर्ष 2018-19 केलिए संयुक्त उद्यम कंपनी की लेखापरीक्षा केलिए नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन अतिरिक्त निदेश :

हम निम्न सूचित मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं :

क) क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन के समय परिसंपत्ति और संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है ? यदि हां, तो, संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं।

कंपनी की रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान विलय/ विभाजन/ पुनर्गठन का कोई आवृत्ति नहीं है और जैसा कि उपरोक्त आवश्यकता लागू नहीं थी।

कृते **घोशाल, बसु व रे**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 315080 ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता सं. 52204)

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 29 मई, 2020

अनुबंध घ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में **हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कंपनी")** के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों केलिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने केलिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधडी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने केलिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा केलिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा केलिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने केलिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने केलिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधडी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय केलिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने केलिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है।

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति केलिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधडी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड जाएगा।

राय

हमारी राय में, कंपनी को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

कृते **घोशाल, बसु व रे**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता सं. 52204)

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 29 मई, 2020

संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

राय

हमने **हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष हेतु (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) और नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें प्रमुख लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है (बाद में स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है।)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और दिनांक 31, 2020 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए लाभ/हानि, (इक्विटी में परिवर्तन) और अपने नकद प्रवाह के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार अपने लेखा परीक्षा का संचालन किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा केलिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा हेतु उचित नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया हैं, वे हमारी राय का आदार प्रदान करने केलिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बाते हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबोधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

अन्य मामला

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(क) के अधीन भारतीय नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार, हमने उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सिवाय नीचे क्र.सं. 2 उल्लिखित को छोडकर, कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों में रिपोर्ट किए गए आंकडों पर कोई असर नहीं डालता है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट, मूल रिपोर्ट का अधिक्रमण करता है, जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करने केलिए संशोधित किया गया है और निम्नलिखित बिंदुओं पर किए गए संशोधन नीचे दिए गए हैं :

1. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध 'ख' का शीर्षक, जो 'दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन निदेश' के रूप में पढा जा सकता है।

2. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध 'ग' की रद्दीकरण : जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध 'घ' जो कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, अब इसे अनुबंध 'ग' के रूप में पढा जा सकता है। इस प्रभाव में अनिवार्य परिवर्तन भी, अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के क्र.सं. (छ) के अधीन दिया गया है।

3. नोट 13.2 में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग, जिसे 'विवरण' के अधीन प्रत्येक 10 रुपए के 2,20,00,000 इक्विटी शेयरों, और दिनांक 31.03.2020 तक संभाले शेयरों की संख्या के अधीन 2,20,00,000 के रूप में पढा जा सकता है।

मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया केवल उपरोक्त बिंदुओं की संशोधन तक ही सीमित है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी केलिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, अनुलग्नकों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित शासन और शेयरधारक की जानकारी आदि संबंधी सूचना शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में एक महत्वपूर्ण गलती है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने केलिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण केलिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप में कंपनी के इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और रोकड प्रवाह के सही और निष्पक्ष राय देता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों केलिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा केलिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो वित्तीय विवरणों जो एक सच्चे और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधडी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने केलिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है।

एक चालू व्यवसाय को बनाए रखने में प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने केलिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है लेकिन किया जाए।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रतिक्रिया की देखरेख केलिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधडी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं हैं कि एस ए एस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधडी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा

के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है। हम यह भी करते हैं कि:

- स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों केलिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय केलिए आधार प्रदान करने केलिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधडी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तवित गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधडी में कपटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने केलिए लेखापरीक्षा केलिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने केलिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं। अहमियत, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) हमारी लेखापरीक्षा क्षेत्र की योजना करने में और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने केलिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप धारा (3) के संदर्भ में केंद्र भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार, हम अनुबंध में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक बयान की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

कंपनी के रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए निदेशों पर अनुबंध 'ख' रिपोर्ट देते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के अधीन भारतीय नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों अनुसार, अतिरिक्त निदेशों पर अनुबंध 'ग' रिपोर्ट रद्द की जाती है।

अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा केलिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।

(ख) हमारी राय में, बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

(ग) कंपनी की कोई शाखा नहीं है और फलस्वरूप, शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से निपटने का सवाल नही उठता है।

(घ) इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण और रोकड प्रवाह का विवरण खाता बहियों के अनुसार है।

(ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 के नियम 7 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के अनुपालन करता है।

च) दिनाकं 31 मार्च 2020 की तिथि पर निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए लिखित प्रस्तावों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2020 को निदेशक के रूप में नियुक्त करने से निदेशकों में से कोई भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में इस रिपोर्ट के अनुबंध 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नही है जो कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेकाएं सहित कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं थे जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रत्याशा योग्य हानियां थी।

iii. कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

कृते **घोशाल, बसु व रे**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता सं. 52204)
(यूडीआईएन : 20062204AAAABQ5927)

स्थान : कोलकाता,
दिनांक : 20 जुलाई 2020

अनुबंध क

कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के तहत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले

(i) (क) कंपनी पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने हेतु उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है जिसमें मात्रात्मक विवरण और इसकी अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

(ख) अचल संपत्तियों को प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है और कोई भी विसंगतियाँ नोट नहीं की गई है।

(ग) अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख को कंपनी के नाम पर संभाला जाता है।

(ii) कंपनी के पास कोई माल सूची नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष सत्यापन करने का सवाल ही नहीं उठता।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत अनुरक्षित पंजी के अंतर्गत कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारियों या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत कोई ऋण नहीं दिया है।

(iv) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों को आकर्षित करता है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(v) कंपनी ने भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 76 तक के प्रावधानों या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को आकर्षित करने वाले प्रकृति का कोई जमा नही स्वीकार किया है। इसलिए, इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(vi) केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव निर्दिष्ट नहीं किया है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(vii) (क) कंपनी निर्विवाद बकाया जैसे भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देयताओं को उपयुक्त अधिकारियों को जमा करने में नियमित हैं;

(ख) आय कर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्द्धित कर या माल और सेवा कर की कोई देय राशि नही है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(viii) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं किया है, इसलिए पुनर्भुगतान पर चूक करने और इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(ix) कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या और भी सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) और सावधि ऋणों के माध्यम से कोई भी पैसा नही उठाया है, इसलिए इस खंड के तहत उनके विनियोग का प्रश्न या हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(x) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधडी या कंपनी पर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधडी रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(xi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ धारा 197 के अनुसार कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक नहीं दिया है, इसलिए इस खण्ड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता हैं।

(xii) उस कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(xiii) संबंधित पार्टियों के साख सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है जहाँ लागू और विवरण लेखाकरण मानक द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय विवरण आदि में स्पष्ट किया गया है;

(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के अधीन किसी भी अधिमानी आबंटन या शेयरों की निजी व्यवस्था या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुडे व्यक्तियों के साथ किसी गैर नकदी लेनदेन नहीं किया है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45- आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नही है।

कृते **घोशाल, बसु व रे**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता सं. 52204)

स्थान : कोलकाता,
दिनांक : 20 जुलाई 2020

अनुबंध ख

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष केलिए मै. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि के हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुलग्नक।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश :

हम निम्न दिए गए मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं :

क) क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने केलिए कंपनी के पास व्यवस्था है ? यदि हां, तो, वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ, यदि कोई हो, बताए जाए।

कंपनी की रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के सभी लेखांकन रिकॉर्ड, आईटी प्रणाली में एक आउटसोर्सिंग फर्म को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बनाए रखा जाता है। जैसे, प्रणाली के बाहर लेनदेन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, और इसलिए इस संबंध में कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।

ख) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के कोई पुनः संरचना या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट है? यदि हां, तो, वित्तीय प्रभाव निर्दिष्ट किया जाए।

कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान मौजूदा ऋणों के पुनःसंरचना या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट की कोई आवृत्ति नहीं है।

ग) क्या केन्द्रीय/ राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं केलिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी विशिष्ट योजना के तहत कोई विशिष्ट धनराशि नहीं मिली है और जैसा कि उपयोग का सवाल ही नहीं उठता।

कृते **घोशाल, बसु व रे**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता सं. 52204)

स्थान : कोलकाता,
दिनांक : 20 जुलाई 2020

अनुबंध ग

[कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट]

हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में **हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों केलिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने केलिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधडी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने केलिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा केलिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा केलिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने केलिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने केलिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधडी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय केलिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों केलिए

वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने केलिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति केलिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधडी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड जाएगा।

राय

हमारी राय में, कंपनी को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

कृते **घोशाल, बसु व रे**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता सं. 52204)

स्थान : कोलकाता,

दिनांक : 20 जुलाई 2020

'THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK'

वित्तीय विवरण

2019-20

दिनांक 31 मार्च 2020 का

तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

ब्योरा	टिप्पणी सं	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परिसंपत्तियां			
(1) अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	2	22.78	20.55
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	3	3,641.56	347.12
(ग) अगोचर परिसंपत्तियां	4	719.69	118.70
(घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	5	62.64	59.82
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां	6	0.31	0.28
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	7	479.02	506.65
		4,926.00	**1,053.13**
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) रोकड व रोकड तुल्यांक	8	1,830.50	4,232.81
(ii) ऊपर (i) के अलावा बैंक शेष	9	100.00	1,206.11
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	6.75	77.23
(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	44.52	21.24
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	532.45	62.34
		2,514.22	**5,599.73**
कुल परिसंपत्तियां		**7,440.22**	**6,652.86**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	2,200.00	2,200.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	(419.01)	(170.26)
		1,780.99	**2,029.74**
देयताएं :			
(1) गैर चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
(क) उधार	15	4,400.00	4,400.00
(2) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	16	535.17	18.56
(ख) अन्य चालू देयताएं	17	16.77	0.19
(ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	18	707.29	204.37
		1,259.23	**223.12**
कुल इक्विटी और देयताएं		**7,440.22**	**6,652.86**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 2-32
इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

निदेशक बोर्ड केलिए और की ओर से

मधु एस नायर	**जोस वी जे**	**राजेष गोपालकृष्णन**	**षिबु जॉण**	**अश्विन शर्मा एम**
अध्यक्ष	निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
(डीआईएन 07376798)	(डीआईएन 08444440)			

कोच्ची, 29 मई, 2020

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते घोशाल, बसु व रे
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 052204)
कोलकाता, 29 मई, 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के
लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाखों में)

	ब्यौरा	टिप्पणी सं.	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I	**आय**			
	अन्य आय	19	77.14	75.77
	कुल आय		**77.14**	**75.77**
II	**व्यय:**			
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत		-	-
	तैयार माल की सूची में परिवर्तन		-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	23.71	-
	वित्तीय लागत	21	33.01	-
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22	20.78	4.32
	अन्य व्यय	23	251.22	251.61
	कुल व्यय		**328.72**	**255.93**
III	**कर पूर्व लाभ /(हानि)**		**(251.58)**	**(180.16)**
IV	**कर व्यय:**			
	(1) चालू कर		-	-
	(2) आस्थगित कर	5	(2.82)	(46.97)
V	**वर्ष का लाभ /(हानि)**		**(248.76)**	**(133.19)**
VI	**अन्य व्यापक आय**		**-**	**-**
VII	**वर्ष केलिए कुल व्यापक आय**		**(248.76)**	**(133.19)**
VIII	**प्रत्येक 10 रुपए के प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(1) मूल (₹)	24	**(1.13)**	**(0.61)**
	(2) डायलूटड (₹)		**(1.13)**	**(0.61)**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 1
इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है। 2-32

निदेशक बोर्ड केलिए और की ओर से

मधु एस नायर	**जोस वी जे**	**राजेष गोपालकृष्णन**	**षिबु जॉण**	**अश्विन शर्मा एम**
अध्यक्ष	निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
(डीआईएन 07376798)	(डीआईएन 08444440)			

कोच्ची, 29 मई, 2020

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते घोशाल, बसु व रे
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 052204)
कोलकाता, 29 मई, 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए

रोकड प्रवाह विवरण

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ / (हानि)	**(251.58)**	**(180.16)**
निम्नलिखित केलिए समायोजन :		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	20.78	4.32
ब्याज आय	(56.26)	(241.86)
वित्तीय लागत	33.01	-
प्रतिभूति जमे का निर्मोचन	(0.02)	-
अग्रिम पट्टा किराए का परिशोधन	0.66	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	**(253.41)**	**(417.70)**
कार्यशील पूंजी में चयन:		
व्यापार और अन्य प्राप्यों में (वृद्धि) / कमी	-	(1,281.57)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (कमी)	-	241.29
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	70.49	-
अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(470.10)	-
वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(0.02)	-
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(207.69)	-
अन्य वित्तीय देयताओ में वृद्धि / (कमी)	116.72	-
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	16.59	-
चालू प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	499.28	-
	(228.16)	**(1,457.98)**
आयकर प्रदत्त	(23.29)	-
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	**(251.45)**	**(1,457.98)**
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(12.71)	(24.63)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(3,290.78)	(320.31)
प्रदत्त पट्टा /किराया	-	(1.00)
प्राप्त ब्याज	56.26	132.04
प्रतिभूति जमे का निर्मोचन	0.02	-
संग्रहीत अग्रिम पर ब्याज आय	13.03	-
(निवेश) / मियादी जमे का प्रतिदान	1,106.11	-
निवेशों गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	**(2,128.07)**	**(213.90)**

ब्यौरा	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र के निर्मोचन से प्राप्ति	-	4,400.00
वित्तीय लागत	(33.01)	-
प्राप्त पट्टा किराया	(1.81)	-
प्रदत्त पट्टा किराया	12.03	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	**(22.79)**	**4,400.00**
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	**(2,402.31)**	**2,728.12**
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	**4,232.81**	**1,504.69**
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक		
हस्तगत नकद	-	-
चालू खाते और जमा खाते में में बैंकों के साथ शेष	1,830.50	4,232.81
रोकड और रोकड तुल्यांक (नोट 8 के अनुसार)	**1,830.50**	**4,232.81**

नोट:

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1

लेखों पर अन्य टिप्पणियां 2-32

इसके साथ की टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

निदेशक बोर्ड केलिए और की ओर से

मधु एस नायर	**जोस वी जे**	**राजेष गोपालकृष्णन**	**षिबु जॉण**	**अश्विन शर्मा एम**
अध्यक्ष	निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
(डीआईएन 07376798)	(डीआईएन 08444440)			

कोच्ची, 29 मई, 2020

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते घोशाल, बसु व रे
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 052204)
कोलकाता, 29 मई, 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ लाखों में)

01.04.2019 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 को
2,200.00	-	2,200.00
01.04.2018 को	**वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**31.03.2019 को**
2,200.00	-	2,200.00

ख. अन्य इक्विटी **(₹ लाखों में)**

	आरक्षण व अधिशेष	कुल
	प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल 2019 को शेष	(170.26)	(170.26)
वर्ष का लाभ	(248.76)	(248.76)
वर्ष के अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के कुल व्यापक आय	(248.76)	(248.76)
31 मार्च 2020 को शेष	**(419.01)**	**(419.01)**

	आरक्षण व अधिशेष	कुल
	प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल 2018 को शेष	(37.07)	(37.07)
वर्ष का लाभ	(133.19)	(133.19)
वर्ष के अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के कुल व्यापक आय	(133.19)	(133.19)
31 मार्च 2019 को शेष	**(170.26)**	**(170.26)**

निदेशक बोर्ड केलिए और की ओर से

मधु एस नायर	**जोस वी जे**	**राजेष गोपालकृष्णन**	**षिबु जॉण**	**अश्विन शर्मा एम**
अध्यक्ष	निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
(डीआईएन 07376798)	(डीआईएन 08444440)			

कोच्ची, 29 मई, 2020

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते घोशाल, बसु व रे
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 052204)
कोलकाता, 29 मई, 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियाँ

1. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पढी गई कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप में तैयार किया गया है। कॉरपॉरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, होल्डिंग कंपनी, मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड ए एस के रूप मे उल्लिखित) को दिनांक 01 अप्रैल 2016 के प्रभाव से स्वीकार किया है। कंपनी एचसीएसएल ने विवरणों अपने वित्तीय विवरणों को अपने होल्डिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जिसको इसके इक्विटी शेयर पूंजी के निर्णायक बहुमत है, केलिए लागू अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप में तैयार किया है।

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोडकर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने केलिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने केलिए दिया जाता है।

1.3 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

इन्ड ए एस के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी केलिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों केलिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों केलिए संशोधन मान्य किया जाता है।

1.4 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता और बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण केलिए गांरटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यह्रास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और संपत्तियों का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। इसके अलावा, इस संबंध में आस्थगित कर पर टिप्पणी सं. 1.16 का उल्लेख किया जा सकता है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकडा से भिन्न हो सकता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

व्यापार की सामान्य अवधि से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती हैं, जो कंपनी पर भविष्य देयताएं देने की क्षमता है जिससे भविष्य में संसाधनों के बहिर्वाह में परिणत होता है। इन परिस्थितियों में उस कंपनी के खिलाफ दावे भी शामिल हैं जो इससे विवादित हैं। ऐसी देयताओं और उसके मात्रा के क्रिस्टलीकरण कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर करता है, अर्थात् मुकदमों में निर्णय जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इन देयताओं को वित्तीय विवरणों में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है, को नोट के भाग के रूप में प्रकट किया है।

अग्रिम / प्राप्य की पुनर्प्राप्ति

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति के मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है। संदिग्ध ऋणों की पहचान केलिए निर्णय का उपयोग और अनुमान की आवश्यकता होती है। जहाँ उम्मीद मूल अनुमान से अलग है, इस तरह अंतर से व्यापार और अन्य प्राप्तियों के मूल्य पर असर पडेगा और संदिग्ध ऋणों केलिए खाते के लिए प्रावधान पर खर्च उस अवधि में होगा, जिसमें इस तरह के अनुमानों को बदल दिया गया है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि में, अपेक्षित लाइफ के परे अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्ति और अग्रिमों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का मूल्यांकन करता है।

उचित मूल्य माप

वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है) और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने केलिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करते हैं। इसमें विकासशील अनुमानों और मान्यताओं को शामिल किया गया है जो कि बाजार सहभागियों द्वारा साधनों की कीमत के अनुरूप होगी। प्रबंधन जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य डेटा पर अपनी मान्यताओं को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष लेनदेन में प्राप्त किया जाएगा।

1.5 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

पट्टे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कभी पट्टे की शर्तें वास्तव में पट्टेदार को स्वामित्व का सभी जोखिमों और पुरस्कार हस्तांतरित करते हैं। पट्टे जहाँ स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों के महत्वपूर्ण भाग को पट्टेदार द्वारा प्रतिधारण किया जाता है, वर्तमान पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) पट्टे केलिए लेखांकन

संबंधित प्रासंगिक लेखा मानकों के अनुसार कंपनी ने पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पहचान की है जो विचार की विनिमय में समय की अवधि केलिए पट्टा करार शामिल ठेके में स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोगार्थ अधिकार केलिए परिसंपत्ति धारक को व्यक्त करता है।

(ii) उपयोग अधिकार और पट्टा देयता की पहचान

पहचानित परिसंपत्ति केलिए उपयोग अधिकार और पट्टे की अवधि केलिए समतुल्य पट्टा देयता को पट्टे की शुरुआत में पहचाना जाता है और तुलनपत्र में प्रकट किया जाता है। उपयोग अधिकार को लागत पर और पट्टा देयता को पट्टा भुगतान जो प्रारंभिक मान्यता तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टा देयता के वर्तमान मूल्य को लागू अनुसार पट्टे में निहित ब्याज दर या वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है। ऐसे पट्टे लेखांकन उन मामलों में लागू नहीं किए जाते हैं जहां पट्टा अवधि 12 महीने से कम अवधि की होती है या जिसके लिए अंतर्निहित मूल्य कम होता है।

प्राप्त उपयोग अधिकार को आगामी अवधि में कम लागत के संचित परिशोधन और हानि पर पुनः मापन किया जाएगा। पट्टा देयता को

प्रभावी ब्याज दर रीति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर तदनंतर पुनः मापित किया जाएगा।

एक पट्टेदार के रूप में :

पट्टे आय पट्टे करार के आधार पर पहचाना जाता है और स्टैंडअलॉन लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन केलिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने केलिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण केलिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जो पर ब्याज भी शामिल है। पी पी ई निः शुल्क संचित मूल्यह्रास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोडकर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते है, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया है।

1.7 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग केलिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

1.8 अगोचर परिसंपत्ति

भूमि और अन्य सुविधा के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने केलिए अग्रिम शुल्क और अन्य प्रतिफलों को अगोचर संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और उस अवधि के दौरान सीधी लाइन पद्धति के आधार पर अमूर्त किया गया है जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया जाता है, जिस तारीख से अधिकार का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है।

1.9 मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची II में निर्धारितानुसार उपयोगी काल के आधार पर एक सीधी रेखा पद्धति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और प्रारंभ में मान्यताप्राप्त किसी महत्वपूर्ण भाग जो निपटान पर अमान्य किया जाता है या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। परिसंपत्ति के अमान्य पर उत्पन्न कोई लाभ/हानि को जब परिसंपत्ति अमान्य किए जाने पर स्टैंडअलॉन लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है। अभी भी प्रयुक्त पूर्ण मूल्यह्रास की गई परिसंपत्तियों को अवशेष मूल्य पर स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में बरकरार रखा गया है।

मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगी लाइफ और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है और यदि उचित हो तो, प्रत्याशित प्रभाव से समायोजित की जाती है।

प्रबंधन का मानना है कि परिसंपत्ति का कार्यकाल उसी प्रकार है जो अधिनियम के अनुसूची II में निर्धारित किया है, कुछ विशेष प्रकार की इमारतों और उपकरणों को छोडकर जहां तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कार्यकाल को उक्त अनुसूची II में निर्धारित व्यवस्था से अलग माना गया है। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों केलिए मूल्यह्रास की गणना केलिए कार्यकाल निम्नानुसार हैं :

संपत्ति वर्ग	कार्यकाल
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3-6 वर्ष

1.10 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता तब दी जाती है जब इकाई, साधन के अनुबंध प्रावधानों केलिए एक पार्टी बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या जारी के लिए जिम्मेदार होती है (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय) को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के प्रारंभिक मान्यता पर मापी गई उचित मूल्य से जोड या घटा दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने केलिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण केलिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने केलिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने केलिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग केलिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने केलिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने केलिए एक निवल आधार पर निपट ान करने की उम्मीद है।

1.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने केलिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोडकर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने केलिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियाँ स्पष्ट नहीं किया है जब तक आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभाव्य नहीं है।

राजस्व मान्यता

1.12 राजस्व मान्यता

अन्य

अर्जित अन्य आय को प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया है।

1.13 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी एवं भविष्य निधि में अंशदान शामिल हैं। जैसा कि वर्तमान में कंपनी के पास नियत अवधि

रोजगार के ठेके के आधार पर नियुक्त कर्मचारी हैं, अधिवर्षिता निधि, चिकित्सा सहायता और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति में अंशदान की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

1.14 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण या उत्पादन केलिए सीधे जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट उधार लेने की लागत (निधि के अस्थायी नियोजन पर अर्जित निवल आय) को जब ऐसी परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग केलिए तैयार होती है, तिथि तक ऐसी परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक परिसंपत्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग केलिए तैयार होने हेतु आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेता है। अन्य सभी उधार लागत, उस अवधि में जिसमें खर्च हुआ है, को लाभ/हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.15 पूर्व अवधि समायोजन

कंपनी के वित्तीय मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव होनेवाली त्रुटियों के कारण पूर्वावधि समायोजन को प्रस्तुत पूर्वावधि में हुई त्रुटि या यदि प्रस्तुत पूर्व वित्तीय अवधि के पहले हुई त्रुटि हो, में पुनः बयान करते हुए, वित्तीय स्थिति में खुला विवरण का पुनः बयान करते हुए पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है।

1.16 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशःअन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोडकर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष केलिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने केलिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर केलिए मान्यता दी जाती है।

1.17 प्रति शेयर आय

इक्विटी शेयरधारकों केलिए आरोप्य निवल लाभ को इक्विटी शेयरों भारित औसत संख्या/ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया डायलूट संभावित इक्विटी शेयरों जैसी स्थिति हो, से विभाजित करके प्रति शेयर की मूल और तनुकृत आय की गणना की जाती है।

1.18 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुडे आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने केलिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन केलिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल है, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

नोट 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जुडाव/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ वापसी)	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
भवन	16.98	9.83	-	26.81	2.99	8.09	-	11.08	15.72	13.99
संयंत्र और उपकरण	0.24	1.66	-	1.90	0.01	0.05	-	0.06	1.84	0.23
फर्नीचर और फिक्सचर	0.28	-	-	0.28	0.02	0.03	-	0.05	0.23	0.26
कार्यालय उपकरण	-	0.17	-	0.17	-	0.02	-	0.02	0.14	-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	7.13	0.53	-	7.66	1.06	2.27	-	3.33	4.33	6.07
उप कुल	**24.63**	**12.18**	**-**	**36.81**	**4.08**	**10.46**	**-**	**14.54**	**22.27**	**20.55**
अगोचर परिसंपत्ति										
टैली सॉफ्टवेयर	-	0.53	-	0.53	-	0.01	-	0.01	0.51	-
उप कुल	-	0.53	-	0.53	-	0.01	-	0.01	0.51	-
कुल योग	**24.63**	**12.71**	**-**	**37.34**	**4.08**	**10.47**	**-**	**14.55**	**22.78**	**20.55**

नोट 3 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परियोजना प्रबंधन शुल्क और विविध पूंजीगत व्यय	3,641.56	347.12
कुल	**3,641.56**	**347.12**

कंपनी ने अपने होल्डिंग कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से परियोजना के प्रस्तावित संवर्धन केलिए किए गए कार्यों की ओर अस्थायी विशेष नियुक्ति के आधार पर कार्मिकों की सेवाओं का लाभ उठाया है। कंपनी उपर्युक्त व्यक्तियों पर किए गए खर्च केलिए कंपनी को हुई लागत (सीटीसी) आधार पर, जिसे सेवा प्रदाता को प्रतिपूर्ति की जानी है, जिम्मेदार है। चूंकि ये लागत विशेष रूप से मौजूदा सुविधाओं की नवीकरण के लिए है, इसलिए ऐसे लागतों को कर्मचारी श्रमशक्ति लागत शीर्ष के अधीन प्रगतिशील पूंजी कार्य की ओर लिया गया है। जो पूंजी परियोजना की समाप्ति पर पूंजीकृत की जाएगी।

नोट 4 : (क) अन्य अगोचर संपत्ति (पट्टे वाली भूमि)

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल वहन राशि				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जुडाव/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ वापसी)	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में भूमि (5.31 एकड)	118.94	-	-	118.94	0.24	1.98	-	2.22	**116.72**	118.70
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में भूमि (10.45 एकड)	-	234.07	-	234.07	-	2.98	-	2.98	**231.09**	-
उप कुल	**118.94**	**234.07**	**-**	**353.01**	**0.24**	**4.96**	**-**	**5.20**	**347.81**	**118.70**

ख) उपयोग का अधिकार (पट्टे वाली भूमि)

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल वहन राशि				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ वापसी)	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में भूमि (5.31 एकड)	-	128.36	-	128.36	-	2.18	-	2.18	**126.18**	-
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में भूमि (10.45 एकड)	-	248.86	-	248.86	-	3.16	-	3.16	**245.70**	-
उप कुल	**-**	**377.22**	**-**	**377.22**	**-**	**5.34**	**-**	**5.34**	**371.89**	**-**
कुल	**118.94**	**611.29**	**-**	**730.23**	**0.24**	**10.30**	**-**	**10.54**	**719.69**	**118.70**

नोट 5 : आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति	62.64	59.82
कुल	**62.64**	**59.82**

नोट 6 : ऋण-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रतिभूति जमा	0.31	0.28
कुल	**0.31**	**0.28**

नोट 7 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा	11.22	467.57
अन्य दीर्घकालिक अग्रिम	429.39	-
अग्रिम पट्टा किराया	38.41	39.08
कुल	**479.02**	**506.65**

नोट 8 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंक शेष		
चालू खाते में	84.79	132.81
कम से कम तीन वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ अवधि जमा	1,745.71	4,100.00
कुल	**1,830.50**	**4,232.81**

नोट 9 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ अवधि जमा	100.00	1,206.11
कुल	**100.00**	**1,206.11**

नोट 10 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
स्थायी जमे पर उपार्जित ब्याज	6.75	77.23
कुल	**6.75**	**77.23**

नोट 11 : चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
स्रोत पर कर कटौती	44.52	21.24
कुल	**44.52**	**21.24**

नोट 12 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
विविध जमाराशियां (अप्रयुक्त जीएसटी इनपुट क्रेडिट)	147.74	60.14
प्रतिभूति जमा की ओर अग्रिम	-	-
पूर्वदत्त व्यय	5.69	1.13
विविध चालू परिसंपत्तियां	379.02	1.07
कुल	**532.45**	**62.34**

नोट 13 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	25,000,000	2500.00	25,000,000	2500.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त पूर्ण रूप से प्रदत्त प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर रोकड केलिए	22000000	2200.00	16280000	1628.00
रोकड के अलावा अन्य प्रतिफल केलिए	-	-	5720000	572.00
कुल	**22000000**	**2200.00**	**22000000**	**2200.00**

13.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	22000000	2,200.00	22000000	2,200.00
जोड: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**22000000**	**2,200.00**	**22000000**	**2,200.00**

इक्विटी शेयरों से जुडे अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध : कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट केलिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश केलिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने केलिए योग्य हैं।

13.2 होल्डिंग कंपनी द्वारा संभाले शेयरों का विवरण

ब्योरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	शेयर की संख्या	₹ लाखों में	शेयर की संख्या	₹ लाखों में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) प्रत्येक 10 रुपए के 1,62,80,000 इक्विटी शेयर	1,62,80,000	2,200.00	1,62,80,000	1,628.00
कुल	**1,62,80,000**	**2,200.00**	**1,62,80,000**	**1,628.00**

13.3 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारको का विवरण

ब्योरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	शेयर की संख्या	होल्डिंग %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	2,20,00,000	100	1,62,80,000	74
हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-	-	57,20,000	26
कुल	**2,20,00,000**	**100**	**2,20,00,000**	**100**

13.4 रोकड के अलावा प्रतिफल केलिए जारी शेयरों का विवरण

ब्योरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	शेयर की संख्या	होल्डिंग %
हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-	-	57,20,000	26

इक्विटी शेयर हॉल्डिंग पैटर्न

कंपनी संयुक्त उद्यम शेयरधारक एचडीपीईएल द्वारा संभाले जा रहे 5.72 करोड रुपए के प्रत्येक 10 रूपए के 57,20,000 शेयरों के शेयर पूंजी के 26%, केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन के अनुसार प्रमुख शेयरधारक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपने संपूर्ण शेयर अंतरित कर दिए हैं। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 नवंबर 2019 से संपूर्ण शेयर पूंजी वर्तमान में कोचीन शिपयार्ड द्वारा संभालते हैं।

नोट 14 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रतिधारित आय	(419.01)	(170.26)
कुल	**(419.01)**	**(170.26)**

प्रतिधारित आय

(₹ लाखों में)

वर्ष के शुरू में शेष राशि	(170.26)	(37.07)
जोडिए: अवधि केलिए लाभ/(हानि)	(248.76)	(133.19)
रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में शेष राशि	(419.01)	(170.26)

नोट 15 : उधार राशियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
6.5 % प्रतिभूति-रहित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	4,400.00	4,400.00
कुल	**4,400.00**	**4,400.00**

कंपनी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को वार्षिक रूप से देय 6.50% ब्याज दर के साथ, प्रत्येक 1000 रुपए के 440000, 6.5% प्रतिभूति रहित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी किया था। डिबेंचर दिनांक 16 सितंबर 2023 को ऋणमुक्ति केलिए देय है।

नोट 16 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पट्टा देयता का पीवी (5.31 एकड)	134.74	-
पट्टा देयता का पीवी (10.45 एकड)	265.15	-
सुरक्षा और अन्य जमा	120.57	18.49
अन्य देय	14.71	0.07
कुल	**535.17**	**18.56**

नोट 17 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सांविधिक बकाया	16.77	0.19
कुल	**16.77**	**0.19**

नोट 18 : अन्य देय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
खर्च केलिए लेनदार		
व्यय /आकस्मिकता	707.29	204.37
कुल	**707.29**	**204.37**

नोट 19 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्राप्त किराया	2.21	0.10
बैंक जमे पर ब्याज	57.45	72.96
अन्यों से ब्याज -सीईएससी	0.40	0.42
विविध आय	17.05	2.26
प्रतिभूति जमे पर छूट को खोलना	0.02	0.02
कुल	**77.14**	**75.77**

नोट 20 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी वेतन और भत्ता	20.66	
कर्मचारी कल्याण व्यय	3.05	
कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
कुल	**23.71**	**-**

नोट 21 : वित्त प्रभार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयता पर वित्तीय प्रभार (5.31 एकड)	11.23	-
पट्टा देयता पर वित्तीय प्रभार (10.45 एकड)	21.78	-
उधार पर डिबेंचर पर ब्याज	-	-
कुल	**33.01**	**-**

नोट 22 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	10.47	4.08
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता (5.31 एकड)	2.18	-
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता (10.45 एकड)	3.16	-
पट्टे वाली भूमि पर परिशोधन	4.96	0.24
कुल	**20.78**	**4.32**

नोट 23 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
दर और कर	2.31	0.08
ऊर्जा	21.91	25.05
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सडकें	4.43	7.03
संयंत्र और मशीनरी	-	-
अन्य	1.34	1.72
यात्रा तथा सवारी खर्च	2.93	0.57
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	2.08	1.26
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	0.77	0.39
विज्ञापन और प्रचार	30.34	55.29
प्रदत्त पट्टा किराया	2.98	1.80
भाडा प्रभार	23.12	20.50
प्रतिभूति खर्च	144.71	121.58
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	2.21	1.75
अन्य सेवाओं केलिए लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	0.24	0.06
परामर्श	4.32	6.63
बैंक प्रभार	0.23	0.01
विविध खर्च	7.29	7.88
कुल	**251.22**	**251.61**

नोट 24 : प्रति इक्विटी शेयर आय

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ /(हानि) (₹ लाखों में)	(248.76)	(133.19)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	22,000,000	22,000,000
प्रति शेयर मूल और डायलूटड आय (ईपीएस) (₹ में)	(1.13)	(0.61)
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

25. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रतिबद्धता (अप्रदत्त सीमा तक)		
ठेके की अनुमानित राशि को पूंजी खाते में निष्पादित किया जाएगा और इसके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	8,949.96	6141.43

26. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन अपने प्रचालन या निवल मूल्य में कोई लाभ नहीं है। इसलिए कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

27. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति 2019-20	संबंध की प्रकृति 2018-19
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेष बाबु एन वी निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे निदेशक (01.08.2019 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री पॉल रंजन डी निदेशक (31.07.2019 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एस बालाजी अरुणकुमार निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेष गोपालकृष्णन मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री षिबु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती वी कला कंपनी सचिव (08.11.2018 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	होल्डिंग कंपनी
हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (31.10.2018 से)	सहयोगी कंपनी	सहयोगी कंपनी

लेनेदन की प्रकृति -पारिश्रमिक

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अल्पकालीन लाभ	-	-
रोजगार के बाद के लाभ	-	-
कुल	**-**	**-**

लेनेदन की प्रकृति - ऋण:

उपर्युक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ पारिश्रमिक/ ऋण और अग्रिमों की प्रकृति का कोई लेनदेन नहीं है।

लेनेदन की प्रकृति

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कर्मचारी श्रम शक्ति सेवाएं (कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड - होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रदान किया गया)*	33.03	52.25
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) को प्रत्येक 1000 रुपए के अंकित मूल्य के 4,40,000 6.5% प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी किया गया।	4400.00	4400.00

* होल्डिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को श्रमशक्ति लागत की प्रतिपूर्ति के संबंध में, वही लागत आधार पर गणित किया जाता है क्योंकि प्रदत्त जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्राप्य के रूप में दावा किया है ।

28. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों केलिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने केलिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर I इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोडकर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता केलिए विचार योग्य है।

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता केलिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	दिनांक 31 मार्च 2020 को अंकित मूल्य	दिनांक 31 मार्च 2019 को अंकित मूल्य	अंकित मूल्य अनुक्रम
वित्तीय परिसंपत्तियां			
चालू			
(i) नकद एवं नकद समतुल्य	1,830.50	4,232.81	स्तर II
(ii) (i) के अलावा बैंक शेष	100.00	1,206.11	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6.75	77.23	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,937.25**	**5,516.15**	
वित्तीय देयताएं			
गैर चालू			
उधार राशियाँ	4,400.00		
चालू			
अन्य वित्तीय देयताएं	535.17	18.56	स्तर I II
कुल वित्तीय देयताएं	**4,935.17**	**18.56**	

नोट: इस अवधि में स्तर I और II के बीच कोई अंतरण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020				31.03.2019	
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	परिशोधित लागत	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
नकद एवं नकद समतुल्य			1,830.50	1,930.50		4,232.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			6.75	6.75		77.23
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां			**1,837.25**	**1,937.25**		**4,310.04**
वित्तीय देयताएं						
उधारी				4,400.00		-
अन्य वित्तीय देयताएं			535.17	535.17		18.56
कुल वित्तीय देयताएं			**535.17**	**4,935.17**		**18.56**

29. पट्टा व्यवस्था

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
क) प्रचालन पट्टे पर लिए गए परिसर :	-	-

यह कंपनी, 60 वर्षों की अवधि केलिए उस समय के मालिक हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियेर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) द्वारा प्रदत्त पट्टे के अधीन पश्चिम बंगाल के हावडा जिले में नजीरगंज और साल्किया में भूमि और संबद्ध सुविधाओं केलिए गैर-रद्द परिचालन पट्टे का लाभ उठा रहे हैं। हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियेर्स लिमिटेड के साथ ये पट्टा व्यवस्थाएं, दिनांक 19.01.2018 के पट्टा समझौता और रियायत करार के अधीन 60 वर्षों की अवधि केलिए है।

भारत सरकार के पत्र सं. एसवाई/12016/1/2014/एचडीपीई/14.10.2019 द्वारा प्रदत्त मंत्रीमंडल के अनुमोदन के आधार पर दिनांक 14.02.2020 को एचडीपीईएल द्वारा भारत सरकार को अग्रेषित पत्र सं. एचडीपीईएल/एचडी (सी/एफ)/2019-20/152 द्वारा भारत सरकार द्वारा उक्त भूमि के अभिग्रहण के फलस्वरूप, पट्टादाता के अधिकारों को दिनांक 28.02.2020 से उत्तरवर्ती को अंतरित किए जाने की उम्मीद की थी। परिसंपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन के बाद भारत सरकार और एचसीएसएल के बीच निष्पादित किए जानेवाले घोषणा विलेख, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन उनके अनुमोदन केलिए विचाराधीन है।

(₹ लाखों में)

गैर-रद्द करने योग्य प्रचालन पट्टे के संबंध में, तुलन पत्र तिथि को भविष्य न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है :	31.03.2020 को	31.03.2019 को
न अधिक एक वर्ष की अवधि केलिए	24.76	40.00
एक वर्ष के बाद और अधिक से अधिक पांच वर्षों की अवधि केलिए	133.43	215.51
पांच वर्षों की बाद की अवधि केलिए	3209.61	5184.15

30. सेग्मेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना।कंपनी परिचालन शुरू करने पर खंडवार विश्लेषण और लागत और राजस्व का आबंटन करेगी।

31. व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय, ऋण और जमे दावे के तहत दिखाए गए शेष राशि, पुष्टि और परिणाम सुलह, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

32. पिछले वर्ष के आंकडे को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, वर्गीकृत और पुनः एकत्रित किया गया है।

निदेशक बोर्ड केलिए और की ओर से

मधु एस नायर	**जोस वी जे**	**राजेष गोपालकृष्णन**	**षिबु जॉण**	**अश्विन शर्मा एम**
अध्यक्ष	निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
(डीआईएन 07376798)	(डीआईएन 08444440)			

कोच्ची, दिनांक 29 मई, 2020

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते घोशाल, बसु व रे
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.315080ई)

अप्रतिम रे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 052204)
कोलकाता, 29 मई, 2020

अध्यक्ष, निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नजीरगंज सुविधा में दौरा

नजीरगंज सुविधा परिसर में श्री मधु एस नायर द्वारा पौधारोपण

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालयः दि लेगसी, 25 ए, शेक्सपियर सारणी, लेवल 1
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017

3RD ANNUAL REPORT
2019 - 20

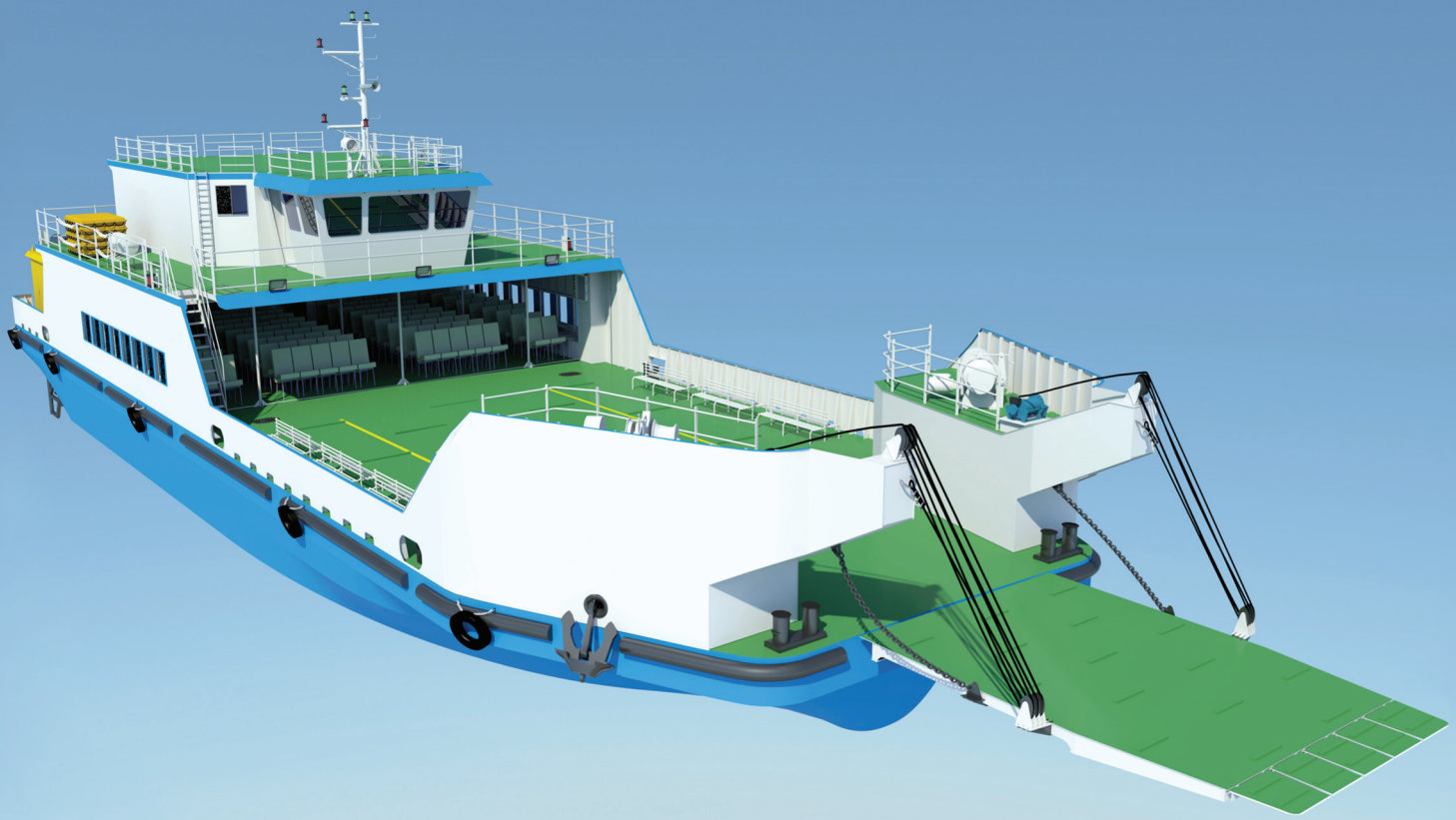

HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

(A wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited)

Inauguration of New Outfit Jetty at the Nazirgunge facility of the Company on January 30, 2020

BOARD OF DIRECTORS

Shri Madhu S Nair
Chairman

Shri N V Suresh Babu
Non – Executive Director

Shri Bejoy Bhasker
Non – Executive Director

Shri Jose V J
Non – Executive Director

Shri Chandra Mani Rout
Non – Executive Director

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Shri Rajesh Gopalakrishnan
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Shibu John
Chief Financial Officer (CFO)

Shri Aswin Sarma M
Company Secretary

SENIOR MANAGEMENT TEAM

Shri Harikumar K
EA to CMD, CSL

Shri P K Mishra
DGM (P&O), HCSL

Shri Najeeb E H
SM (NP), CSL

Shri Nitin Narayan
SM (NP), CSL

Smt. Bindu Krishna
SM (Legal), CSL

REGISTERED OFFICE

The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani,
Level 1, Kolkata, West Bengal – 700 017.
CIN: U35900WB2017GOI223197

STATUTORY AUDITORS

M/s. Ghosal, Basu & Ray,
8/2 Kiron Sankar Roy Road,
2nd Floor, Room No. 28,
Kolkata, West Bengal – 700 001.

BANKERS

State Bank of India
Federal Bank Limited

WORKS

NAZIRGUNGE WORKS
P. O. Danesh Sk. Lane, Howrah – 711 109,
West Bengal, India.

SALKIA WORKS
6, Howrah Road, Salkia, Howrah – 711 106,
West Bengal, India.

CONTENTS

Chairman's Address	2
Profile of Directors	4
Notice to Members	6
Directors' Report	14
Report on Corporate Governance	29
Management Discussion and Analysis Report	34
Independent Auditor's Report	37
Financial Statements	57

CHAIRMAN'S ADDRESS

***Shri Madhu S Nair**, Chairman*

It is with great pleasure that I welcome you all to the 03rd Annual General Meeting of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL). I take this opportunity to inform you all that during the financial year 2019-20 the construction activities at Nazirgunge set going and the progress in Civil works crossed 50% as at the close of the financial year. With immense pleasure I would also like to state that the construction of two outfitting jetties at Nazirgunge was completed which was inaugurated on January 30, 2020 in the presence of distinguished guests. Further, the activities under various other work packages viz., Electrical, Gas Piping, Fire Fighting etc. started off during the year which are planned in line with the progress of the Civil work.

As you are aware the COVID-19 Pandemic is causing serious threats on the business operations across the globe by restricting the interactions and movement of people, disrupting trade, supply chains, and investment flows. The situation is no different for the Company as well. The Company had to shut down its activities from March 23, 2020 to June 08, 2020 due to the lockdown imposed by the Government Authorities to contain the spread of the Pandemic. Even though the activities at Nazirgunge resumed from June 09, 2020, limited manpower is being employed to ensure compliance with the Guidelines issued by the Government Authorities on account of the Pandemic. Our CEO and the HCSL team are constantly monitoring the Project and aiming at earliest completion of the project and commencement of operations.

Pursuant to the approval of the Union Cabinet on October 03, 2019, HCSL became a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL) with effect from November 01, 2019. Further, pursuant to the said approval, the land assets of HDPEL were transferred to the Government of India (GoI) in February, 2020, consequent to which the Government of India has replaced HDPEL as the Lessor. As HCSL was incorporated as a joint venture between CSL and

HDPEL, the above events have resulted in cessation of the joint venture partnership between CSL and HDPEL. I take this opportunity to thank the officers of HDPEL, especially Shri S Balaji Arunkumar, Chairman and Managing Director for the unconditional support offered for the Project.

As HCSL is in its project implementation stage and yet to commence operations, the Company is exempt from compliance with the Guidelines on Corporate Governance pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM dated July 08, 2014, issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. However, the Company adopts the best Corporate Governance practices wherever possible and the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is included in the Annual Report.

Before concluding, I wish to convey my grateful appreciation to the HCSL management for their continued support, commitment and contribution. I also wish to place on record my sincere gratitude to all the Board Members for their valuable guidance and support extended for the project. I also thank the Ministry of Shipping, other offices of the Government of India and the Government of West Bengal, Cochin Shipyard Limited (CSL), Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) and Kolkata Port Trust (KoPT) for their contribution in the progress of the project.

I wish the Company all the very best as it moves towards its goal of becoming a lead player in the inland water vessel segment.

Thanking You

Jai Hind

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

PROFILE OF DIRECTORS

Shri Madhu S Nair

Shri Madhu S Nair is one of the first directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. Shri Madhu S Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL) from January 01, 2016. He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is a member of various Professional bodies including The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA), Institution of Naval Architects, India. He has more than 32 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry.

Shri N V Suresh Babu

Shri N V Suresh Babu is one of the first directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. Shri N V Suresh Babu is the Director (Operations) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 26, 2016. He holds a degree of Bachelor of Engineering (Mechanical) from the University of Kerala. He holds a Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He has completed one year Group Training Course in Shipbuilding, Repairing and Maintenance conducted by Overseas Shipbuilding Cooperation Centre under International Cooperation Programme of the Government of Japan under Colombo Plan. He has also undergone a practical training course with shipyard in Sekaide, Japan of Kawasaki Heavy Industries Limited. Furthermore, he has completed supplementary course in Japanese language held at Overseas Shipbuilding Cooperation Centre. He has more than 35 years of work experience across various areas of the shipyard such as Ship Building, Materials and Ship Repair divisions.

Shri Bejoy Bhasker

Shri Bejoy Bhasker was inducted to the Board of HCSL with effect from April 25, 2018. He is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 32 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair.

Shri Jose V J

Shri Jose V J was inducted to the Board of HCSL with effect from August 03, 2019. He is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL) from August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 29 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control.

Shri Chandra Mani Rout

Shri Chandra Mani Rout is one of the first directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. He holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and Post Graduate Diploma in Management and Remote Sensing from XIM, Bhubaneswar and IIRS, Dehradun respectively. He is currently working as the Director (IWT and Engg.), Ministry of Shipping, Government of India and has involved in the works pertaining to IWT sector of India including Bangladesh and Myanmar, Inland Waterways Authority of India (IWAI) and TAMP and ALHW and HDPEL along with the matter related to Development Wings of the Ministry of Shipping. He has more than 24 years of experience in Port and Harbor Engineering (Kolkata Port Trust), dredging in the river/estuary, River Hydraulics and R & D related areas. He has also visited several countries for the development of Inland waterways and Coastal Shipping of India. He is also a Director in Hooghly Dock & Port Engineers Limited.

NOTICE

Notice is hereby given that the 03rd Annual General Meeting of the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited will be held at 11.00 hrs. on Tuesday, August 04, 2020 at Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2020, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Madhu S Nair (DIN: 07376798), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2020-21.

Special Business

4. Appointment of Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) as a Director

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the 'Act') and the Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852), who was appointed by the Board of Directors as an Additional Director of the Company with effect from May 29, 2020 under Section 161(1) of the Act and who holds office up to the date of this Annual General Meeting, and is eligible for appointment and whose appointment has been recommended by the Board of Directors pursuant to the Ministry of Shipping Letter No. SY-11012/2/2020-HCSL dated February 04, 2020, be and is hereby appointed as a Director of the Company for a period of 3 years effective from May 29, 2020 up to May 28, 2023 and his office shall not be liable to retire by rotation."

   "RESOLVED FURTHER THAT any Director or Key Managerial Personnel of the Company be and is hereby severally authorized to file necessary returns/forms with the Registrar of Companies and to do all such acts, deeds and things that may be considered necessary, proper and expedient for the purpose of giving effect to the aforesaid resolution."

By the Order of the Board of Directors
For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969

Place : Kochi
Date : July 30, 2020

Notes:

1. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed hereto.
2. A member who is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the Meeting) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the proxy should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the commencement of the Meeting. A Proxy Form (MGT-11) is annexed to this Notice.
3. A person can act as a proxy on behalf of the members not exceeding fifty (50) members and holding in aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. In case, a proxy is proposed to be appointed by a member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder.
4. Members, Proxies and Authorized Representatives are requested to bring the duly filled attendance slip enclosed herewith along with their copy of Annual Report, to attend the Meeting. Corporate members intending to send their Authorized Representatives to attend the Meeting pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013 are requested to send to the Company, a certified copy of the Board Resolution or Power of Attorney or any other instrument authorizing their representative(s) to attend and vote on its behalf at the Meeting.
5. The registers maintained under the Companies Act, 2013 and all documents referred to in the Notice or in the accompanying Explanatory Statement are available for inspection by members at the Meeting.
6. The route map to the venue of the Meeting is enclosed with this notice.
7. This Meeting is proposed to be held outside the local limits of Kolkata at Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, at a shorter notice. The request, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, for consenting to conduct the meeting outside the local limits of Kolkata at a shorter notice is enclosed along with this Notice and the Meeting will be held only if the consent is received from all the Members entitled to vote at the Meeting.
8. The brief details of the directors, who are seeking appointment/re-appointment, are annexed to this Notice as per the requirements of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 4

Pursuant to the approval of the Union Cabinet for outright purchase of HDPEL's shares in HCSL by CSL, on November 01, 2019 the 57,20,000 HCSL shares held by HDPEL was transferred to CSL and with effect from the said date, HDPEL ceased to hold any shares in HCSL. As per the erstwhile Articles of Association (AoA) of the Company, as soon as HDPEL ceases to hold at least 10% of the paid up share capital of the Company, HDPEL's right to appoint Directors on the Board of HCSL shall cease to exist. Accordingly, HDPEL vide letter no. HDPEL/CMD/2020-21/001 dated May 18, 2020 withdrew the directorship of Shri S Balaji Arunkumar and Shri Chandra Mani Rout as the HDPEL's representatives.

Considering that the HCSL project is in a critical stage of execution, Cochin Shipyard Limited (CSL) had sought the approval of the Ministry of Shipping for the appointment of Shri S Balaji Arunkumar and Shri Chandra Mani Rout on the Board of the Company for a period of approximately 3 years. However, the Ministry of Shipping vide their letter no. SY-11012/2/2020-HCSL dated February 04, 2020 conveyed its approval for appointment of Shri Chandra Mani Rout only. Accordingly, the Board of Directors at their 13th Meeting held on May 29, 2020 relieved Shri S Balaji Arunkumar from the Directorship of the Company with effect from the close of business hours on May 29, 2020 and appointed Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) as Additional Director of the Company as per Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and in terms of Article No. 68 (i) of the Articles of Association of the Company.

As per Section 161(1) of the Companies Act, 2013, Shri Chandra Mani Rout holds office only upto the date of the ensuing Annual General Meeting but is eligible for appointment as a Director. The Board of Directors at their 13th Meeting held on May 29, 2020 has recommended the appointment of Shri Chandra Mani Rout as required under Section 160 of the Companies Act, 2013. He has accorded his consent to act as Director and he is not disqualified from being appointed as a Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

A brief resume of Shri Chandra Mani Rout is given below

Shri Chandra Mani Rout holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and Post Graduate Diploma in Management and Remote Sensing from XIM, Bhubaneswar and IIRS, Dehradun respectively. He is currently working as the Director (IWT and Engg.), Ministry of Shipping, Government of India and has involved in the works pertaining to IWT sector of India including Bangladesh and Myanmar, Inland Waterways Authority of India (IWAI) and TAMP and ALHW and HDPEL along with the matter related to Development Wings of the Ministry of Shipping. He has more than 24 years of experience in Port and Harbor Engineering (Kolkata Port Trust), dredging in the river/estuary, River Hydraulics and R & D related areas. He has also visited several countries for the development of Inland waterways and Coastal Shipping of India. He is also a Director in Hooghly Dock & Port Engineers Limited.

The Board recommends the Resolution at Item No. 4 of the Notice for approval of the Members.

None of the Directors/Key Managerial Personnel of the Company/their relatives other than Shri Chandra Mani Rout are in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at Item No. 4 of the Notice.

By the Order of the Board of Directors

For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969

Place: Kochi
Date : July 30, 2020

Registered Office:
The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani, Level 1,
Kolkata, West Bengal – 700 017.
CIN: U35900WB2017GOI223197
Phone: +91 (33) 44000517
e-mail: secretary.hcsl@cochinshipyard.com

FORM NO. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Venue of the Meeting : Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.
Day, Date and Time : Tuesday, August 04, 2020 at 11.00 hrs.

Name of Member(s)	
Registered Address	
E-mail ID	
Ledger Folio No.	

I/We, being the member(s) of Hooghly Cochin Shipyard Limited holding ______________________________ shares, hereby appoint:

1.

Name:
Address:
E-mail Id:
Signature:

or failing him/her

2.

Name:
Address:
E-mail Id:
Signature:

or failing him/her

3.

Name:
Address:
E-mail Id:
Signature:

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the THIRD ANNUAL GENERAL MEETING of members of the Company, to be held on Tuesday the 04th day of August, 2020 at 11.00 hrs. at Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Sl. No.	Resolution	For	Against
Ordinary Business			
1.	To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2020, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.		
2.	To appoint a Director in place of Shri Madhu S Nair (DIN: 07376798), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
3.	To fix the remuneration of Auditors appointed under Section 139 of the Companies Act, 2013.		
Special Business			
4.	Appointment of Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) as a Director.		

Signed this ………..... day of……....………………… 2020

Signature of Shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix Revenue Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ATTENDANCE SLIP

Venue of the Meeting : Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.
Day, Date and Time : Tuesday, August 04, 2020 at 11.00 hrs.

PLEASE FILL ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING VENUE

Name of the Shareholder(s)	
Registered Address	
E-mail ID	
Ledger Folio No.	
No. of shares held	

I certify that I am the registered shareholder(s)/proxy for the registered shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the THIRD ANNUAL GENERAL MEETING of the Company on Tuesday the 04th day of August, 2020 at 11.00 hrs. at Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Signature of the shareholder or proxy

ROUTE MAP TO THE VENUE OF THE MEETING

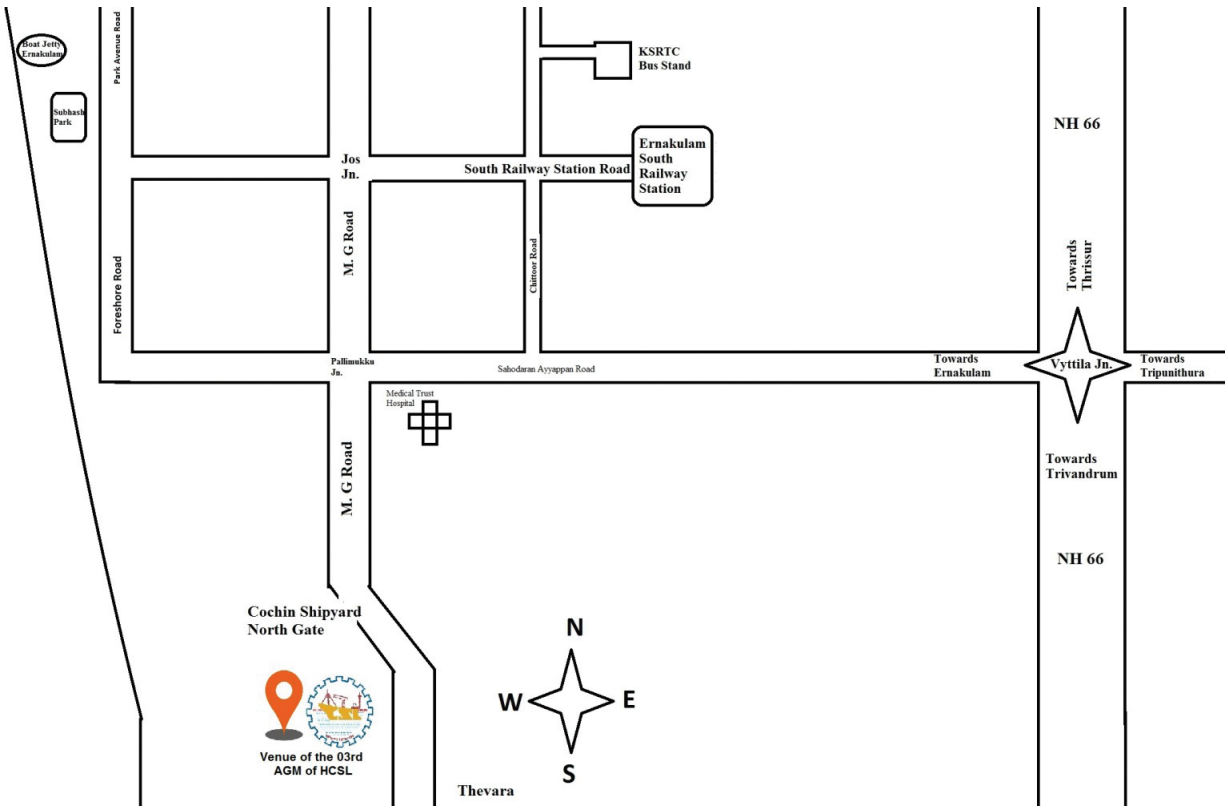

CONSENT OF SHAREHOLDER

[Pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013]

To
The Board of Directors,
Hooghly Cochin Shipyard Limited,
The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani,
Level 1, Kolkata, West Bengal – 700 017.

I, _____, son of _____,

resident of _____ _____

_____, holding _____ equity shares of Rs. 10 each in the Company, hereby give consent, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, to hold the 03rd Annual General Meeting (AGM) of the Company on August 04, 2020 outside the local limits of Kolkata at Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015 at a shorter notice.

Place :
Date :

Signature:
Name:

DETAILS OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/RE-APPOINTMENT AT THE 03RD ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

[Pursuant to the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)]

Name of the Director	Shri Madhu S Nair	Shri Chandra Mani Rout
DIN	07376798	06935852
Age & Date of Birth	54 & January 05, 1966	56 & July 16, 1964
Qualifications	He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan.	He holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and Post Graduate Diploma in Management and Remote Sensing from XIM, Bhubaneswar and IIRS, Dehradun respectively.
Experience	Shri Madhu S Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has more than 32 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry.	Shri Chandra Mani Rout is currently working as the Director (IWT and Engg.), Ministry of Shipping, Government of India and has involved in the works pertaining to IWT sector of India including Bangladesh and Myanmar, Inland Waterways Authority of India (IWAI) and TAMP and ALHW and HDPEL along with the matter related to Development Wings of the Ministry of Shipping. He has more than 24 years of experience in Port and Harbor Engineering (Kolkata Port Trust), dredging in the river/estuary, River Hydraulics and R & D related areas. He has also visited several countries for the development of Inland waterways and Coastal Shipping of India.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri Madhu S Nair was appointed as one of the first directors of the Company on October 23, 2017 as a nominee of Cochin Shipyard Limited (CSL) in the Board. Approval of the members is sought for continuation of office of directorship of Shri Madhu S Nair till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.	Shri Chandra Mani Rout was appointed as one of the first directors of the Company on October 23, 2017 as a nominee of Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) in the Board. HDPEL vide letter no. HDPEL/CMD/2020-21/001 dated May 18, 2020 withdrew his directorship as HDPEL Nominee. However, the Ministry of Shipping vide their letter no. SY-11012/2/2020-HCSL dated February 04, 2020 conveyed its approval for appointment of Shri Chandra Mani Rout for a period of 3 years. Accordingly, the Board at its 13th Meeting held on May

		29, 2020 appointed Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) as Additional Director of the Company as per Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and in terms of Article No. 68 (i) of the Articles of Association of the Company. The Board at the said meeting also recommended to the shareholders his appointment as Director as required under Section 160 of the Companies Act, 2013. In view of the above, approval of the members is sought for appointment of Shri Chandra Mani Rout for a period of 3 years. As per the terms of appointment, he is not liable to retire by rotation.
Details of remuneration sought to be paid on appointment / re-appointment and last drawn (FY 2019-20)	Nil	Nil
Date of first appointment on the Board	October 23, 2017	October 23, 2017
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)	Nil
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2019-20	5/5	2/5
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	Cochin Shipyard Limited	Hooghly Dock & Port Engineers Limited
Membership of Committees / Chairmanship in other Public Limited Companies	Nil	Nil

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

1. Your Directors have immense pleasure in presenting the 03rd Annual Report of your Company together with the financial statements for the year ended March 31, 2020, the Report of the Statutory Auditors and the comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013.

About the Project

2. The construction of the new shipyard at the Nazirgunge unit of the Company is progressing. The work is being undertaken under various work packages viz., Civil, External Electrical, Fire Fighting, Gas Piping, Mechanical works including Cranes & Machineries, ELV, HVAC and other packages including Moving shed, Winch and Cradle fabrication, Pontoon fabrication, etc. The site activities for setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge gathered momentum during the year 2019-20.

3. The construction work kick-started with the activities under Civil works package and the physical progress of Civil works had crossed the 50% mark when the Company had to stop all works on and from March 23, 2020 due to the COVID-19 situation. The status of the progress of activities under Civil works package as on March 31, 2020 is given below:

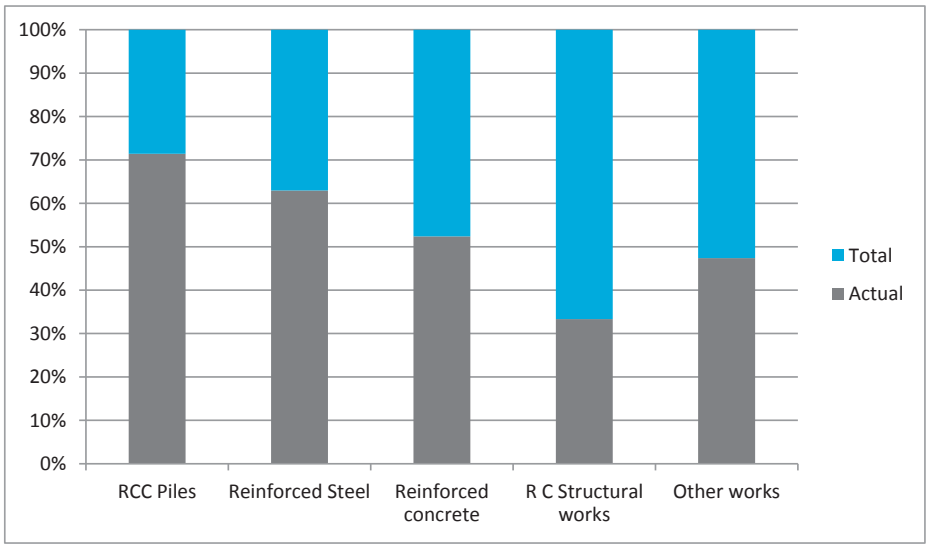

4. The activities under other work packages viz., Electrical, Gas Piping, Fire Fighting etc. also commenced during the year and are under various stages of execution. The work orders for utilities like Gas system, Fire fighting system and Electrical works have been released. Purchase orders for major machinery and cranes have been placed and supply of the same is being planned in line with the progress of the Civil work.

5. During the year, the construction of two outfitting jetties at Nazirgunge were completed and inaugurated on January 30, 2020; one by Shri Madhu S Nair, Chairman, HCSL & Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Limited (CSL) and one by Shri S Balaji Arunkumar, Director, HCSL & Chairman and Managing Director, Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL). As per the MoU with the Ministry of Shipping, target date for excellent rating for completing one Outfitting Jetty was February 15, 2020.

6. Pursuant to the approval of the Union Cabinet on October 03, 2019, the ownership of land assets of HDPEL were transferred to the Government of India in February, 2020. On such transfer the Government of India has replaced HDPEL as the Lessor and a Deed of Declaration to reflect the change in ownership of the leased land is under the consideration of Government of India. This is expected to be executed soon between the Company and the Government of India.

7. Towards the end of the financial year 2019-20, the world witnessed the unprecedented outbreak of COVID-19 Pandemic which severely impacted the economic activities across the globe. To contain the spread of the Pandemic, the Government Authorities imposed nationwide lockdown due to which the construction activities in Nazirgunge were halted from March 23, 2020 to June 08, 2020. The works resumed with limited manpower from June 09, 2020, but the momentum has not reached the Pre-COVID levels. Considering the loss of man-days due to the Pandemic, the original contractual completion date of June 2021 would be revised to September 2021. However, all efforts are being made to complete the project and commence the operations of the yard within the original contractual completion date of June 2021 itself. The full impact on account of the Pandemic and the extent to which the Project can be pulled back can be ascertained only during the progress of construction activities provided there is no total lockdown necessitated again.

Financial Details

8. The Company being in the process of setting up the required shipyard infrastructure facilities has reported a loss of Rs. 248.76 lakh (Rs. 133.19 lakh PY) during the financial year 2019-20. The total capital expenditure incurred in the financial year 2019-20 amounted to Rs. 3,641.55 lakh (Rs. 347.12 lakh PY).

Financial Highlights

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
(i)	Gross Income	77.14	75.77
(ii)	Profit/(Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	(197.79)	(175.84)
(iii)	Finance cost	(33.01)	-
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	(20.78)	(4.32)
(v)	Profit/(Loss) Before Tax	(251.58)	(180.16)
(vi)	Tax Asset	2.82	46.97
(vii)	Net Profit/(Loss)	(248.76)	(133.19)

Share Capital

9. The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 25,00,00,000 (Rupees Twenty Five Crore only) divided into 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakh) Equity Shares of face value of Rs. 10 (Rupees Ten only) each. The paid-up equity share capital of the Company as on March 31, 2020 is Rs. 22,00,00,000 (Rupees Twenty Two Crore only) divided into 2,20,00,000 (Two Crore Twenty Lakh) equity shares of face value of Rs. 10 (Rupees Ten only) each. Pursuant to the approval of the Union Cabinet on October 03, 2019, the 57,20,000 (26%) equity shares of the Company held by HDPEL was purchased by CSL on November 01, 2019 and since then the entire paid-up equity share capital is held by Cochin Shipyard Limited (CSL).

Debentures

10. The Company has 4,40,000 Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (Debentures) of face value of Rs. 1,000 (Rupees One Thousand Only) each outstanding as on March 31, 2020. The Debentures were issued in the month of September 2018 with a tenure of 60 months at a coupon rate of 6.50% per annum to CSL for an amount of Rs. 44,00,00,000 (Rupees Forty Four Crore Only). The Debentures are due for redemption in September 2023.

Dividend

11. No dividend is recommended as the Company is currently in the project implementation stage and have no divisible profits.

Transfer to Reserves

12. As the Company is in the project implementation stage and has incurred a loss during the financial year 2019-20, the Company is unable to transfer any amount to the Reserves.

Contribution to Exchequer

13. The total contribution made during the financial year 2019-20 by way of Goods and Services Tax (GST) and Income Tax (TDS) was approximately Rs. 112.74 lakh (Rs. 74.17 lakh PY).

Manpower Status

14. As on March 31, 2020, the Company has 11 employees consisting of 7 executives, 3 Project Officers and 1 Chief Project Engineer. The recruitment for positioning the required additional manpower will be done in a phased manner to ensure optimum manning level in the Company. Apart from the above, employees of the Holding Company, Cochin Shipyard Limited (CSL), are also engaged on secondment basis for the smooth execution of the Project.

Particulars of Employees and Related Disclosures

15. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof. Hence, details of remuneration of directors need not be included in the Board's report.

Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange earnings and outgo

16. The Company is in the process of setting up shipyard infrastructure facilities and aims to adopt energy efficient measures wherever possible; technology absorption would also be achieved on commencement of operations.

17. During the year 2019-20, there were no foreign exchange earnings and outgo.

Risk Management

18. The Company is in the process of setting up the required shipyard infrastructure facilities and the progress of the project is periodically reported to the Board for review and necessary guidance. A Comprehensive Risk Management Policy may be framed and adopted on commencement of the commercial operations.

Health, Safety & Environment (HSE)

19. The Company gives utmost importance to the Health and Safety of the work force and the Environment in which the work is being done. Towards this, the Company conducts periodic HSE awareness programs for the work force. As part of it, the national safety day was celebrated in HCSL on March 04, 2020 to enhance safety awareness among people.

Industrial Security

20. The physical security of the Company has been entrusted to the DGR Sponsored Security Agency, M/s. Col (TS) Prithvi Rajan Das (Retd). A total of 41 personnel have been deployed of which 24 are positioned at the Nazirgunge unit and 17 are positioned at the Salkia unit of the Company.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

21. As on the date of this report, the Company has 5 directors, all of whom are Non-Executive Directors and 3 Key Managerial Personnel viz., the CEO, CFO and the Company Secretary, the details of which are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman
2.	Shri N V Suresh Babu	07482491	Non-Executive Director
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
4.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director
5.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	Non-Executive Director
6.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	N.A.	Chief Executive Officer
7.	Shri Shibu John	N.A.	Chief Financial Officer
8.	Shri Aswin Sarma M	N.A.	Company Secretary

22. Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance), Cochin Shipyard Limited (CSL) was appointed as the nominee director of CSL in place of Shri D Paul Ranjan (DIN: 06869452) with effect from August 03, 2019.

23. Pursuant to the sale of shares held by HDPEL in the Company to CSL, HDPEL has withdrawn their nominee directors Shri S Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) and Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) with effect from the close of business hours on May 29, 2020. However, Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) was reappointed as Additional Director on the Board of the Company on May 29, 2020 pursuant to the Ministry of Shipping Letter No. SY-11012/2/2020-HCSL dated February 04, 2020.

24. There were no other changes in Directors or Key Managerial Personnel of the Company during the financial year 2019-20 and also up to the date of this report.

Details of Board Meetings held during 2019-20

25. Five Board Meetings were held during the financial year 2019-20 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held and the attendance of Directors in the said meetings are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1.	April 22, 2019	6	5
2.	July 12, 2019	6	6
3.	July 22, 2019	6	4
4.	October 28, 2019	6	6
5.	January 30, 2020	6	5

26. The attendance record of each director in the Board Meetings held during the financial year 2019-20 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	No. of Board Meetings attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	5/5
2.	Shri D Paul Ranjan*	06869452	3/3
3.	Shri N V Suresh Babu	07482491	4/5
4.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	5/5
5.	Shri Jose V J*	08444440	2/2
6.	Shri S Balaji Arunkumar	07526368	5/5
7.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	2/5

* Shri D Paul Ranjan (DIN: 06869452) was replaced with Shri Jose V J (DIN: 08444440) as Director with effect from August 03, 2019.

Committees of the Board

27. The Company has constituted a Securities Offer, Allotment and Transfer Committee. The Composition of the Committee as on March 31, 2020 and attendance record of members in the meetings held during the financial year 2019-20 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	No. of Meetings attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman	2/2
2.	Shri N V Suresh Babu	07482491	Member	2/2
3.	Shri Jose V J	08444440	Member	2/2

28. Two meetings of the Committee were held during the financial year 2019-20 on November 01, 2019 and January 30, 2020 respectively. All the members were present at the said meetings.

Evaluation of Board's Performance

29. As the paid-up share capital of the Company as at March 31, 2020 is less than twenty five crore rupees, the statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors is not disclosed in the Board's Report. However, the Ministry of Corporate Affairs vide notification GSR 463(E) dated June 05, 2015 has exempted Government Companies from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 which inter-alia provides that Section 134(3)(p) regarding statement on formal annual evaluation shall not apply to Government Companies in case the directors are evaluated by the Ministry which is administratively in-charge of the company as per its own evaluation methodology. Further, the said exemption notification also exempts the Government Companies from the provisions of Sub-Sections (2), (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors.

Declaration by Independent Directors

30. The Company has no Independent Directors on the Board as of now.

Directors Responsibility Statement

31. Your Directors state that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Contracts and Arrangements with Related Parties

32. During the year under report, the Company has entered into lease with Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) which was ratified by the Board of Directors at their meeting held on July 12, 2019. The disclosure in form AOC-2 with respect to the same is placed at **Annexure I**. Except as stated above, no Related Party Transactions were entered into by the Company during the financial year 2019-20, which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Further, your Directors draw attention to Note 27 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Governance

33. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, HCSL is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Management Discussion and Analysis

34. The Management Discussion and Analysis Report for the year under review, as per the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE) is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Internal Financial Controls

35. The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Secretarial Standards of ICSI

36. Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on April 23, 2015, notified the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective July 01, 2015. The Company is complying with the same.

Statutory Auditors

37. M/s. Ghosal, Basu & Ray (CA0624), Chartered Accountants, Kolkata were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2019-20.

Auditors Report

38. M/s. Ghosal, Basu & Ray, Statutory Auditors have submitted their report on May 29, 2020. However, pursuant to the observations of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(a) of the Companies Act, 2013, M/s. Ghosal, Basu & Ray submitted a revised report on July 20, 2020. Both the Reports do not contain any adverse remark.

Comments of C&AG

39. The comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 is placed at **Annexure II**.

Extract of Annual Return

40. The extract of annual return in Form MGT-9 as per Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 is placed at **Annexure III**.

Corporate Social Responsibility (CSR)

41. The Company being in its project implementation stage is not in a position to undertake CSR activities. Further, the Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR.

Vigilance

42. There were no vigilance cases pending/disposed off during the financial year 2019-20.

Supplementary Audit

43. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has entrusted the Supplementary Audit of the Company to the Office of The Director General of Audit (Coal), Old Nizam Palace, 234/4, A. J. C. Bose Road, Kolkata – 700 020. However, no audit objections on the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2020 have been raised by the said office.

Right to Information Act, 2005

44. During the year under review, the Company had received two requests under the Right to Information (RTI) Act, 2005 which were transferred by the Ministry of Shipping and appropriate reply for the same has been provided.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

45. Nil.

Material changes and commitments

46. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Particulars of loans, guarantees or investments

47. During the year under Report, the Company has not

a) given any loan to any person or other body corporate;

b) given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and

c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Details of change in nature of business

48. The Company has not yet started its business operations and is focusing on putting in place the required infrastructure to commence the business operations.

Deposits

49. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

50. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Other Disclosures

51. No cases have been filed / disposed off during the financial year 2019-20 under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed there under.

Acknowledgment

52. The Board of Directors is extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Minister of Shipping, Cochin Shipyard Limited (CSL), Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL), Kolkata Port Trust (KoPT) and all officers of the Ministry of Shipping, CSL, HDPEL and KoPT. The Board would also like to express its grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of West Bengal, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Legal Counsels, Consultants, Suppliers, Sub-contractors and Company's Bankers.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Place : Kochi
Date : July 30, 2020

Annexure I

FORM NO. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transaction under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis - Nil

Sl. No.	Particulars	Details
a)	Name (s) of the related party & nature of relationship	
b)	Nature of contracts/arrangements/transaction	
c)	Duration of the contracts/arrangements/transaction	
d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any	
e)	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions'	
f)	Date of approval by the Board	
g)	Amount paid as advances, if any	
h)	Date on which the special resolution was passed in General meeting as required under first proviso to section 188	

2. Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis.

Sl. No.	Particulars	Details
a)	Name (s) of the related party & nature of relationship	Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL). HDPEL held 26% in the equity share capital of HCSL.
b)	Nature of contracts/arrangements/ transaction	Leasing of land
c)	Duration of the contracts/ arrangements/transaction	Two years
d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any	Lease of 1000 square meter land containing nine (9) Mazdur quarters, adjacent toilet complex and the adjoining land in front of the quarters situated at Nazirgunge and lying adjacent and opposite to the HCSL Nazirgunge facility for a lease rent of Rs. 1,155 (Rupees One Thousand One Hundred and Fifty Five Only) per 100 square meter per month with 2.5% annual increment.
e)	Date of approval by the Board	July 12, 2019
f)	Amount paid as advances, if any	Nil

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Place : Kochi
Date : July 30, 2020

Annexure II

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 May 2020 and revised Audit Report dated 20 July 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2020. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. In view of the revision made to the Independent Auditors' Report as indicated under "Other Matters" as a result of my audit observations highlighted during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the Statutory Auditors' Report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor-General of India

(Mausumi Ray Bhattacharyya)
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
KOLKATA

Place : Kolkata,
Dated : 27 July, 2020

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Place : Kochi
Date : July 30, 2020

Annexure III

FORM NO. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on financial year ended on 31.03.2020

Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U35900WB2017GOI223197
2.	Registration Date	October 23, 2017
3.	Name of the Company	Hooghly Cochin Shipyard Limited
4.	Category/Sub-category of the Company	Public Company/ Limited by Shares
5.	Address of the Registered office & contact details	The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani, Level 1, Kolkata – 700 017, West Bengal, India. Ph: 913344000517 E-mail: secretary.hcsl@cochinshipyard.com
6.	Whether listed company	No
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY (All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
Not Applicable since the Company is in project stage and yet to start its operations.			

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No.	Name and Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1.	Cochin Shipyard Limited Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam - 682 015, Kerala, India.	L63032KL1972GOI002414	Holding	100	2(46)

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 01st April 2019]				No. of Shares held at the end of the year [As on 31st March 2020]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Central Govt	-	10	10	-*	-	-	-	-	(-)*
c) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Bodies Corporate	-	2,19,99,990	2,19,99,990	100#	2,19,99,940	60	2,20,00,000	100	-
e) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total (A)(1)	-	2,20,00,000	2,20,00,000	100	2,19,99,940	60	2,20,00,000	100	-
(2) Foreign									
a) NRIs – Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other – Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other…	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total (A)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total shareholding of Promoter (A)(1) + (A)(2)	-	2,20,00,000	2,20,00,000	100	2,19,99,940	60	2,20,00,000	100	-
B. Public Shareholding									
(1) Institutions									
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-

h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total (B)(1)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(2) Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)									
(i) Non Resident Indians	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Overseas Corporate Bodies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Foreign Nationals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Clearing Members	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) Trusts	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) Foreign Bodies - D R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total (B)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Grand Total (A+B+C)	-	2,20,00,000	2,20,00,000	100	2,19,99,940	60	2,20,00,000	100	-

**The percentage of shares held by the Central Govt. as at the beginning of the year and the change during the year is 0.00004545. The percentage is not shown in the above table as it is negligible in terms of the total shares of the Company.*

#The percentage of shares held by Bodies Corporate as at the beginning of the year comes to 99.99995455. Hence it is rounded off to 100.

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year [As on 01st April 2019]			Shareholding at the end of the year [As on 31st March 2020]			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares pledged / encumbered to total shares	
1.	Cochin Shipyard Limited (CSL)	1,62,80,000	74	-	2,20,00,000	100	-	26
2.	Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL)	57,19,990	26#	-	-	-	-	(26)#
3.	Ministry of Shipping, Government of India	10	-*	-	-	-	-	(-)*

Note: Of the 2,20,00,000 shares held by Cochin Shipyard Limited (CSL), 2,19,99,940 are held in the name of CSL and the balance 60 shares (10 shares each) are held by CSL Nominees on behalf of CSL.

#The percentage with respect to HDPEL comes to 25.99995455. Hence it is rounded off to 26.

**The percentage with respect to Ministry of Shipping, Government of India is 0.00004545. The percentage is not shown in the above table as it is negligible in terms of the total shares of the Company.*

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.	Particulars			Shareholding at the beginning of the year [As on 01st April 2019]		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year [As on 01st April 2019]			2,20,00,000	100	-	-
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment /transfer / bonus/ sweat equity etc.):			-	-	-	-
	Date	**Name**	**Reason**				
	November 01, 2019	Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL)	Inter se Transfer	(57,19,990)	(26)#	1,62,80,010	74$
	November 01, 2019	Cochin Shipyard Limited (CSL)	Inter se Transfer	57,19,990	26#	2,20,00,000	100
	November 01, 2019	Ministry of Shipping, Government of India	Inter se Transfer	(10)	(-)*	2,19,99,990	100$
	November 01, 2019	Cochin Shipyard Limited (CSL)	Inter se Transfer	10	-*	2,20,00,000	100
	At the end of the year [As on 31st March 2020]			-	-	2,20,00,000	100

Note: #The percentage with respect to inter se transfer between HDPEL and CSL comes to 25.99995455. Hence it is rounded off to 26.

**The percentage with respect to inter se transfer between Ministry of Shipping, Government of India and CSL is 0.00004545. The percentage is not shown in the above table as it is negligible in terms of the total shares of the Company.*

$The percentage of cumulative shareholding during the year to the total shares with respect to HDPEL and Ministry of Shipping, Government of India comes to 74.00004545 and 99.99995454 and hence it is rounded off to 74 and 100 respectively.

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders: (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs) – Nil

The Company does not have any shareholders other than promoters.

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

Sl. No.	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel			Shareholding at the beginning of the year [As on 01st April 2019]		Cumulative Shareholding during the year [As on 31st March 2020]	
				No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year [As on 01st April 2019]						
1.	Shri Madhu S Nair, Chairman & CSL Nominee Director (DIN: 07376798)			10	-*		
2.	Shri D Paul Ranjan, CSL Nominee Director# (DIN: 06869452)			10	-*		
3.	Shri N V Suresh Babu, CSL Nominee Director (DIN: 07482491)			10	-*		
4.	Shri Bejoy Bhasker, CSL Nominee Director (DIN: 08103825)			10	-*		
5.	Shri S Balaji Arunkumar, HDPEL Nominee Director (DIN:07526368)			10	-*		
6.	Shri Chandra Mani Rout, HDPEL Nominee Director (DIN: 06935852)			10	-*		
7.	Shri Jose V J, CSL Nominee Director# (DIN: 08444440)			-	-		
	Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc.):						
	Date	**Name**	**Reason**				
	November 01, 2019	Shri D Paul Ranjan	Transfer	(10)	-*	-	-
	November 01, 2019	Shri Jose V J	Transfer	10	-*	10	-*
	November 01, 2019	Shri S Balaji Arunkumar	Transfer	(10)	-*	-	-
	November 01, 2019	Shri Chandra Mani Rout	Transfer	(10)	-*	-	-
	At the end of the year [As on 31st March 2020]						
1.	Shri Madhu S Nair, Chairman & CSL Nominee Director (DIN: 07376798)			-	-	10	-*
2.	Shri D Paul Ranjan, CSL Nominee Director# (DIN: 06869452)			-	-	-	-
3.	Shri N V Suresh Babu, CSL Nominee Director (DIN: 07482491)			-	-	10	-*
4.	Shri Bejoy Bhasker, CSL Nominee Director (DIN: 08103825)			-	-	10	-*
5.	Shri S Balaji Arunkumar, HDPEL Nominee Director (DIN:07526368)			-	-	-	-
6.	Shri Chandra Mani Rout, HDPEL Nominee Director (DIN: 06935852)			-	-	-	-
7.	Shri Jose V J, CSL Nominee Director# (DIN: 08444440)			-	-	10	-*

Note: #Shri Jose V J, was appointed as the nominee director of CSL in place of Shri D Paul Ranjan with effect from August 03, 2019.

**Since the percentage of total shares held by the Directors is negligible, it is not shown in the above table.*

CSL nominee directors hold shares on behalf of CSL. Shri S Balaji Arunkumar had been allotted shares for subscribing to the MoA and AoA of the Company as the representative of HDPEL. Shri Chandra Mani Rout had been allotted shares for subscribing to the MoA and AoA of the Company as the representative of Ministry of Shipping, Government of India.

The Key Managerial Personnel viz., the CEO, CFO and the Company Secretary does not hold shares in the Company.

V. INDEBTEDNESS - Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. In Crore)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year [As on 01st April 2019]				
i) Principal Amount	-	44.00	-	44.00
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	01.54	-	01.54
Total (i + ii + iii)	**-**	**45.54**	**-**	**45.54**
Change in Indebtedness during the financial year 2019-20				
Addition	-	-	-	-
Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year [As on 31st March 2020]				
i) Principal Amount	-	44.00	-	44.00
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	01.54	-	01.54
Total (i + ii + iii)	**-**	**45.54**	**-**	**45.54**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager – **Nil**

The Company does not have a Managing Director/Whole Time Director or Manager.

B. Remuneration to other directors – **Nil**

Nominee Directors are not paid any remuneration by the Company.

C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other Than MD/Manager/WTD - **Nil**

No remuneration is being paid to the Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO) and the Company Secretary since they are the employees of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company and they hold their respective offices in the Company in addition to that held in CSL.

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES - Nil

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Place : Kochi
Date : July 30, 2020

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Hooghly Cochin Shipyard Limited ("HCSL/ Company") believes that good Corporate Governance facilitates effective and prudent management that can deliver the long-term success of the Company. Considering this, HCSL strives for good governance practices through transparency, fairness, accountability and stakeholder engagement. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the Company has prepared the report on Corporate Governance in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by DPE.

Board of Directors

2. The Company was formed as a Joint Venture between Cochin Shipyard Limited (CSL) and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) and as per the Joint Venture agreements, the Board shall comprise of not more than 11 persons. HDPEL shall have the right to nominate such number of Directors as is proportionate to its shareholding in the Company subject to a minimum of two so long as the shareholding of HDPEL is maintained at a minimum of 10% in the Company. CSL shall have the right to nominate the remaining Directors subject to a minimum of 3 Directors, who shall be nominated for appointment on behalf of CSL by the Chairman and Managing Director of CSL.

3. However, as part of the 'Proposal for Liquidation & Restructuring of and providing improved Voluntary Retirement Scheme (VRS) for the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL)', the Union Cabinet on October 03, 2019 accorded its approval for outright purchase by CSL of the Company's shares held by HDPEL at book value. Pursuant to the said approval, the 57,20,000 HCSL shares held by HDPEL was transferred to CSL on November 01, 2019 and with effect from the said date, HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL. In view of the above and as per the existing Articles of Association of the Company the Chairman and Managing Director of CSL is authorized to nominate the Directors for appointment on the Board of the Company.

4. As on the date of this report, the Board of the Company consists of five non-executive directors. The Company has a non-executive Chairman. The composition of the Board as on the date of this report is as follows.

Sl. No.	Name of the Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman
2.	Shri N V Suresh Babu	07482491	Non-Executive Director
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
4.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director
5.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	Non-Executive Director

5. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil

Appointment / Reappointment of Directors

6. Shri D Paul Ranjan (DIN: 06869452) and Shri S Balaji Arunkumar (DIN: 07526368), whose offices as Director were liable to retire by rotation and being eligible were reappointed as the Directors of the Company in the second Annual General Meeting held on July 12, 2019. Further, Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance), Cochin Shipyard Limited (CSL) was appointed as the nominee director of CSL in place of Shri D Paul Ranjan (DIN: 06869452) with effect from August 03, 2019.

7. Pursuant to the sale of shares held by HDPEL in the Company to CSL, HDPEL has withdrawn their nominee directors Shri S Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) and Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) with effect from the close of business hours on May 29, 2020. However, Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) was reappointed as Additional Director on the Board of the Company on May 29, 2020 pursuant to the Ministry of Shipping Letter No. SY-11012/2/2020-HCSL dated February 04, 2020.

8. The profile of the Directors who are on the Board of the Company as on the date of this report including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by these Directors are provided under the heading 'Directorships and Committee positions' below.

Attendance of Directors at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM)

9. Five Board Meetings were held during the year under review. The gap between any two meetings has been less than one hundred and twenty days. The 02nd AGM of HCSL was held on July 12, 2019. The details of attendance of Directors at the said Board Meetings and AGM are given below:

Name of the Director	Board Meeting					AGM
	2019				2020	Jul 12, 2019
	Apr 22	Jul 12	Jul 22	Oct 28	Jan 30	
Shri Madhu S Nair	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri D Paul Ranjan*	Yes	Yes	Yes	N.A.	N.A.	Yes
Shri N V Suresh Babu	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Shri Bejoy Bhasker	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Jose V J*	N.A.	N.A.	N.A.	Yes	Yes	N.A.
Shri S Balaji Arunkumar	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Chandra Mani Rout	No	Yes	No	Yes	No	Yes

*Shri D Paul Ranjan (DIN: 06869452) was replaced with Shri Jose V J (DIN: 08444440) as Director with effect from August 03, 2019

Directorships and Committee positions

10. The total number of Directorship(s)/Chairmanship(s) held by Directors and the positions of Membership/ Chairmanship on Committees including Hooghly Cochin Shipyard Limited, as on the date of this report, are

given below:

Name of the Director	No. of Directorship		Board Committees	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Shri Madhu S Nair	2	-	-	-
Shri N V Suresh Babu	-	2	-	1
Shri Bejoy Bhasker	-	2	-	-
Shri Jose V J	-	2	-	1
Shri Chandra Mani Rout	-	2	-	-

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships and Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

Board Committees

11. The Company is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance.

12. The Company has constituted a Securities Offer, Allotment and Transfer Committee. The Composition of the Committee as on the date of this report and attendance record of members in the meetings held during the financial year 2019-20 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	No. of Meetings attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman	2/2
2.	Shri N V Suresh Babu	07482491	Member	2/2
3.	Shri Jose V J	08444440	Member	2/2

13. Two meetings of the Committee were held during the financial year 2019-20 on November 01, 2019 and January 30, 2020 respectively. All the members were present at the said meetings.

General Body Meetings

14. The Company was incorporated on October 23, 2017 and hence only two Annual General Meetings (AGM) were held during the last three years, the details of which are given below:

Year	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
2017-18	July 18, 2018 at 11.00 hrs.	The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani, Level 1, Kolkata, West Bengal – 700 017 (Registered Office)	Yes*
2018-19	July 12, 2019 at 10.00 hrs.	The Lalit Great Eastern Kolkata, 1,2,3 Old Court House Street, Dalhousie Square, Kolkata, West Bengal – 700 069	No

* Special Resolutions approving the borrowing limits up to Rs. 200 Crore and private placement of securities other than equity shares including NCDs upto Rs. 100 Crore within the above said limit of Rs. 200 Crore were passed in the AGM held on July 18, 2018.

15. Two Extra Ordinary General Meetings (EGM) of the Company had also been held since its incorporation on October 23, 2017, the details of which are given below:

Date & Time	Venue	Special Resolution passed
December 14, 2017 at 17.00 hrs.	The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani, Level 1, Kolkata, West Bengal – 700 017 (Registered Office)	Yes*
February 17, 2020 at 10.00 hrs.	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	Yes#

* Special Resolution for issue of shares to CSL and HDPEL was passed in the EGM held on December 14, 2017.

Special Resolution for adoption of new set of Articles of Association for the Company was passed in the EGM held on February 17, 2020.

16. The third AGM of the Company is scheduled to be held on August 04, 2020 at 11.00 hrs. at Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Other Disclosures

(i) Related Party Transactions

17. During the year under review, the Company has not entered into any materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interests of the Company at large.

(ii) Non-compliance by the Company

18. There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties/strictures were imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by Government, during the last three years.

(iii) Whistle Blower Policy

19. The Company is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations. Once the infrastructure is in place and the Company commences its operations, it will formulate and put in place a Whistle Blower Policy to provide a framework for Stakeholders to report to the management, instances of illegal or unethical practices, unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy.

(iv) Compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance

20. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance.

(v) Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years.

21. The Company being in the project implementation stage is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge in Kolkata. The Company has been complying with the Presidential Directives issued by Central Government with respect to the Public Sector Undertakings (PSU), wherever applicable.

(vi) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.

NIL

(vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management.

NIL

(viii) The administrative and office expenses of the Company for the year 2019-20 were 42.39% (47.49% PY) of the total expenses. The financial expenses stood at 10.04% (0% PY) of the total expenses in the year 2019-20.

(ix) Means of communication of results

22. The Company, a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL) is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations. As the Company's shares are not listed in any of the stock exchanges, there is no statutory requirement for publishing the quarterly/half yearly/annual results. However, the consolidated financial results (quarterly/half yearly/ annual) of CSL which takes into account the financial results of the Company as well is published as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Annual Reports and the official news releases of the Company is placed at CSL's website www.cochinshipyard.com and the same shall be made available at the Company's website once the website of the Company is operational.

(x) Audit Qualifications

23. The Report submitted by the Statutory Auditors, M/s. Ghosal Basu & Ray, with respect to the financial statements of the Company for the financial year 2019-20 does not contain any adverse remark.

(xi) Training of Board Members

24. Presently, the Company is focusing on putting in place the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations and in the course of time the Board members will be provided training in various areas for the success of the business.

Address for Correspondence:

The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani,
Level 1, Kolkata, West Bengal – 700 017.
Tel: +91 (33) 44000517,
Email: secretary.hcsl@cochinshipyard.com

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Place: Kochi
Date : July 30, 2020

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Forward looking statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The management of Hooghly Cochin Shipyard Limited ("HCSL" or "the Company") has used estimates and judgments relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.

2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report. Unless otherwise specified or the context otherwise requires, all references herein to "we", "us", "our", "the Company", "Hooghly Cochin Shipyard", "HCSL", "Group" are with respect to Hooghly Cochin Shipyard Limited and its holding company.

Global Shipbuilding Industry

3. As per available inputs, the global Shipbuilding industry is still going through a downturn which is likely to continue for the next year. The chief factor which contributed for this was the decline in oil prices. The COVID-19 crisis could impact the sector further as economies world-wide are impacted and trade takes declines.

Indian Shipbuilding Industry

4. The opportunities in the defence and inland/ coastal waterways segments were the focus areas for the Indian Shipbuilding Industry. The government's focus on development of Inland and Coastal Waterways infrastructure is expected to spur demand for this sector. It is estimated that to begin with around 150 vessels may be required to carry cargo in national waterways once it is commissioned.

Government of India (GOI) Initiatives in Inland Waterways

5. The GOI has taken initiative to develop the National Waterway No. 1 (NW-1) through the Jal Marg Vikas Project with technical and financial assistance of the World Bank.

6. The Proposed Project - Jal Marg Vikas aims at improvement of navigation in entire stretch of 1620 km. of NW-1 (Haldia to Allahabad). The GOI has availed World Bank fund for the development of the Inland Waterway No. 1 between Haldia and Varanasi. The Government's initiative to develop inland waterways present an opportunity for the Indian Shipbuilding Industry in the form of future orders in building various vessels such as Ro Pax vessels, Dredgers, Multipurpose & Mini Bulk Carriers, Inland Cruise Vessels, Petroleum Product Carriers etc.

Global Ship Repair Industry

7. As per available inputs, India has high potential in the Ship Repair segment, even though presently its share in global ship repair market is not significant. India's strategic position along the east bound and west bound international trade routes offers an opportunity to cater to vessels plying on these routes.

Indian Ship Repair Industry

8. The current captive market for ship repair in India is estimated at around Rs. 2,500 crore. It is estimated that only 15% of the country's potential is being tapped presently. Lack of infrastructure and weak ancillary support are the primary reasons for failure to tap the above opportunities. As a part of the Sagarmala project, government has embarked on a programme for utilisation of existing repair facilities in major ports for ship repair services by professional shipyards. Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company of HCSL, has recently commenced a new ship repair unit (CKSRU) at Netaji Subas Docks in Kolkata.

Operations

9. Hooghly Cochin Shipyard Limited, formed as a joint venture company between CSL and HDPEL is an initiative of the Ministry of Shipping, with an ambition to be a lead player in the inland water ways segment of Shipbuilding and Ship repair, which is rapidly evolving in the country. The Company is now a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL). During the year 2019-20 the activities for setting up a new shipyard at Nazirgunge picked up pace and were moving forward as scheduled. The physical progress of Civil construction works has achieved 50% as on March 31, 2020. The work orders for utilities like Gas system, Fire system and Electrical works have been released and are in the advance stages of delivery. The purchase orders for all major machineries and cranes have also been placed. All the deliveries are planned in line with the progress of Civil works.

10. However, due to the unprecedented outbreak of COVID-19 Pandemic across the country and subsequent lockdown imposed by the Government Authorities, HCSL project activities were halted from March 23, 2020 to June 08, 2020. Accordingly, the original contractual completion date of June 2021 would be revised to September 2021. However, all efforts are being made since resumption of works on June 09, 2020 to complete the project and commence the operations of the yard within the original contractual completion date of June 2021 itself. The full impact on account of the Pandemic and the extent to which the Project can be pulled back can be ascertained only during the progress of construction activities provided there is no total lockdown necessitated again.

11. The Company being in the project implementation stage has reported a loss of Rs. 248.76 lakh during the financial year 2019-20 (Rs. 133.19 lakh PY). The total capital expenditure incurred in the financial year 2019-20 amounted to Rs. 3,641.55 lakh (Rs. 347.12 lakh PY)

Proposed Dividend

12. No dividend is recommended as the Company is in the project implementation stage and does not have divisible profits.

Segment wise/ product wise performance

13. The Company is in the project implementation stage and has not commenced its operations.

SWOT

14. Hooghly Cochin Shipyard Limited is in the early stages of its project implementation and hence is not in a position to analyse the Strength, Weakness, Opportunities and Threats. However, the Company foresees a good opportunity in the emerging Inland waterways and Coastal shipping sector in India.

Risks and concerns

15. The Company endeavours to set up the required shipyard infrastructure at Nazirgunge and Salkia to cater to the needs of the inland waterways segment. Delay in timely completion of developmental works and failure to commence operations as planned and the uncertainty posed by COVID-19 Pandemic, would be the major risk at the moment for the Company.

16. Availability of experienced and talented workforce for undertaking the works at the sites also poses a risk. The project implementation is also subject to inherent risks such as equipment defects, malfunctions and failures, equipment misuse and disasters that can result in fires and explosions. The Company intends to mitigate the said risks through professional project management, vendor development programmes and ensuring warranties on equipment, machineries, plant etc. and availing insurance cover on its assets.

Internal Control

17. The Company has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Human Resource Development and Industrial Relations

18. The Company is in the process of developing the necessary human resources and putting in place a suitable organisation structure for ensuring readiness to commence operations once the construction phase is over.

Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

19. The Company is in the process of setting up shipyard infrastructure facilities and has given preference in adopting energy efficient measures; technology absorption would be achieved on commencement of operations. The Company has not incurred any expenses in foreign currency during the year 2019-20.

Corporate Social Responsibility

20. Since the Company is in its early stages of project implementation no attempt has been taken for Corporate Social Responsibility. In due course efforts will be ensured towards the Corporate Social Responsibility aspects of the organisation.

Cautionary statement

21. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Place: Kochi
Date : July 30, 2020

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED** ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31st March 2020, and the statement of Profit and Loss, (statement of changes in equity) and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020, and profit/loss, (changes in equity) and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, (changes in equity) and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS's ~~accounting~~ ~~Standards~~ specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence

obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (3) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in Annexure A to this report a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

Based on the verification of records of the Company and based on information and explanation given to us, we give in Annexure B & C reports on the Directions and additional directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of section 143(5) of the Companies Act, 2013.

As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) The company has no branches and, consequently,

the question of dealing with reports of branch auditors does not arise.

d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

f) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2020 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2020 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure D to this Report.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.

ii) The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)
UDIN: 20052204AAAAAW7407

Place : Kolkata,
Date : 29 May, 2020

Annexure A

Matters to be included in the auditor's report Under Companies (Auditors' Report) Order, 2016

(i) (a) The company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of its fixed assets.

(b) The fixed assets have been verified physically by the management and no discrepancies have been noted.

(c) The title deeds of immovable properties are held in the name of the company.

(ii) The Company has no inventory; hence the question of conducting physical verification does not arise.

(iii) The company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.

(iv) The Company has not given any loans that attract the provisions of sec. 185 and 186 of the Companies Act, 2013; hence the question of our reporting under this clause does not arise.

(v) The company has not accepted deposits of the nature that attracts the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder. Hence, the question of our reporting under this clause does not arise.

(vi) The Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013; hence the question of our reporting under this clause does not arise.

(vii) (a) The company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, goods & services tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities;

(b) there are no dues of income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax or goods & services tax that have not been deposited on account of any dispute; hence, the question of our reporting under this clause does not arise.

(viii) The Company has not taken any loans or borrowing from financial institutions, banks, Government or debenture holders; hence the questions of defaulting on repayment and our reporting under this clause do not arise.

(ix) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans; hence the question of their application or the question of our reporting under this clause does not arise.

(x) No fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

(xi) The Company has not paid any managerial remuneration as per Section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013; hence the question of our reporting under this clause does not arise.

(xii) This Company is not a Nidhi Company; hence the question of our reporting under this clause does not arise.

(xiii) All transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc., as required by the applicable accounting standards;

(xiv) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review; hence the question of our reporting under this section does not arise.

(xv) The company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them and, hence, the question of our reporting under this clause does not arise.

(xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)

Place : Kolkata,
Date : 29 May, 2020

Annexure B

Annexure referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our Independent Auditors report of even date on the IND AS stand alone financial statements of M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd for the year ended 31 March, 2020

A. Directions:

Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 applicable from year 2018-19 onwards indicating the areas to be examined by Statutory Auditors:

We give below our report on the matters referred therein:

a) Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Based on our examination of the records of the Company and according to the information and explanation given to us, all the company's accounting records are maintained in IT system through outsourcing to an accounting firm. As such, there is no recording of transactions outside the system, and hence no financial implication in this respect.

b) Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.

Based on our examination of the records of the Company and according to the information and explanation given to us, there has been no instance of restructuring of existing loans or instances of waiver/write off of debts/loans/interest etc during the year.

c) Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

Based on our examination of the records of the Company and according to the information and explanation given to us, the Company has not received any specific funds under any specific scheme and as such the question of utilisation does not arise.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)

Place : Kolkata,
Date : 29 May, 2020

Annexure C

Annexure referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our Independent Auditors report of even date on the IND AS stand alone financial statements of M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd for the year ended 31 March, 2020

B. Additional Directions:

Additional Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 Statutory Auditors appointed for audit of Joint venture company for year 2018-19:

We give below our report on the matters referred therein:

a) Whether the company has conducted physical verification exercise of assets and properties at the time of merger/split/restructure of an area. If so, whether the concerned subsidiary followed the requisite procedure

Based on our examination of records of the Company and according to the information and explanation given to us, there has been no instance of merger/split/restructure during the year and as such the above requirement was not applicable.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)

Place : Kolkata,
Date : 29 May, 2020

Annexure D

[Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")]

We have audited the internal financial controls over financial reporting of ***Hooghly Cochin Shipyard Limited*** ("the Company") as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external

purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)

Place : Kolkata,
Date : 29 May, 2020

REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED** ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31st March 2020, and the statement of Profit and Loss, (statement of changes in equity) and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020, and profit/loss, (changes in equity) and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Other Matters

We have issued an Audit Report dated 29 May, 2020 ("the Original Report") at Kolkata on the financial statements as adopted by Board of Directors on even date. Pursuant to the observations of the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(6)(a) of the Companies Act, 2013, we have revised the said Audit Report. This revised Audit Report has no impact on the reported figures in the financial statements of the Company, except to the extent mentioned at Sl. No.3 below. This Audit Report supersedes the original report, which has been suitably revised to consider observations of Comptroller and Auditor General of India and amendment made to the following points as detailed below:

1. Titular heading of Annexure B of the Independent Auditor's Report, which may be read as 'Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31 March 2020;

2. Withdrawal of Annexure C from the Independent Auditor's Report; as a result of which Annexure D, relating to the adequacy of Internal Financial Controls over financial reporting of the company and operating effectiveness of such controls, may now be read as Annexure C. Necessary changes to this effect has also been given under Sl. No. (g) of Report on Other Legal and Regulatory Requirements.

3. Erroneous reporting in Note 13.2 which may be read as '2,20,00,000 equity shares of Rs.10/- each' under Particulars, and '2,20,00,000' under No. of Shares Held as on 31.03.2020.

Our Audit procedure on events subsequent to the date of the original report is restricted solely to the amendment to the above points.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, (changes in equity) and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS's specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (3) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in

Annexure A to this report a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

Based on the verification of records of the Company and based on information and explanation given to us, we give in Annexure B reports on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of section 143(5) of the Companies Act, 2013. Pursuant to the observations of the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(6)(a) of the Companies Act, 2013, Annexure C report on the Additional Directions stands withdrawn.

As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) The company has no branches and, consequently, the question of dealing with reports of branch auditors does not arise.

d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

f) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2020 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2020 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure C to this Report.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i) The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.

   ii) The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

   iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)
UDIN: 20062204AAAABQ5927

Place : Kolkata,
Date : 20 July, 2020

Annexure A

Matters to be included in the auditor's report Under Companies (Auditors' Report) Order, 2016

(i) (a) The company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of its fixed assets.

(b) The fixed assets have been verified physically by the management and no discrepancies have been noted.

(c) The title deeds of immovable properties are held in the name of the company.

(ii) The Company has no inventory; hence the question of conducting physical verification does not arise.

(iii) The company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.

(iv) The Company has not given any loans that attract the provisions of sec. 185 and 186 of the Companies Act, 2013; hence the question of our reporting under this clause does not arise.

(v) The company has not accepted deposits of the nature that attracts the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder. Hence, the question of our reporting under this clause does not arise.

(vi) The Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013; hence the question of our reporting under this clause does not arise.

(vii) (a) The company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, goods & services tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities;

(b) there are no dues of income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax or goods & services tax that have not been deposited on account of any dispute; hence, the question of our reporting under this clause does not arise.

(viii) The Company has not taken any loans or borrowing from financial institutions, banks, Government or debenture holders; hence the questions of defaulting on repayment and our reporting under this clause do not arise.

(ix) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans; hence the question of their application or the question of our reporting under this clause does not arise.

(x) No fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

(xi) The Company has not paid any managerial remuneration as per Section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013; hence the question of our reporting under this clause does not arise.

(xii) This Company is not a Nidhi Company; hence the question of our reporting under this clause does not arise.

(xiii) All transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc., as required by the applicable accounting standards;

(xiv) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review; hence the question of our reporting under this section does not arise.

(xv) The company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them and, hence, the question of our reporting under this clause does not arise.

(xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)

Place : Kolkata,
Date : 20 July, 2020

Annexure B

Annexure referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our Independent Auditors report of even date on the IND AS stand alone financial statements of M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd for the year ended 31 March, 2020

Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31 March, 2020

We give below our report on the matters referred therein:

a) Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Based on our examination of the records of the Company and according to the information and explanation given to us, all the company's accounting records are maintained in IT system through outsourcing to an accounting firm. As such, there is no recording of transactions outside the system, and hence no financial implication in this respect.

b) Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.

Based on our examination of the records of the Company and according to the information and explanation given to us, there has been no instance of restructuring of existing loans or instances of waiver/write off of debts/loans/interest etc during the year.

c) Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

Based on our examination of the records of the Company and according to the information and explanation given to us, the Company has not received any specific funds under any specific scheme and as such the question of utilisation does not arise.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)

Place : Kolkata,
Date : 20 July, 2020

Annexure C

[Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")]

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Hooghly Cochin Shipyard Limited** ("the Company") as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control

over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

Apratim Ray
Partner
(Membership No. 52204)

Place : Kolkata,
Date : 20 July, 2020

'THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK'

Financial Statements

2019-20

Balance Sheet

as at March 31,2020

(Rs in lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
ASSETS			
(1) Non-current assets			
(a) Property, plant & equipment	2	22.78	20.55
(b) Capital work-in-progress	3	3,641.56	347.12
(c) Intangiable assets	4	719.69	118.70
(d) Deferred tax assets (net)	5	62.64	59.82
(e) Financial Assets	6	0.31	0.28
(f) Other non-current assets	7	479.02	506.65
		4,926.00	**1,053.13**
(2) Current assets			
(a) Financial assets			
(i) Cash and cash equivalents	8	1,830.50	4,232.81
(ii) Bank balances other than (i) above	9	100.00	1,206.11
(iii) Other financial assets	10	6.75	77.23
(b) Current tax assets (net)	11	44.52	21.24
(c) Other current assets	12	532.45	62.34
		2,514.22	**5,599.73**
Total Assets		**7,440.22**	**6,652.86**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity Share capital	13	2,200.00	2,200.00
(b) Other Equity	14	(419.01)	(170.26)
		1,780.99	**2,029.74**
Liabilities :			
(1) Non- current liabilities			
Financial liabilities			
(a) Borrowings	15	4,400.00	4,400.00
(2) Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
Other financial liabilities	16	535.17	18.56
(b) Other current liabilities	17	16.77	0.19
(c) Provisions & Contigencies	18	707.29	204.37
		1,259.23	**223.12**
Total Equity and Liabilities		**7,440.22**	**6,652.86**

Significant Accounting Policies 1
Notes to the financial statements 2-32
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR	**JOSE V J**	**RAJESH GOPALAKRISHNAN**	**SHIBU JOHN**	**ASWIN SARMA M**
Chairman	Director	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Company Secretary
DIN - 07376798	DIN - 08444440			

Kochi, 29 May, 2020

In terms of our report of even date

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

APRATIM RAY
Partner
(Membership No. 052204)
Kolkata, 29 May, 2020

Statement of Profit and Loss

for the year ended March 31, 2020

(Rs in lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
I	**Income**			
	Other income	19	77.14	75.77
	Total Income		**77.14**	**75.77**
II	**Expenses:**			
	Cost of materials consumed		-	-
	Change in inventories of finished goods		-	-
	Employee benefit expenses	20	23.71	-
	Finance costs	21	33.01	-
	Depreciation & Amortisation expenses	22	20.78	4.32
	Other expenses	23	251.22	251.61
	Total expenses		**328.72**	**255.93**
III	**Profit/(Loss) before tax**		**(251.58)**	**(180.16)**
IV	**Tax expense:**			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax	5	(2.82)	(46.97)
V	**Profit/(Loss) for the year**		**(248.76)**	**(133.19)**
VI	**Other comprehensive income**		**-**	**-**
VII	**Total Comprehensive Income for the year**		**(248.76)**	**(133.19)**
VIII	**Earnings per equity share of Rs 10 each:**			
	(1) Basic (Rs)	24	**(1.13)**	**(0.61)**
	(2) Diluted (Rs)		**(1.13)**	**(0.61)**

Significant Accounting Policies 1
Notes to the financial statements 2-32
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR	**JOSE V J**	**RAJESH GOPALAKRISHNAN**	**SHIBU JOHN**	**ASWIN SARMA M**
Chairman	Director	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Company Secretary
DIN - 07376798	DIN - 08444440			

Kochi, 29 May, 2020

In terms of our report of even date

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

APRATIM RAY
Partner
(Membership No. 052204)
Kolkata, 29 May, 2020

Statement of Cash Flows

for the year ended March 31,2020

(Rs in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
A. Cash flow from operating activities		
Profit/(Loss) before tax	**(251.58)**	**(180.16)**
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation	20.78	4.32
Interest income	(56.26)	(241.86)
Finance Cost	33.01	-
Unwinding of Security deposit	(0.02)	-
Amortisation of advance lease rent	0.66	-
Operating cash flow before working capital changes	**(253.41)**	**(417.70)**
Movements in working capital :		
(Increase) / Decrease in trade and other receivables	-	(1,281.57)
Increase / (Decrease) in trade and other payable	-	241.29
(Increase) / Decrease in Other Financial Assets	70.49	-
(Increase) / Decrease in Other Current Assets	(470.10)	-
(Increase) / Decrease in Financial Assets	(0.02)	-
(Increase) / Decrease in Other Non-Current Assets	(207.69)	-
Increase / (Decrease) in Other Financial Liabilities	116.72	-
Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	16.59	-
Increase / (Decrease) in Current Provisions	499.28	-
	(228.16)	**(1,457.98)**
Income Tax Paid	(23.29)	-
Net cash flows from operating activities (A)	**(251.45)**	**(1,457.98)**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(12.71)	(24.63)
(Increase) / Decrease in capital work In progress	(3,290.78)	(320.31)
Lease rental paid	-	(1.00)
Interest received	56.26	132.04
Unwinding of Security deposit	0.02	-
Interest income on mobilization advance	13.03	-
(Investment in) / Redemption of Term Deposits	1,106.11	-
Net cash flows from investing activities (B)	**(2,128.07)**	**(213.90)**

Particulars	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
C. Cash flow from financing activities		
Proceeds from issue of Non convertible Debentures	-	4,400.00
Finance Costs	(33.01)	-
Lease Rent Received	(1.81)	-
Lease rental paid	12.03	-
Net cash flows from financing activities (C)	**(22.79)**	**4,400.00**
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**(2,402.31)**	**2,728.12**
Cash and cash equivalent at the beginning of the year	**4,232.81**	**1,504.69**
Cash and cash equivalent at the end of the year		
Cash on hand	-	-
Balance with Banks in current account and deposit account	1,830.50	4,232.81
Cash and cash equivalents (as per Note 8)	**1,830.50**	**4,232.81**

Notes:
Significant Accounting Policies 1
Notes to the financial statements 2-32
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR	**JOSE V J**	**RAJESH GOPALAKRISHNAN**	**SHIBU JOHN**	**ASWIN SARMA M**
Chairman	Director	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Company Secretary
DIN - 07376798	DIN - 08444440			

Kochi, 29 May, 2020

In terms of our report of even date

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

APRATIM RAY
Partner
(Membership No. 052204)
Kolkata, 29 May, 2020

Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31,2020

A. Equity Share Capital

(Rs in lakhs)

As at 01.04.2019	Changes in equity share capital during the year	As at 31.03.2020
2,200.00	-	2,200.00
As at 01.04.2018	**Changes in equity share capital during the year**	**As at 31.03.2019**
2,200.00	-	2,200.00

B. Other Equity

(Rs in lakhs)

	Reserves and Surplus	Total
	Retained Earnings	
Balance as at April 01, 2019	(170.26)	(170.26)
Profit for the year	(248.76)	(248.76)
Other comprehensive income for the year	-	-
Total comprehensive income for the year	(248.76)	(248.76)
Balance as at March 31,2020	**(419.01)**	**(419.01)**

	Reserves and Surplus	Total
	Retained Earnings	
Balance as at April 01, 2018	(37.07)	(37.07)
Profit for the year	(133.19)	(133.19)
Other comprehensive income for the year	-	-
Total comprehensive income for the year	(133.19)	(133.19)
Balance as at March 31,2019	**(170.26)**	**(170.26)**

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR	JOSE V J	RAJESH GOPALAKRISHNAN	SHIBU JOHN	ASWIN SARMA M
Chairman	Director	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Company Secretary
DIN - 07376798	DIN - 08444440			

Kochi, 29 May, 2020

In terms of our report of even date

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

APRATIM RAY
Partner
(Membership No. 052204)
Kolkata, 29 May, 2020

Notes

to Financial Statements for the year ended March 31, 2020

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1 Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 read with Section 133 of the Companies Act, 2013. In accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs, the holding Company, Cochin Shipyard Limited, has adopted Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 with effect from April 1, 2016. The company HCSL has prepared its financial statements in accordance with Ind AS as applicable to its holding company Cochin Shipyard Limited which has decisive majority of its equity share capital.

1.2 Basis of preparation of financial statements

These financial statements have been prepared on the historical cost basis which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

1.3 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

1.4 Critical accounting estimates and judgements

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets and liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items. Also, in this connection Note no.1.16 on Deferred tax may be referred to.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurent of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstances known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Contingencies and commitments

The normal course of business may give rise to circumstances that have the potential to cast future liabilities on the company resulting in outflow of resources in the future. These circumstances may include claims against the Company that are disputed by it. The crystalization of such liabilities and their quantum depend upon the outcome of certain events, viz. judgements in lawsuits that cannot be predicted. These liabilities are not recognized in the financial statements, but the circumstances that give rise to them are disclosed as part of the notes thereto.

Recoverability of advances / receivables

The Company makes provision for expected credit loss based on assesment an assesment of the recoverability of trade and other receeivables. The identification of doubtful debts requires use of judegemtn and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account opf provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each Balance Sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on oustanding receivables and advances.

Fair value measurement

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instruments. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in arms length transaction at the reporting date.

1.5 Leases

As a lessee

Leases are classified as finance leases whenever the terms of lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. Leases where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases.

(i) Accounting for Leases

The Company in accordance with the relevant applicable accounting standards has identified the leased out assets that conveys the holder of the asset for the Right of Use of the identified asset either explicitly or implicitly in the contract that contains the lease agreement for a period of time in exchange for a consideration.

(ii) Recognition of Right of Use and Lease Liability

The Right of Use (ROU) for the identified asset and equivalent lease liability for the period of lease are recognised at the inception of the lease and disclosed in the Balance sheet. ROU will be measured at cost and lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at the initial recognition date.The present value of lease liability is determined using the interest rate implicit in the lease or incremental borrowing rate as applicable. Such lease accounting is not applied in cases where the lease term is of shorter term of less than 12 months or for which the underlying value is low.

The ROU arrived at shall be remeasured in subsequent periods at cost less accumulated amortisation and

impairment. The lease liabiltiy shall be remeasured subsequently at amortised cost using the effective interest rate method.

As a lessor

Lease income is recognised based on the lease agreements and is charged to the standalone statement of Profit or Loss.

1.6 Property , Plant and Equipment (PPE)

PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition. PPE are stated at cost less accumulated depreciation (other than freehold land which are stated at cost) and impairment losses, if any.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when it is replaced. All other expenses on repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

1.7 Capital work in progress

Capital work in progress are items of Property, Plant and Equipment that are under construction or development and are not yet ready for their intended use at the reporting date. These are carried at cost comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

1.8 Intangible Assets

Up-front fees and/or other consideration paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period for which the right is accquired, commencing from the date on which the right becomes capable of being exercised.

1.9 Depreciation

Depreciation on property, plant & equipment is provided on straight line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013.

An item of property, plant & equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the standalone Statement of Profit or loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in standalone financial statements at residual value.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of the assets are same as those prescribed under Schedule II to the Act except for certain types of buildings and equipments where in based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in the said Schedule II. Useful lives considered for calculation of depreciation for various asset classes are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant & Equipment	5-15 years
Furniture & Fixtures	8-10 years
Data processing equipments	3-6 years

1.10 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and liabilties are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the accqusition or issue of financial assets and financial liabilties (other than financial assets and financial liabilties at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, and by selling financial assets.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in profit or loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Off setting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to off set the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

1.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent assets are not disclosed in the financial statements unless an inflow of economic benefits is probable.

Revenue Recognition

1.12 Revenue Recognition

Others

Other income earned is recognised on accrual basis.

1.13 Employee Benefits

Employee benefits consists of salaries and wages and contribution to provident fund. As the company at present has employees appointed on contractual

basis on fixed term employment, the requirement of contribution to superannuation fund, medical assistance and compensated absences does not arise.

1.14 Borrowing costs

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalised as part of cost of such assets up to the date when such assets are ready for intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the satement of Profit/Loss in the period in which they are incurred.

1.15 Prior Period Adjustments

Prior period adjustments due to errors having material impact on the financial affairs of the company are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest financial period presented, by restating the opening statement of financial position.

1.16 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.Current tax assets and current tax liabilities are set off when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

1.17 Earnings Per Share

Basic and diluted earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares/dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the reporting period as the case may be.

1.18 Cash flow statement

Cash flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

Note 2 : Property, Plant and Equipment

(Rs in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2019	Additions/ adjustments during the period	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2020	As at 1st April 2019	For the period	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2020	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Buildings	16.98	9.83	-	26.81	2.99	8.09	-	11.08	15.72	13.99
Plant and equipment	0.24	1.66	-	1.90	0.01	0.05	-	0.06	1.84	0.23
Furniture and fixtures	0.28	-	-	0.28	0.02	0.03	-	0.05	0.23	0.26
Office equipments	-	0.17	-	0.17	-	0.02	-	0.02	0.14	-
Data Processing Equipments	7.13	0.53	-	7.66	1.06	2.27	-	3.33	4.33	6.07
Sub total	**24.63**	**12.18**	**-**	**36.81**	**4.08**	**10.46**	**-**	**14.54**	**22.27**	**20.55**
Intangiable Assets										
Tally Software	-	0.53	-	0.53	-	0.01	-	0.01	0.51	-
Sub total	-	0.53	-	0.53	-	0.01	-	0.01	0.51	-
Grand Total	**24.63**	**12.71**	**-**	**37.34**	**4.08**	**10.47**	**-**	**14.55**	**22.78**	**20.55**

Note 3 : Capital work-in-progress

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Project Management fees and miscellaneous capital expenditure	3,641.56	347.12
Total	**3,641.56**	**347.12**

The company has availed of services of personnel from its holding company, Cochin Shipyard Limited, on secondment basis towards activities carried out for the augmentation of the project. The company accounts for the costs incurred on the above personnel on "Cost to Company" (CTC) basis which is to be reimbursed to the service provider. Since these costs are exclusively for refurbishment of the existing facilities, they are taken to Capital work-in-progress under the head Employee Manpower Costs, which will be capitalised on completion of the capital project.

Note 4 : (A) Intangiable Assets (Leasehold Land)

(Rs in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2019	Additions/ adjustments during the period	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2020	As at 1st April 2019	For the period	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2020	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Right to use - Land at Nazirgunge (5.31 Acres)	118.94	-	-	118.94	0.24	1.98	-	2.22	**116.72**	118.70
Right to use - Land at Nazirgunge (10.45 Acres)	-	234.07	-	234.07	-	2.98	-	2.98	**231.09**	-
Sub total	**118.94**	**234.07**	**-**	**353.01**	**0.24**	**4.96**	**-**	**5.20**	**347.81**	**118.70**

(B) Value of Right to Use (Leasehold Land)

(Rs in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2019	Additions/ adjustments during the period	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2020	As at 1st April 2019	For the period	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2020	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Value of Right to use - Land at Nazirgunge (5.31 Acres)	-	128.36	-	128.36	-	2.18	-	2.18	**126.18**	-
Value of Right to use - Land at Nazirgunge (10.45 Acres)	-	248.86	-	248.86	-	3.16	-	3.16	**245.70**	-
Sub total	**-**	**377.22**	**-**	**377.22**	**-**	**5.34**	**-**	**5.34**	**371.89**	**-**
Total	**118.94**	**611.29**	**-**	**730.23**	**0.24**	**10.30**	**-**	**10.54**	**719.69**	**118.70**

Note 5 : Deferred tax assets (net)

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Deferred tax assets	62.64	59.82
Total	**62.64**	**59.82**

Note 6 : Loans - Financial Assets

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Security deposits	0.31	0.28
Total	**0.31**	**0.28**

Note 7 : Other non-current assets

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Unsecured, considered good		
Security deposits	11.22	467.57
Other long term advances	429.39	-
Advance lease rental	38.41	39.08
Total	**479.02**	**506.65**

Note 8 : Cash and Cash equivalents

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Balance with Banks		
In current account	84.79	132.81
Term deposits with original maturity of less than three months	1,745.71	4,100.00
Total	**1,830.50**	**4,232.81**

Note 9 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	100.00	1,206.11
Total	**100.00**	**1,206.11**

Note 10 : Other Financial Assets - Current

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Interest accrued on fixed deposits	6.75	77.23
Total	**6.75**	**77.23**

Note 11 : Current tax assets (net)

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Tax Deducted at source	44.52	21.24
Total	**44.52**	**21.24**

Note 12 : Other Current Assets

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Unsecured advances		
Miscellaneous deposits (Unutilised GST Input Credit)	147.74	60.14
Advance towards Security deposit	-	-
Prepaid expenditure	5.69	1.13
Miscellaneous current assets	379.02	1.07
Total	**532.45**	**62.34**

Note 13 : Equity Share Capital

Particulars	As at 31.03.2020		As at 31.03.2019	
	Number	Rs. in Lakhs	Number	Rs. in Lakhs
Authorised				
Equity shares of Rs. 10/- each	2,50,00,000	2,500.00	2,50,00,000	2,500.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of Rs. 10 each fully paid up				
For Cash	2,20,00,000	2,200.00	1,62,80,000	1,628.00
For Consideration other than cash	-	-	57,20,000	572.00
Total	**2,20,00,000**	**2,200.00**	**2,20,00,000**	**2,200.00**

13.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at 31.03.2020		As at 31.03.2019	
	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	2,20,00,000	2,200.00	2,20,00,000	2,200.00
Add : shares issued during the year	-	-	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	2,20,00,000	2,200.00	2,20,00,000	2,200.00

Rights,prefernces and restrictions attaching to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed/declared by the ard of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. All dividends are paid in Indian Rupees. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

13.2 Details of shares held by holding company

Particulars	As at 31.03.2020		As at 31.03.2019	
	No. of Shares held	Rs. in lakhs	No. of Shares held	Rs. in lakhs
Cochin Shipyard Limited (Holding Company) 1,62,80,000 equity shares of Rs 10 each	1,62,80,000	2,200.00	1,62,80,000	1,628.00
Total	**1,62,80,000**	**2,200.00**	**1,62,80,000**	**1,628.00**

13.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at 31.03.2020		As at 31.03.2019	
	No. of Shares held	% of holding	No. of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited (Holding Company)	2,20,00,000	100	1,62,80,000	74
Hooghly Dock and Port Engineers Limited	-	-	57,20,000	26
Total	**2,20,00,000**	**100**	**2,20,00,000**	**100**

13.4 Details of shares issued for consideration other than cash

Particulars	As at 31.03.2020		As at 31.03.2019	
	No. of Shares held	% of holding	No. of Shares held	% of holding
Hooghly Dock and Port Engineers Limited	-	-	57,20,000	26

Equity share holding pattern

The Company's JV shareholder HDPEL holding 26% of the share capital totalling to 57,20,000 shares of Rs.10/ each amounting to Rs.5.72 crore has transferred its entire shares to the majority shareholder Cochin Shipyard Limited pursuant to the Union Cabinet approval. As a result, the entire share capital is at present held by Cochin Shipyard Limited with effect from November 01, 2019.

Note 14 : Other Equity

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Retained Earnings	(419.01)	(170.26)
Total	**(419.01)**	**(170.26)**

Retained Earnings

(Rs in lakhs)

Balance at the beginning of the year	(170.26)	(37.07)
Add Profit/(Loss) for the period	(248.76)	(133.19)
Balance at the end of the reporting period	(419.01)	(170.26)

Note 15 : Borrowings

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
6.5% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures	4,400.00	4,400.00
Total	**4,400.00**	**4,400.00**

The Company had issued 440000, 6.5% Unsecured Red`Debentures of Rs 1000 each, with interest rate of 6.50% per annum payable annually, to Cochin Shipyard Limited. The debentures are due for redemption on 16th September 2023.

Note 16 : Other Financial Liablities

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
PV of Lease liability (5.31 Acres)	134.74	-
PV of Lease liability (10.45 Acres)	265.15	-
Security and other deposits	120.57	18.49
Others Payables	14.71	0.07
Total	**535.17**	**18.56**

Note 17 : Other current liablities

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Statutory dues	16.77	0.19
Total	**16.77**	**0.19**

Note 18 : Other payables

(Rs in lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Creditors for expenses		
Expenditure / contingencies	707.29	204.37
Total	**707.29**	**204.37**

Note 19 : Other Income

(Rs in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
Rent received	2.21	0.10
Interest on bank deposits	57.45	72.96
Interest from others -CESC	0.40	0.42
Miscellaneous income	17.05	2.26
Unwinding of Discount on Security Deposit	0.02	0.02
Total	**77.14**	**75.77**

Note 20 : Employee Benefit expenses

(Rs in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
Employee Salaries & Allowances	20.66	-
Employee welfare expenses	3.05	-
Employee Benefit expenses	-	-
Total	**23.71**	**-**

Note 21 : Finance Charges

(Rs in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
Finance Charges on lease liability (5.31 Acres)	11.23	-
Finance Charges on lease liability (10.45 Acres)	21.78	-
Interest on Debentures on Borrowings	-	-
Total	**33.01**	**-**

Note 22 : Depreciation and Amortisation Expense

(Rs in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
Depreciation on property,plant and equipments	10.47	4.08
Depreciation on right of use-Lease liability (5.31 Acres)	2.18	-
Depreciation on right of use-Lease liability (10.45 Acres)	3.16	-
Amortisation on lease hold land	4.96	0.24
Total	**20.78**	**4.32**

Note 23 : Other Expenses

(Rs in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
Rates &Taxes	2.31	0.08
Power	21.91	25.05
Repairs and maintenance:		
Building and roads	4.43	7.03
Plant and machinery	-	-
Others	1.34	1.72
Travelling and conveyance expenses	2.93	0.57
Printing and stationery	2.08	1.26
Postage, telephone and telex	0.77	0.39
Advertisement and publicity	30.34	55.29
Lease rent paid	2.98	1.80
Hire charges	23.12	20.50
Security expenses	144.71	121.58
Auditors remuneration	2.21	1.75
Auditors remuneration for other services	0.24	0.06
Consultancy	4.32	6.63
Bank charges	0.23	0.01
Miscellaneous expenses	7.29	7.88
Total	**251.22**	**251.61**

Note 24 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended 31.03.2020	For the year ended 31.03.2019
Net Profit/(Loss) after tax (Rs in lakhs)	(248.76)	(133.19)
Weighted average number of Equity Shares	2,20,00,000	2,20,00,000
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in Rs)	(1.13)	(0.61)
Face value per equity (in Rs)	10.00	10.00

25. Contingencies and Commitments

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
COMMITMENTS (To the extent not provided for)		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for.	8,949.96	6141.43

26. Corporate Social Responsibility (CSR)

The company does not have either any profit from its operations or networth as prescribed under Section 135 of the companies Act,2013. As such, the Company is not required to comply with the provisions of Sec 135 of the Companies Act, 2013.

27. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	Nature of Relationship
	2019-20	2018-19
Shri Madhu S Nair Chairman	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director (from 01.08.2019)	Key Managerial Personnel	-
Shri Paul Ranjan D Director (Till 31.07.2019)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri S Balaji Arunkumar Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Rajesh Gopalkrishnan Chief Executive Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt. V Kala Company Secretary (Till 08.11.2018)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Cochin Shipyard Limited	Holding Company	Holding Company
Hooghly Dock and Port Engineers Limited (Till 31.10.2018)	Associate Company	Associate Company

Nature of transaction - Remuneration

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Short term benefit	-	-
Post employment Benefit	-	-
Total	**-**	**-**

Nature of transaction - Loans

There are no transactions in the nature of remuneration/loans and advances with the above Key managerial personnel.

Nature of transaction

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Employee Manpower Services (provided by Cochin Shipyard Limited - Holding Company)*	33.03	52.25
4,40,000 6.5% Redeemable Non-convertible Debentures of face value of Rs 1,000 each issued to Cochin Shipyard Limited (Holding Company)	4400.00	4400.00

* As regards reimbursement of manpower costs to Holding company Cochin Shipyard Limited, the same is accounted on cost basis since GST paid is claimed as input credit receivable.

28. Financial Instruments

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

(Rs in Lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at 31.03.2020	Fair value as at 31.03.2019	Fair Value hierarchy
Financial Assets			
Current			
(i) Cash & Cash equivalents	1,830.50	4,232.81	Level II
(ii) Bank balance other than (i)	100.00	1,206.11	
(iii) Other financial assets	6.75	77.23	Level II
Total Financial Assets	**1,937.25**	**5,516.15**	
Financial Liabilities			
Non Current			
Borrowings	4,400.00		
Current			
Other financial liabilities	535.17	18.56	Level II
Total Financial Liabilities	**4,935.17**	**18.56**	

Note: There were no transfers between Level I and II in the period.

Financial Instruments by category

(Rs in Lakhs)

Particulars	31.03.2020				31.03.2019	
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	Amortised Cost	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
Cash & Cash equivalents			1,830.50	1,930.50		4,232.81
Other financial assets			6.75	6.75		77.23
Total Financial Assets			**1,837.25**	**1,937.25**		**4,310.04**
Financial liabilities						
Borrowings				4,400.00		-
Other financial liabilties			535.17	535.17		18.56
Total Financial Liabilities			**535.17**	**4,935.17**		**18.56**

29. Lease arrangements

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
a) Premises taken on operating lease:	-	-

The Company enjoys non cancellable operating leases for land and allied facilities at Nazirgunge and Salkia, in Howrah District of West Bengal under the leases granted by then owners Hooghly Dock and Port Engineers Limited (HDPEL) for a period of 60 years. These lease arrangements with Hooghly Dock and Port Engineers Limited for a period of 60 years under Lease agreement and concessionaire agreement dated 19.01.2018.

As a result of the accqusition of the said lands by Governemnt of India vide letter No.HDPEL/HD/(C/F)/2019-20 /152 sent by HDPEL to Govt. of India dated 14.02.2020 based on the Cabinet approval accorded by GOI letter SY/12016/1/2014/HDPE/14.10.2019, the rights of the lessor was expected to be transferred in the name of the latter with effect from 28.02.2020. The Deed of declaration to be executed between Govt. of India and HCSL subsequent to the change in the ownership of the asset is under the consideration of the Ministry of Shipping for their approval.

(Rs in Lakhs)

With respect to non-cancellable operating lease, the future minimum lease payment as at Balance Sheet date is as under:	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
For a period not later than one year	24.76	40.00
For a period later than one year and not later than five years	133.43	215.51
For a period later than five years	3209.61	5184.15

30. Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. The Company shall undertake segment wise analysis and allocation of costs and revenues when it commences operations.

31. Balance shown under Trade Receivables,Trade Payables, loans, and deposits claims are subject to confirmation and consequent reconciliation, if any.

32. Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR	**JOSE V J**	**RAJESH GOPALAKRISHNAN**	**SHIBU JOHN**	**ASWIN SARMA M**
Chairman	Director	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Company Secretary
DIN - 07376798	DIN - 08444440			

Kochi, 29 May, 2020

In terms of our report of even date

For Ghosal, Basu & Ray
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 315080E)

APRATIM RAY
Partner
(Membership No. 052204)
Kolkata, 29 May, 2020

Visit of Nazirgunge facility by Chairman, Directors and Senior Officials

Planting of sapling by Shri Madhu S Nair, Chairman at the Nazirgunge facility premises

HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

(A wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited)

Registered office: The Legacy, 25A, Shakespeare Sarani, Level 1
Kolkata, West Bengal -700 017